बिहार सरकार

सुशील कुमार मोदी

उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, बिहार

का

बजट भाषण

2020 - 2021

25 फरवरी, 2020

पृथ्वी सभी मनुष्यों की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन
प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं।

– महात्मा गाँधी

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2020–21 का बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ।

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 2019 अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। दो–दो बार बाढ़, फिर अल्प वर्षापात के कारण लाखों हेक्टेयर जमीन में बुआई का नहीं हो पाना– इन सबका मजबूती से मुकाबला किया गया। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय के अधिकांश निश्चय हासिल कर लिए गए हैं। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए 24,500 करोड़ रू० के व्यय से **जल–जीवन–हरियाली अभियान** की शुरूआत करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। जल–जीवन–हरियाली के साथ–साथ शराबबंदी, तिलक–दहेज, बाल विवाह, जैसे सामाजिक मुद्दों पर जागृति हेतु 19 जनवरी, 2020 को 18 हजार 34 कि०मी० लम्बी विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृखंला बनाई गई जिसमें 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लेकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया।

वहीं वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अनिश्चितता तथा आर्थिक सुस्ती (Slowdown) के दौर से गुजर रहा है। International Monetary Fund (IMF) पूर्वानुमान के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास दर 3 प्रतिशत से नीचे रहने की संभावना है जो वर्ष 2008–09 के Global Financial Crisis के बाद सबसे निचले स्तर पर है। इस परिपेक्ष्य में वर्ष 2019–20 में भारत की विकास दर भी अनुमान से काफी कम रहने की संभावना है।

इस आर्थिक सुस्ती (economic slowdown) के माहौल के बावजूद बिहार ने वर्ष 2018–19 में स्थिर मूल्यों पर 10.53 प्रतिशत की विकास दर एवं वर्तमान मूल्यों (at current prices) पर 15.01 प्रतिशत की विकास दर हासिल किया है। पिछले 3 वर्षों से लगातार बिहार ने राष्ट्रीय विकास दर से ज्यादा विकास दर हासिल किया है। स्थिर मूल्य (2011-12) पर वर्ष 2018–19 का प्रति व्यक्ति आय का अनुमान 30,617 रू० है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 9.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि राष्ट्रीय स्तर पर संगत वृद्धि दर 5.6 प्रतिशत है।

हर बार चुनौतियों को ऐसे हराते हैं हम,
जख्म जितना गहरा हो, उतना मुस्कराते हैं हम।

महोदय,

वर्ष 2006–07 से बिहार में बजट निर्माण और उसे पारित कराने संबंधी अनेक निर्णय पहली बार लिए गए जो अब परिपाटी बन चुका है।

- लेखानुदान (Vote on Account) की परम्परा को समाप्त कर 31 मार्च के पूर्व सम्पूर्ण बजट पारित कराया जाना।
- आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट का बजट के एक दिन पूर्व उपस्थापित किया जाना।
- समाज के विभिन्न समूहों से बजट पूर्व परामर्श (Pre Budget Consultation) ।

वर्ष 2020–21 की बजट की तैयारी हेतु पहली बार 9 विभिन्न समूहों में 900 से ज्यादा लोगों को मुख्य सचिवालय बुलाकर परामर्श किया गया।

समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से भी लोगों के सुझाव आमंत्रित किए गए।

बजट 2020

- बिहार राज्य का बजट आकार वर्ष 2004–2005 में 23,885 करोड़ रू० था जो वर्ष 2019–20 में 8 गुणा से अधिक बढ़कर 2,00,501 करोड़ रू० था तथा वर्ष 2020–21 में यह बढ़कर 2,11,761 करोड़ रू० हो गया है।
- वर्ष 1990–91 से वर्ष 2005–06 तक बिहार का कुल व्यय 2 लाख 15 हजार 41 करोड़ रू० था। इसमें 10 वर्ष संयुक्त बिहार यानि झारखण्ड का व्यय भी शामिल है। वहीं वर्ष 2006–07 से वर्ष 2019–20 तक कुल व्यय 12 लाख 24 हजार 94 करोड़ रू० है।
- वर्ष 1990–91 से वर्ष 2005–06 तक गैर योजना व्यय 1 लाख 79 हजार 776 करोड़ रू० था वहीं योजना व्यय मात्र 35,264.89 करोड़ रू० था।
- वर्ष 2006–07 से वर्ष 2019–20 के दौरान योजना व्यय बढ़कर 5 लाख 51 हजार 29 करोड़ रू० हो गया एवं गैर योजना या स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 5 लाख 31 हजार 236 करोड़ रू० था, यानि योजना व्यय, गैर योजना व्यय से ज्यादा हो गया।
- वर्ष 2005–06 में योजना व्यय (Plan Expenditure) कुल व्यय का 21.71 प्रतिशत था एवं गैर योजना व्यय (Non Plan Expenditure) 78.29 प्रतिशत था।

  वर्ष 2020–21 में यह योजना व्यय या स्कीम व्यय बढ़कर 49.95 प्रतिशत तथा गैर योजना व्यय या स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मात्र 50.05 प्रतिशत रह गया है।
- वर्ष 2020–21 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,05,262.34 करोड़ रू० है, जो वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान 1,00,000.98 करोड़ रू० से 5,261.36 करोड़ रू० अधिक है।
- वर्ष 2020–21 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 1,05,995.14 करोड़ रू० है, जो वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान 99,110.01 करोड़ रू० से 6,885.13 करोड़ रू० अधिक है।

- वर्ष 2020–21 में कुल पूंजीगत व्यय 47,010.30 करोड़ रू० अनुमानित किया गया है जो कि कुल व्यय का 22.20 प्रतिशत एवं वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान 45,270.36 करोड़ रू० से 1,739.94 करोड़ रू० अधिक है, जिसमें:–

- **पूंजीगत परिव्यय** – वर्ष 2020–21 में 38,744.59 करोड़ रू० का पूंजीगत परिव्यय अनुमानित किया गया है, जिसमें सामान्य सेवाओं में 4,431.29 करोड़ रू०, सामाजिक सेवाओं में 13,056.91 करोड़ रू० एवं आर्थिक सेवाओं में 21,256.39 करोड़ रू० की राशि प्रस्तावित है।

- **ऋण अदायगियाँ** – वर्ष 2020–21 में 7,035.27 करोड़ रू० की राशि ऋण के रूप में वापस की जानी है, जिसमें 1,115.22 करोड़ रू० की राशि केन्द्र सरकार के ऋणों की है एवं 5,920.06 करोड़ रू० की राशि पूर्व में लिये गये आंतरिक ऋणों (जिसमें बाजार ऋण की भी वापसी सम्मिलित है) से संबधित है।

- **ऋण एवं पेशगियाँ** – वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार द्वारा 1,230.44 करोड़ रू० का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यतः बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हेतु 900.00 करोड़ रू०, ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए 196.00 करोड़ रू०, बिजली परियोजना के कम्पनियों को कर्ज के लिए 98.93 करोड़ रू० एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए 35.50 करोड़ रू० दिया जाना है। पूर्व में दिये गये ऋणों की वापसी से राज्य सरकार को 428.23 करोड़ रू० की राशि प्राप्त होना अनुमानित है। इस प्रकार कुल शुद्ध ऋण 802.21 करोड़ रू० दिया जाना प्रस्तावित है।

- वर्ष 2020–21 में कुल राजस्व व्यय 1,64,751.19 करोड़ रू० अनुमानित किया गया है, जो कुल व्यय का 77.80 प्रतिशत एवं वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान 1,55,230.65 करोड़ रू० से 9,520.54 करोड़ रू० अधिक है।

- वर्ष 2020–21 में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी पर कुल 93,936.11 करोड़ रू० व्यय होंगे जिसमें वेतन हेतु 26,432.37 करोड़ रू०, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अन्य कर्मियों के लिए वेतन अनुदान हेतु 23,281.01 करोड़ रू०, संविदा कमिर्यों के वेतन हेतु 3,794.64 करोड़ रू०, पेंशन हेतु 20,468.16 करोड़ रू०, ब्याज भुगतान हेतु 12,924.65 करोड़ रू० एवं ऋण वापसी पर 7,035.27 करोड़ रू० व्यय अनुमानित है।

- वर्ष 2020–21 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ 1,83,923.99 करोड़ रू० अनुमानित है जो कि वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान 1,76,747.64 करोड़ रू० से 7,176.35 करोड़ रू० अधिक है।

- वर्ष 2020–21 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में 34,750.00 करोड़ रू० प्राप्त होने का अनुमान है। जिसमें 27,050.00 करोड़ रू० वाणिज्य–कर, 4,700.00 करोड़ रू० स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, 2,500.00 करोड़ रू० परिवहन कर एवं 500.00 करोड़ रू० भू–राजस्व से प्राप्त होगा।

- वर्ष 2020–21 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 5,239.28 करोड़ रू० प्राप्त होने का अनुमान है जो वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान 4,806.47 करोड़ रू० की तुलना में 432.81 करोड़ रू० अधिक है। इसमें खनन से 2,450.00 करोड़ रू०, ब्याज प्राप्तियों से 2,080.55 करोड़ रू० शामिल है।

- **ऋण उगाही** – वर्ष 2020–21 में 27,609.27 करोड़ रू० का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। राज्य के आंतरिक ऋण में भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार ऋण 22,378.69 करोड रू०, नाबार्ड से 2,400.00 करोड़ रू० का ऋण तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से 30.58 करोड़ रू० का ऋण कुल 24,809.27 करोड़ रू० लिया जाना प्रस्तावित है। बाह्य संपोषित परियोजनाओं के लिए 2,800.00 करोड़ रू० का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है।

- **षष्ठम् राज्य वित्त आयोग** की अनुशंसा की प्रत्याशा में स्थानीय निकायों को 3,751.74 करोड़ रू० का अनुदान प्रस्तावित है, जिसमें 70 प्रतिशत राशि पंचायत निकायों को अर्थात 2,626.22 करोड़ रू० तथा 30 प्रतिशत राशि शहरी स्थानीय निकायों को अर्थात 1,125.52 करोड़ रू० दिया जाना प्रस्तावित है।

- बिहार राज्य का राजस्व अधिशेष साल 2012–13 के 5,101.00 करोड़ रू० के मुकाबले वर्ष 2018–19 में 6,896.64 करोड़ रू० रहा है। वर्ष 2019–20 में राजस्व अधिशेष 21,516.99 करोड़ रू० एवं वर्ष 2020–21 में 19,172.80 करोड़ रू० है जो बिहार राज्य के इतिहास में अपने सर्वोत्तम स्तर पर होगा।

- वर्ष 2020–21 में 20,374.00 करोड़ रू० राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2011–12 पर) 6,85,797.00 करोड़ रू० का 2.97 प्रतिशत है।

ग्रीन बजट

इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा ग्रीन बजट पेश किया जायेगा जिसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का विवरण होगा। देश में पहली बार बिहार में ग्रीन बजट की पुस्तिका सदन में उपस्थापित की जायेगी।

राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना जल–जीवन–हरियाली अभियान ग्रीन बजट का एक महत्त्वपूर्ण अंश होगा। इसके द्वारा राज्य के पारिस्थितिकीय तंत्र को पुनर्जीवित एवं संरक्षित किया जा सकेगा। इस बजट में वैसे सभी विभागों की महत्त्वपूर्ण योजनाओं का समावेश किया जायेगा, जो पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों की रोकथाम हेतु आवश्यक है। इससे राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर व्यय की जाने वाली राशि की जानकारी मिल सकेगी तथा सतत् विकास के लक्ष्य को शीघ्र पूरा किया जा सकेगा। यह पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं के चयन एवं अनुश्रवण में मददगार होगा।

केन्द्र सरकार से प्राप्ति

- केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी वर्ष 2018–19 में 73,603.13 करोड़ रू० थी। वर्ष 2019–20 में 89,121.79 करोड़ रू० एवं वर्ष 2020–21 में 91,180.60 करोड़ रू० अनुमानित है।

- वर्ष 2020–21 में राज्य को केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में 52,754.10 करोड़ रू० प्राप्त होने का अनुमान है, जो वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान 49,019.38 करोड़ रू० से 3,734.72 करोड़ रू० अधिक है।

- वर्ष 2020–21 में केन्द्रीय प्रक्षेत्र स्कीम के लिए 504.01 करोड़ रू० का प्रावधान है।

ऋण प्रबंधन

- वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण GSDP का 56.36 प्रतिशत था। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण वर्ष 2018–19 में कुल बकाया ऋण 1,68,921.33 करोड़ रू० है जो राज्य के GSDP का 32.76 प्रतिशत है।

- अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों के लिए कर्णांकित राशि :– अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों पर व्यय होने वाली राशि को अलग से लघुशीर्ष में प्रदर्शित किया जाता है ताकि उक्त राशि का व्यय अनुसूचित जातियों के समुदाय के सीधे लाभ के लिए ही किया जा सके और राशि का व्यय अन्यत्र नहीं किया जा सके। वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जातियों के लिए 17,415.17 करोड़ रू० एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए 1,333.06 करोड़ रू० प्रावधानित की गई है।

सर्वाधिक खर्च

राज्य सरकार वर्ष 2020–21 में शिक्षा पर 35,191.05 करोड़ रू० व्यय करेगी। राज्य की सड़कों पर 17,345.00 करोड़ रू०, ग्रामीण विकास पर 15,955.29 करोड़ रू०, पंचायतीराज पर 10,615.21 करोड़ रू० एवं नगर विकास एवं आवास पर 7,213.72 करोड़ रू० का व्यय अनुमानित है। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत 10,937.68 करोड़ रू० तथा समाज कल्याण विभाग एवं कमजोर वर्गों के पेंशन, आँगनबाड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित विभागों में 11,911.38 करोड़ रू० का बजटीय प्रावधान है।

राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार

बाढ़ 2019 : प्रथम चरण

जुलाई, 2019 में राज्य में 14 जिले, 1,295 पंचायत, 1 करोड़ 4 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई।

133 लोगों की मृत्यु हो गई। राज्य सरकार ने 26 लाख 28 हजार परिवारों को 6 हजार प्रति परिवार अनुग्रह अनुदान की राशि 1,567.90 करोड़ रू० सीधे लोगों के खाते में पहुँचा दिया गया।

बाढ़ 2019 : द्वितीय चरण

सितम्बर, 2019 में 15 जिलों की 33.35 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई जिसमें 105 लोगों की मृत्यु हो गई। कुल 7 लाख 9 हजार परिवारों को 6 हजार अनुग्रह अनुदान की दर से कुल 425.65 करोड़ रू० लोगों के खाते में हस्तान्तरित कर दिया गया।

तत्काल सहायता

वर्ष 2019 में मानसून अवधि में वर्षापात 30 प्रतिशत से कम तथा खरीफ आच्छादन में 70 प्रतिशत की कमी वाले सुखा पीड़ित किसानों को 'तत्काल सहायता' के रूप में 3 हजार रू० प्रति परिवार कुल 10 लाख 15 हजार परिवारो को 304.66 करोड़ रू० किसानों के खाते में पहुँचाए गए।

डीजल अनुदान

वर्ष 2019 में अल्प वर्षापात की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की राशि 50 रू० से बढ़ाकर 60 रू० / लीटर कर दिया तथा 6.41 लाख किसानों को 88.45 करोड़ रू० डीजल अनुदान मद में भुगतान किया गया।

सड़क-पुल ध्वस्त

जुलाई एवं सितम्बर, 2019 में आयी बाढ़ से राज्य के सड़क, पुल–पुलिया, तटबंध, विद्युत संरचना ध्वस्त हो गई। इसके पुनस्थापन / पुनर्निर्माण हेतु 432.00 करोड़ रू० विभागों को उपलब्ध कराए गए है।

कृषि इनपुट अनुदान

राज्य में दो बार बाढ़ आने के कारण 3 लाख 96 हजार हेक्टेयर में लगी फसल में 33 प्रतिशत से ज्यादा की क्षति हुई। उसी प्रकार अल्प वर्षापात के कारण 3 लाख 89 हजार हेक्टेयर में किसान फसल नहीं लगा पाए।

आपदा से प्रभावित 4 लाख 4 हजार किसानों को कृषि इनपुट अनुदान मद में 205.32 करोड़ रू० आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजा गया है।

इस प्रकार राज्य में वर्ष 2019–20 में दो बार आयी बाढ़ एवं कुछ क्षेत्रों में अल्प वर्षापात के कारण अनुग्रह अनुदान, तत्काल सहायता, कृषि इनपुट अनुदान, डीजल अनुदान मद में कुल 62 लाख 45 हजार किसानों / नागरिकों को 2,942.66 करोड़ रू० तथा संरचना पुनर्स्थापन मद में 432 करोड़ रू० कुल आपदा प्रभावित लोगों पर अपने राजकोष से 3,374 करोड़ रू० व्यय किया जा चुका है।

हर घर - नल का जल : गली - नाली पक्कीकरण

बिहार देश का पहला राज्य बनेगा

मुख्यमंत्री पेयजल एवं गली–नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत राज्य के सभी घरों तक पाईप से पेयजल एवं सभी बसावटों में गली–नाली पक्कीकरण करने हेतु 37 हजार 70 करोड़ रू० व्यय करते हुए 31 मार्च, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक 3 लाख 50 हजार करोड़ रू० व्यय कर देश के सभी घरों में पाईप से जलापूर्ति करने का लक्ष्य रखा है। परंतु बिहार को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि जब यह योजना देश भर में प्रारम्भ हो रही है तब तक बिहार में पाईप जलापूर्ति का कार्य पूरा हो जाएगा।

बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा जिसके हर घर तक नल का जल एवं सभी गली–नाली का पक्कीकरण वर्ष 2019–20 तक पूरा हो जाएगा।

हल घर नल का जल योजना अंतर्गत पंचायती राज एवं पीएचईडी द्वारा 81,723 वार्डों में कार्य प्रारम्भ एवं 42,144 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य मार्च, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

आर्सेनिक, आयरन, फ्लोराइड प्रभावित 30,497 वार्ड के विरूद्ध 27,993 वार्डों में कार्य प्रारम्भ तथा 2,963 वार्डों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग अन्तर्गत 3,340 वार्ड के विरूद्ध 2,877 वार्डों में कार्यारम्भ, 1,074 में पूर्ण एवं लक्षित कुल 12.90 लाख घर के विरूद्ध 6.16 लाख घर अच्छादित कर दिये गये हैं।

मुख्यमंत्री पक्की नली गली योजना के अंतर्गत लक्षित 1,14,691 वार्डों के विरूद्ध 99,070 वार्डो में कार्य प्रारम्भ एवं 74,639 वार्ड में पूर्ण तथा 178 लाख घरों के विरूद्ध 112.32 लाख घर आच्छादित किए गए हैं।

शहरी क्षेत्र में लक्षित 3,340 वार्ड के विरूद्ध 3,329 वार्ड में कार्य आरम्भ, 880 में कार्य पूर्ण तथा 3.60 लाख घर आच्छादित किए गये।

हर घर नल जल तथा पक्की गली–नाली का शेष कार्य मार्च, 2020 तक पूरा कर दिया जाएगा।

जल-जीवन-हरियाली

विगत वर्षों में जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वर्षापात में कमी एवं भू–गर्भ जल के अत्यधिक दोहन के कारण दक्षिण बिहार के साथ–साथ उत्तरी बिहार में भी भू–जल स्तर में गिरावट हो रही है। 13 जुलाई, 2019 को विधान मंडल के सदस्यों की संयुक्त बैठक में आए सुझावों के आलोक में 24,524 करोड़ रू० के व्यय से जल–जीवन–हरियाली अभियान प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया।

देश के किसी राज्य में पहली बार इस तरह का अभियान प्रारम्भ किया गया है जिसमें तलाब/पोखर/आहर/पाइन/कुँओं को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करते हुए जीर्णोद्धार, कुँओं–चापाकलों के किनारे सोख्ता/रिचार्ज, जल संग्रहण क्षेत्रों में चेकडैम, सघन वृक्षारोपण, छतों पर Rain Water harvesting, सौर ऊर्जा एवं ऊर्जा बचत, टपकन सिंचाई (Drip Irrigation) आदि के लिए वर्ष 2019–20 में 2,492.47 करोड़ रू० तथा वर्ष 2020–21 में 3,515.51 करोड़ रू० कुल 6,007.98 करोड़ रू० का उद्व्यय का प्रावधान बजट में किया गया है।

राज्य में 1,66,962 जल संचयन संरचनाओं, 18,840 आहर, 28,013 पाइन, 1 लाख 16 हजार कुँओं का जीर्णोद्धार, 9 लाख चापाकल एवं कुँओं के पास सोख्ता निर्माण, 8,074 नदियों/नालों पर चेकडैम, 1813 वर्ग कि०मी० क्षेत्रफल में 7,174 नए जल स्रोतों का सृजन, 30 हजार 711 सरकारी भवनों पर छत वर्षा जल संचयन, 709.85 हेक्टेयर में 1,794 पौधशालाओं में 4.69 करोड़ पौधे तैयार करने, 527 भवनों से सौर ऊर्जा एवं ऊर्जा बचत हेतु ऊर्जा अंकेक्षण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

अंधकार से प्रकाश की ओर

वर्ष 2005 के पूर्व राज्य का बड़ा हिस्सा अंधकार में डूबा रहता था। राज्य सरकार ने वर्ष 2018 के अक्टूबर तक ही राज्य के सभी 39,073 गाँव तथा 1 लाख 6 हजार 249 टोलों तक बिजली पहुँचा दिया है। वर्ष 2005 में जहाँ मात्र 24 लाख विद्युत उपभोक्ता थे वहीं उनकी संख्या 31 जनवरी, 2020 तक 1 करोड़ 58 लाख पहुँच गयी है। राज्य के सभी परिवार जो बिजली चाहते थे उन्हें विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है।

विद्युत उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व वर्ष 2005–06 में 1,101.36 करोड़ रू० था जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 9,072 करोड़ रू० हो गया है एवं वर्ष 2019–20 में 31 जनवरी, 2020 तक 7218.74 करोड़ रू० संग्रह किया जा चुका है।

किसानों को कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत उपकेन्द्र एवं पृथक फीडर का कार्य मार्च, 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक 1 लाख 36 हजार किसानों को कृषि पम्प सेटों से विद्युत सम्बन्ध प्रदान कर मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से विद्युत शुल्क लिया जा रहा है।

वर्ष 2005 में Peak Demand 700 MW था वह बढ़कर 5,891 MW तथा संचरण प्रणाली की विद्युत निकासी (Power Evacuation) क्षमता 132 KV पर 1,000 MW से बढ़कर 11 हजार 280 MW हो गई है।

गड्ढे वाली सड़कें बनाम चिकनी सड़कें

एक समय था जब बिहार अपनी गड्ढों वाली सड़कों के कारण बदनाम था। वर्ष 1990 से वर्ष 1995–96 तक नयी सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण, मरम्मती का परिमाप घटता चला गया परन्तु अलकतरा खरीद की मात्रा 14 प्रतिशत से बढ़कर 93.7 प्रतिशत हो गई। इसी अलकतरा घोटाला के कारण तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री जेल के सींखचों के पीछे बंद हैं।

पथ निर्माण विभाग अंतर्गत वर्ष 1990–91 से वर्ष 2005–06 तक मात्र 4,124.44 करोड़ रू० व्यय हुए वहीं वर्ष 2006–07 से वर्ष 2019–20 तक 64 हजार 752 करोड़ रू० व्यय हुए।

नदियों पर पुलों का जाल
घण्टों की दूरियाँ मिनटों में

राज्य में **गंगा नदी** पर पहला पुल वर्ष 1959 में मोकामा में राजेन्द्र सेतु के नाम से बनाया गया। दूसरा पुल वर्ष 1982 में पटना–हाजीपुर के बीच महात्मा गांधी सेतु बना। वर्ष 2001 में राज्य का तीसरा पुल भागलपुर के पास विक्रमशिला सेतु बना। यानि आजादी के 58 वर्षों में गंगा पर मात्र 3 पुल बने जबकि वर्ष 2005 से वर्ष 2020 के बीच 2 पुल आरा–छपरा (886 करोड़ रू०), दीघा–सोनपुर (402.13 करोड़ रू०) तो प्रारम्भ हो चुका है और 6 पुल निर्माणाधीन है, 5 स्वीकृत है यानि कुल 13 पुल हमारी सरकार की देन है।

कोशी नदी पर कोशी महासेतु (448.60 करोड़ रू०), सहरसा जिलान्तर्गत बलुआहा घाट से गंडौल के बीच (635.10 करोड़ रू०), नौगछिया–विजयघाट के पास बाबा बिशू सेतु (541.83 करोड़ रू०) निर्मित एवं यातायात चालू हैं तथा NH527A भेजा–बकौर (1,313.70 करोड़), NH106 बीरपुर–बिहपुर के बीच 4 लेन पुल (1,478.40 करोड़ रू०) स्वीकृत है।

इस प्रकार कोशी नदी पर हमलोगों के कार्यकाल में 4 पुल चालू किए गए एवं 2 पुल स्वीकृत है।

गंडक नदी पर 2 पुल प० चम्पारण के धनहा रतवल घाट के बीच (231.02 करोड़ रू०) बेतिया–गोपालगंज के बीच (522.02 करोड़ रू०) चालू है तथा पूर्वी चम्पारण अन्तर्गत चकिया केसरिया सत्तरघाट पुल (263.84 करोड़ रू०) निर्माणाधीन है, हाजीपुर–सोनपुर के बीच 4/6 लेन पुल प्रस्तावित है तथा मुजफ्फरपुर–सारण के बीच बंगरा घाट पर पुल (508.98 करोड़ रू०) वर्ष 2020 में चालू कर दिया जाएगा।

इसी प्रकार **सोन नदी** पर अंग्रेज के जमाने का वर्ष 1862 का कोइलवर पुल तथा डिहरी पुल मात्र 2 पुल थे। वर्ष 2005 के बाद औरंगाबाद, रोहतास जिलान्तर्गत दाउदनगर एवं नासरीगंज के बीच 4 लेन पुल (1,006.56 करोड़ रू०), अरवल–सहाय के बीच (188.78 करोड़ रू०) का पुल चालू है तथा कोइलवर पुल के सामानान्तर 6 लेन पुल सहित 4 लेन पथ (825.17 करोड़ रू०) निर्माणाधीन है जिसका एक लेन जून, 2020 तक चालू कर दिया जाएगा।

पी०एम० : बिहार पैकेज

प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1 लाख 25 हजार करोड़ रू० के बिहार पैकेज के अंतर्गत 53 हजार करोड़ रू० की योजना सड़क प्रक्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है। **इस पैकेज के अंतर्गत कुल 75 योजनाओं का चयन किया गया है, जिनमें से 12 योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं तथा 40 योजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रगति में है। अन्य योजनायें स्वीकृति, निविदा या DPR की प्रक्रिया में है।** इन योजनाओं के पूर्ण होने के उपरान्त आगामी वर्षों में राज्य की परिवहन व्यवस्था में आमूल परिवर्तन देखने को मिलेगा।

पी०एम० पैकेज के अधीन जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य विगत समय में पूर्ण कराया गया है उसमें भागलपुर बाईपास, छपरा–रेवाघाट पथ, डेहरी–अकबरपुर पथ एवं गलगलिया–बहादुरगंज पथ महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त छपरा–गोपालगंज पथ, बिहारशरीफ–बरबीघा–मोकामा पथ, फतुहा–हरनौत–बाढ़ पथ, सुपौल–भपटियाही पथ, गेड़ाबाड़ी–कटिहार पथ का कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। सोन नदी पर कोईलवर में नये पुल का एक तरफ के तीन लेन का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है। महात्मा गाँधी सेतु के जीर्णोद्धार के उपरान्त अपस्ट्रीम वाले 2 लेन मार्च, 2020 के अंत तक आम जन के उपयोग हेतु उपलब्ध हो जाएगा।

जिन महत्वपूर्ण पथों/पुलों का कार्य जारी है, उनमें पटना – बक्सर 4 लेन, बख्तियारपुर – मोकामा 4 लेन, मँझौली से चोरौत पथ सहित गंगा नदी पर औंटा – सिमरिया 6 लेन पुल, सिमरिया–खगड़िया 4 लेन पथ, मुंगेरघाट सेतु का पहुंच पथ, महेशखूँट – पूर्णियां 2 लेन पेभ्ड शोल्डर पथ, वीरपुर–वीहपुर पथ एवं गया–दाउदनगर–नासरीगंज–विक्रमगंज पथ शामिल है। औंटा–सिमरिया 6–लेन पुल के नींव हेतु 18 में से 15 कुँआ का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार पटना–बक्सर 4 लेन पथ निर्माण की परियोजना के अन्तर्गत बक्सर में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के 13 में से 9 कुँआ का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

कोसी नदी पर फुलौत में 4 लेन पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2020–21 के प्रारम्भ में प्रारंभ करने का लक्ष्य है। गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानान्तर नया 4 लेन सेतु का निर्माण हेतु निविदा प्राप्त हो चुकी है एवं शीघ्र ही कार्य आवंटन के पश्चात कार्य प्रारम्भ करा दिया जाएगा। पटना–गया–डोभी के निर्माण हेतु भू–अर्जन कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है एवं निर्माण हेतु तीन खण्डों में निविदा प्राप्त कर ली गई है। निविदा निष्पादन करते हुए शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा रामजानकी मार्ग उत्तर प्रदेश सीमा (मेहरौना) से सीवान होते हुये मशरख–सत्तरघाट–चकिया पथ का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है एवं भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार रिलिजियस कॉरिडोर अन्तर्गत उच्चैठ से महिषी पथ का विस्तृत परियोजना

प्रतिवेदन तैयार कराया गया है। इसके अन्तर्गत कोशी नदी पर भेजा – बकौर के बीच पुल निर्माण हेतु कार्य का आवंटन किया जा चुका है।

विक्रमशिला सेतु के समानान्तर नये 4–लेन पुल के निर्माण हेतु मार्गरेखन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में निर्माण कार्य की स्वीकृति के साथ कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा।

पटना रिंग रोड के निर्माण हेतु मार्गरेखन की स्वीकृति हो चुकी है। यह रिंग रोड बिहटा में स्थापित हो रहे नये एयरपोर्ट के पास कन्हौली से प्रारंभ होकर डुमरी – लखना – बेलदारीचक – कच्ची दरगाह – चकसिकन्दर – एकारा – अस्तीपुर – दिघवारा – शेरपुर होते हुए पुनः कन्हौली में मिलेगी एवं इसी पथांश में दिघवारा – शेरपुर के बीच गंगा नदी पर एक नये 6–लेन पुल का निर्माण भी शामिल है। निर्माण कार्य हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगभग पूर्ण हो चुका है।

प्रथम चरण में कन्हौली – रामनगर पथांश का 4–लेन निर्माण कार्य एवं शेरपुर–दिघवारा के बीच गंगा नदी पर 6–लेन पुल निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है। बिहटा में प्रस्तावित एयरपोर्ट को पटना से जोड़ने के लिए दानापुर – बिहटा पथ पर 4 लेन एलिवेटेड रोड के मार्गरेखन की स्वीकृति के उपरान्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है। भू–अर्जन कार्य पूर्ण करते हुए इस कार्य हेतु शीघ्र निविदा आमंत्रित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त मुंगेर – मिर्जाचौकी पथ का 4 लेन निर्माण, बरबीघा – जमुई – बांका – पंजवारा 2 लेन पथ का निर्माण, भागलपुर – हंसडीहा पथ का निर्माण, बक्सर – चौसा – रामगढ़ – मोहनियाँ 2 लेन पेभ्ड शोल्डर पथ, हाजीपुर–महनार–बछवाड़ा, चकिया–बैरगनीया आदि कार्यों की स्वीकृति प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। विगत वित्तीय वर्ष में घोषित किये गये लगभग 400 कि०मी० नये राष्ट्रीय उच्च पथों का 2–लेन पेभ्ड सोल्डर के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करा लिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में इसकी स्वीकृति के उपरान्त इन पथो का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतमाला योजना लागू की है। इसके अन्तर्गत औरंगाबाद से दरभंगा तक नये 4–लेन सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। इसका राज्य सरकार द्वारा मार्गरेखन अनुमोदित किया जा चुका है। औरंगाबाद से जहानाबाद होते हुए कच्ची दरगाह – बिदुपुर पुल पार करते हुए ताजपुर से दरभंगा तक इस पथ का निर्माण किया जायेगा। इस मार्गरेखन से दक्षिण एवं उत्तर बिहार के नये इलाकों में 4–लेन पथों का जाल बिछ सकेगा। इसके अतिरिक्त बख्तियारपुर–रजैली पथ, आरा–मोहनियॉ पथ, पूर्णियॉ –नरेनपुर पथ निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर भू–अर्जन का कार्य किया जा रहा है। इन कार्यो हेतु शीघ्र निविदा आमंत्रित की जाएगी।

पी०एम० पैकेज अन्तर्गत पर्यटन

बिहार में जैन परिपथ के विकास हेतु 52.35 करोड़ रू०, काँवरिया परिपथ हेतु 52.35 करोड रू०, मंदार हिल एवं अंग प्रदेश परिपथ हेतु 53.49 करोड़ रू०, गाँधी परिपथ हेतु 44.65 करोड़ रू० स्वीकृत है। कुल मिलाकर 202.84 करोड़ रू० की योजना स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध 103.30 करोड़ रू० व्यय किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त रामायण परिपथ हेतु 67.33 करोड़ रू० तथा 101.41 करोड़ रू० से बौद्ध परिपथ हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

पी०एम० पैकेज के अन्य अवयवों पर भी तेजी से काम हो रहा है।

चरवाहा विद्यालय बनाम आधुनिक विद्यालय

वर्ष 1990 से वर्ष 2005–06 के बीच राज्य में एक भी नया शैक्षणिक संस्थान स्थापित नहीं किया जा सका। वर्ष 1991 में राज्य में 113 चरवाहा विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया और बजट में 1 करोड़ रू० का प्रावधान भी किया गया। कुछ चरवाहा विद्यालय अवश्य खुले परन्तु वे शीघ्र ही बंद हो गए। आज चरवाहा विद्यालय इतिहास के पन्नों में सिमट गए हैं।

वर्ष 2005–06 के बाद चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। IIT, पटना, नालन्दा यूनिवर्सिटी, मोतिहारी और गया में केन्द्रीय विश्वविद्यालय, IIM, गया हेतु तत्परतापूर्वक निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी गयी।

वर्ष 1990–91 से वर्ष 2005–06 तक शिक्षा पर कुल व्यय 38,925.77 करोड़ रू० था वहीं वर्ष 2006–07 से वर्ष 2019–20 तक 2 लाख 17 हजार 392 करोड़ रू० व्यय हुए।

तकनीकी शिक्षा : शक्तिशाली हथियार

इंजीनियरिंग कॉलेज

- राज्य में आजादी के पूर्व पटना इंजीनियरिंग कॉलेज (वर्ष 1886) जो वर्ष 2004 में NIT में परिवर्तित हो गया, MIT, मुजफ्फरपुर (वर्ष 1954), भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज (वर्ष 1960) में स्थापित किए गए।
- वर्ष 1960 से वर्ष 2005 तक बिहार में एक भी नया सरकारी Engineering College स्थापित नहीं हुआ बल्कि मोतिहारी, दरभंगा एवं गया Engineering College जो निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए थे, वे भी बंद हो गए।
- सात निश्चय के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में Engineering College स्थापित करने के लक्ष्य के विरूद्ध सभी 38 जिलों में Engineering College में पठन–पाठन प्रारम्भ कर दिया गया है।
- 15 जिलों में स्थायी परिसर में Engineering की पढ़ाई हो रही है, वहीं शेष 23 जिलों में भवन निर्माणाधीन है जहां पढ़ाई अस्थाई परिसर में की जा रही है।
- इन 38 Engineering College में लगभग 17 हजार छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं।

पोलिटेक्निक

- सात निश्चय के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक Polytechnic संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरूद्ध शैक्षणिक सत्र 2019–20 में बिहार के सभी 38 जिलों में 44 Polytechnic संस्थान कार्यरत है।

- पूर्व से 23 जिलों में स्थापित 29 Polytechnic स्थायी परिसर में कार्यरत है। 8 जिलों में भवन निर्माण पूरा हो चुका है तथा शेष 7 जिलों में निर्माणाधीन है।
- इन 44 Polytechnic में 28,200 छात्र / छात्राएँ अध्ययनरत है।
- वर्ष 2005 के पूर्व राज्य में 13 पालिटेक्निक संस्थान थे जो वर्ष 2019 में बढ़कर 44 हो गए।

ITI

- 7 निश्चय के तहत राज्य सरकार ने सभी 101 अनुमंडलों में ITI तथा प्रत्येक जिले में एक–एक महिला ITI प्रारम्भ करने का निर्णय लिया था। राज्य के सभी 101 अनुमंडल तथा सभी जिलों में महिला ITI स्थापित किये जा चुके हैं।
- वर्तमान में राज्य में कुल 149 सरकारी ITI चल रहे हैं जहां वर्ष 2005 में मात्र 29 ITI थे। 1,202 निजी क्षेत्र में भी ITI संचालित किए जा रहे हैं।
- **स्टूडेंट क्रेडिट कार्य** योजनान्तर्गत 15 जुलाई, 2017 से 10 फरवरी, 2019 तक 85,448 छात्रों को 2,184.25 करोड़ रू० का ऋण स्वीकृत किया गया है। जिसमें 73,141 छात्रों को 850.76 करोड़ रू० ऋण वितरित किया जा चुका है।

  स्वीकृत 85,448 छात्रों में 35,837 OBC, 13,943 EBC, 7,974 SC, 1,137 ST तथा 26,557 सामान्य वर्ग के छात्र हैं।
- **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना** के अंतर्गत 4,14,510 युवकों को 497.1 करोड़ रू० भत्ता के रूप में वितरित किया गया है।
- **कुशल युवा कार्यक्रम** के तहत अब तक 9,50,264 आवेदकों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा 79,406 प्रशिक्षणरत हैं। वर्त्तमान में 1,717 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं तथा सभी 534 प्रखण्ड आच्छादित है।
- सात निश्यच के अन्तर्गत राज्य के 319 शैक्षणिक संस्थानों (विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों) में **निःशुल्क वाई–फाई** स्थापित किया जा चुका है। कुल निबंधित user की संख्या 3,50,000 है एवं यूजर संख्या 45,000 है।

58 वर्षों में केवल 1 मेडिकल कॉलेज
15 वर्षों में 15 नए मेडिकल कॉलेज

बिहार में आजादी के बाद वर्ष 2005 तक मात्र एक सरकारी मेडिकल कॉलज, भागलपुर में वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था। PMCH वर्ष 1925 में तथा DMCH वर्ष 1946 में यानि आजादी के पूर्व स्थापित किए गए थे। NMCH, SKMCH, ANMCH वर्ष 1969–70 में निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किए गए थे जिसे राज्य सरकार ने वर्ष 1978 एवं वर्ष 1979 में अधिग्रहित कर लिया। परन्तु वर्ष 1990 से वर्ष 2005 के बीच एक भी नया मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं किया गया।

राज्य में एनडीए की सरकार आने के बाद 4 नए मेडिकल कॉलेज यथा AIIMS, IGIMS, बेतिया, पावापुरी सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए गए। मधेपुरा में 781.25 करोड़ रू० की लागत से निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा वर्ष 2020–21 शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई प्रारम्भ हो जाएगी।

इसके अतिरिक्त सारण (425.41 करोड़ रू०), पूर्णिया (453.58 करोड़ रू०), समस्तीपुर निर्माणाधीन है। महुआ (वैशाली एवं झंझारपुर (मधुबनी) में निविदा निष्पादित कर LOA निर्गत किया जा चुका है। साथ ही बेगूसराय, सीतामढ़ी, बक्सर, जमुई में मेडिकल कॉलेज खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। भोजपुर एवं सीवान में भी नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा।

इस प्रकार वर्ष 2005 से अबतक 4 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं एवं 11 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं जिसमें 3 निर्माणाधीन है, 2 की निविदा प्रक्रिया पूरी, 4 की मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति एवं 2 अन्य का भी निर्णय लिया जा चुका है।

इसी प्रकार निजी क्षेत्र में पहले से कटिहार एवं किशनगंज में मेडिकल कॉलेज चल रहे थे। वर्ष 2005 के बाद 3 नए सहरसा, मधुबनी, सासाराम में स्थापित किए गए एवं तुर्की (मुजफ्फरपुर) तथा अमहारा (बिहटा) को वर्ष 2020–21 में स्थापना हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है।

राज्य सरकार ने 'स्वास्थ्य विज्ञान' विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अपर सचिव, स्वास्थ्य की अध्यक्षता में 4 सदस्य समिति का गठन किया है।

दक्षिण की नर्सें बनाम बिहार की नर्सें

वर्ष 2005 के पहले राज्य में एक भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं थे। अस्पतालों में केवल दक्षिण की नर्सें दिखाई पड़ती थी। वर्तमान में राज्य में सरकारी 14 GNM, 41 ANM, 22 पारा मेडिकल संस्थान एवं 4 B.Sc. नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं जिसमें कुल 3,519 छात्र संख्या है। वर्ष 2020–21 में 2 GNM, 15 ANM, 8 पारा मेडिकल तथा 1 नर्सिंग कॉलेज और स्थापित किया जाएगा।

निजी क्षेत्र में भी कुल 202 संस्थान चल रहे है जहाँ 14,125 छात्र नामांकित है।

स्वास्थ्य के मानकों में बेहतरीन सुधार

राज्य में पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य के सभी मानकों के उल्लेखनीय प्रगति की है। मातृत्व मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate) (प्रति लाख जीवित जन्म पर) वर्ष 2005 में 312 थी जो वर्ष 2017 में घटकर 165 हो गयी है। शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate) प्रति एक हजार जन्म पर 60 से घटकर 35 हो गई है जो राष्ट्रीय औसत 33 के नजदीक है। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों की मृत्यु (Under 5 Mortality Rate) 75 से घटकर 41 हो गयी है।

संस्थागत प्रसव वर्ष 2005 में 4 प्रतिशत था जो वर्ष 2019 में बढ़कर 79 प्रतिशत, टीकाकरण 18.6 प्रतिशत से बढ़कर 84 प्रतिशत, कुल प्रजन्न दर 4.3 से घटकर 3.2 पर पहुँच गई है। कालाजार के मामले वर्ष 2005 में 23,383 से घटकर वर्ष 2019 में मात्र 2416 रह गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत वर्ष 1990–91 से वर्ष 2005–06 तक कुल 1,012.74 करोड़ रू० व्यय हुआ वहीं वर्ष 2006–07 से वर्ष 2019–20 तक कुल 51,067 करोड़ रू० व्यय हुए हैं।

दलितों का सामूहिक नरसंहार

राज्य में वर्ष 1995 से वर्ष 2000 तक दलितों के सामूहिक नरसंहार का सिलसिला चल पड़ा था। वर्ष 1996 में बथानी टोला में 21 दलित, वर्ष 1997 में लक्ष्मणपुर बाथे में 58 दलित, मियांपुर में 32, हैबसपुर (पटना जिला) में 10, शंकरबीघा में 23, नारायणपुर में 11 दलित रात के अंधेरे में या पंक्ति में खड़ा कर गोलियों से भून दिए गए थे।

वर्ष 2005 नवम्बर में राज्य में एनडीए सरकार बनने के बाद नरसंहारो का यह सिलसिला पूरी तरह से थम गया। पिछले 15 वर्षों में राज्य में एक भी सामूहिक दलित नरसंहार की घटना नहीं घटी है।

23 वर्षों तक चुनाव नहीं
2001 में बिना आरक्षण चुनाव
2006 में SC, ST, EBC, महिला आरक्षण

वर्ष 1978 के बाद 23 वर्षों तक राज्य में पंचायतों और नगर निकायों का चुनाव नहीं हुआ। वर्ष 2001 में जब चुनाव कराया गया तो संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति/जन जाति को एकल पदों पर आरक्षण का प्रावधान किए बिना चुनाव करा दिया गया।

वर्ष 2006 में राज्य में एनडीए सरकार आने के बाद SC/ST को 17 प्रतिशत, अति पिछड़ा को 20 प्रतिशत के साथ–साथ पूरे देश में पहली बार महिलाओं को 50 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर चुनाव कराया गया। वर्ष 2006 के बाद वर्ष 2011, वर्ष 2016 में आरक्षण के साथ चुनाव सम्पन्न कराया गया।

23 वर्षों तक चुनाव नहीं कराने के परिणामस्वरूप जहाँ एक ओर SC/ST के लोग आरक्षण से वंचित रह गए वहीं वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों को मिलने वाले अरबों के अनुदान से भी बिहार वंचित हो गया।

35% महिला आरक्षण : बिहार देश में अगुआ

बिहार देश का पहला राज्य है जिसने महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर निकायों के सभी स्तर पर 50 प्रतिशत के आरक्षण के बाद सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत का आरक्षण 15 फरवरी, 2016 के प्रभाव से लागू कर दिया है।

राज्य के विभिन्न भर्त्ती आयोगों यथा बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, केन्द्रीय सिपाही चयन पर्षद एवं बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा कुल अनुशंसित 40,884 अभ्यर्थियों में 20,572 महिला सफल अभ्यर्थी है जो कुल अनुशंसित अभ्यर्थियों का 50.32 प्रतिशत है।

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2020–21 में 3,787 पदों, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा 14,196 पदों, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 20,231 पदों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 22,512 पदों, बिहार पुलिस सब आर्डिनेट सर्विस कमीशन द्वारा 2,654 पदों पर कुल 63,384 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

इसके अतिरिक्त नवगठित बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा भी बड़ी संख्या में सहायक प्राचार्य / सह प्राचार्य / प्राचार्य की नियुक्ति की कार्रवाई वर्ष 2020–21 में की जायेगी।

IT क्रांति से अब दूर नहीं बिहार

वर्ष 2005 के पहले कुछ महत्वपूर्ण लोग कहते थे IT-YT क्या होता है? परिणामतः IT की दौड़ में बिहार पिछड़ गया। पिछले वर्षों में राज्य सरकार ने सभी क्षेत्रों में व्यापक कम्प्यूटरीकरण करने का काम किया है।

State Data Centre 2.0 : राज्य की e-governance की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 3.51 करोड़ रू० की लागत से State Data Centre के बाद State Data Centre 2.0 स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान के बाद बिहार दूसरा राज्य होगा जिसके द्वारा Tier III डाटा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है।

Bihar State Wide Area Network (BSWAN) के माध्यम से राज्य मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर के कार्यालयों को एक नेटवर्क से जोड़ते हुए Voice, data एवं Video Connectivity दी गई है।

वर्ष 2019 में अब तक 3,129 Video कान्फ्रेन्सिंग आयोजित की गई है। सभी थानों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। 473.63 करोड़ रू० की इस परियोजना पर अब तक 204.1 करोड़ रू० व्यय किया जा चुका है।

Human Resource Management System के तहत राज्य के सभी कर्मियों की कार्मिक संरचना (सम्वर्ग, ग्रेड पे, वेतन स्तर), सेवाशर्त, देय लाभ (पेंशन, अवकाश, भविष्य निधि) ई–सेवा पुस्तिका एवं अन्य अभिलेखों का संधारण, अद्यतनीकरण आदि सभी कार्य ऑनलाईन Software आधारित होगी। इससे सभी सरकारी सेवकों के सेवानिवृति की जानकारी Digital माध्यम से उपलब्ध होगा। वर्ष 2020–21 में इस योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य है।

Comprehensive Financial Management System (CFMS) राज्य का समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कारण राज्य का कोषागार सहित सम्पूर्ण वित्तीय कार्य ऑन लाईन एवं पेपर लेस हो गया है। बजट निर्माण, आवंटन, प्रत्यर्पण, कोषागार से निकासी आदि पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हो गया है।

सरकारी कर्मियों, संवेदकों, आपूर्तिकर्ताओं को बिना कोषागार / कार्यालय गए उनके खाते में भुगतान हो रहा है।

आँगनबाड़ी कार्यकर्ता
स्मार्ट फोन से लैस

राज्य सरकार ने राज्य की लगभग 2 लाख आँगनबाड़ी कार्यकताओं (AWWs) को Smart Phone उपलब्ध करा दिया है। पूरक पोषाहार, प्री–स्कूल, अनौपचारिक शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच आदि सभी सूचनाओं को पहले जहाँ 8.2 कि०ग्रा० भार वाले 11 रजिस्टर में दर्ज करना पड़ता था अब स्मार्टफोन में 10 module में संधारित किया जाता है।

अभीतक 1.43 करोड़ परिवार स्मार्ट फोन पर निबंधित किए जा चुके हैं जिसमें 8.18 करोड़ आबादी आच्छादित है और 1.25 करोड़ लोगों को आँगनबाड़ी सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है।

अब राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं को भी स्मार्ट फोन उपलब्ध कराएगी ताकि आशा और AWW कार्यकर्ता समान Database पर बच्चों एवं महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचा सके।

पर्यटक : अतिथि देवो भवः

राज्य में वर्ष 2009 में 4.23 लाख विदेशी पर्यटक आए थे जिनकी संख्या वर्ष 2019 में बढ़कर 10.93 लाख हो गयी। देशी पर्यटको की संख्या भी इस दौरान 1.57 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ 39 लाख 90 हजार हो गयी।

चप्पल वाले का भी हवाई सफर

पटना एयरपोर्ट की क्षमता 7 लाख यात्री प्रति वर्ष है, परन्तु वर्ष 2018–19 में 40 लाख 61 हजार लोगों ने यात्रा की जबकि वर्ष 2005–06 में 2 लाख 18 हजार लोगों ने यात्रा की थी। यानि 15 वर्षों में यात्रियों की संख्या में 20 गुणा की वृद्धि हो गयी। एयरक्राफ्ट Movement भी 4,160 से 8 गुणा बढ़कर 32,169 हो गया है।

भारत सरकार के सहयोग से पटना एयरपोर्ट को 1,216 करोड़ रू० की लागत से 80 लाख यात्री प्रति वर्ष की क्षमता वाले एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। 11.35 एकड़ भूमि बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा 41.5 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध करायी जा रही है।

इसके अतिरिक्त दरभंगा, बिहटा तथा पूर्णिया एयरपोर्ट का भी विकास किया जा रहा है। दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा जमीन के मद में 121.43 करोड़ रू० तथा बिहटा में 108 एकड़ भूमि हेतु 260 करोड़ रू० उपलब्ध करा दिया गया है।

मूक पशु : विकास में अभूतपूर्व योगदान

वर्ष 1990 के दशक में राज्य के पशुपालन विभाग में चारा घोटाला हुआ था। पशुपालन विभाग का वर्ष 1990–91 से वर्ष 1995–96 के बीच बजट आवंटन 411.61 करोड़ रू० था जिसके विरूद्ध खजाने से 1017.97 करोड़ रू० की निकासी कर ली गई। यानि आवंटन से 606.36 करोड़ रू० अधिक की अवैध निकासी हो गई। इस मामले में दर्जनों राजनेता, अधिकारी जेल की सजा काट रहे हैं। चारा घोटाला के बाद पशुपालन विभाग प्रायः मृत प्राय हो गया था।

वर्ष 2005 में राज्य का **मत्स्य उत्पादन** 2.79 मे० टन था जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर 6.02 लाख मे० टन हो गया है। Inland मछली के उत्पादन में बिहार 4था स्थान पर है। वर्ष 2005 में Fingerlings का उत्पादन 344.9 मिलियन था जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर 1,024.5 मिलियन हो गया। वर्ष 2019–20 के अन्त तक राज्य मत्स्य उत्पादन में आत्म निर्भर हो जाएगा।

गव्य प्रक्षेत्र का योजना आकार वर्ष 2005 में 1 करोड़ 92 लाख था जो वर्ष 2020 में बढ़कर 110.77 करोड़ हो गया है। वर्ष 2005 में दुग्ध उत्पादन 5.65 लाख लीटर/दिन से बढ़कर वर्ष 2020 में 19.41 लाख लीटर/दिन, दुध का विपणन (Marketing) 4.96 लाख लीटर/दिन से बढ़कर 15.05 लाख हो गया है।

अंडा का उत्पादन वर्ष 2015 में 100 करोड़ था जो वर्ष 2019–20 में बढ़कर 265 करोड़ होने का अनुमान है। वर्ष 2016–17 में प्रति व्यक्ति अंडा की उपलब्धता 11 थी जो बढ़कर वर्ष 2020 में 25 हो गयी है। अंडा उत्पादन में इस शानदार प्रदर्शन के कारण एग्रीकल्चर टूडे ग्रुप ने बिहार को 'Best State Award in Poultry' प्रदान किया है।

पिछले 3 वर्षों में गैर कृषि उत्पादन यथा अंडा उत्पादन (138 प्रतिशत), माँस (19.63 प्रतिशत), मछली (18.47 प्रतिशत), दूध (17.43 प्रतिशत) में वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण पिछले वर्षों में 7 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

- वर्ष 2018–19 में Global Agriculture Leadership Award for best performance in Animal Husbandry Sector दिया गया।
- वर्ष 2018–19 में ही भारत सरकार के संस्थान NCDC द्वारा COMFED को Best Co-operative Award दिया गया।
- वर्ष 2019–20 में COMFED एग्रिकल्चर टूडे समूह द्वारा Best State Milk Federation का पुरस्कार दिया गया।
- वर्ष 2019 में COMFED को Learning and Development के लिए BML Munjal Award दिया गया।
- वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा GeM portal के माध्यम से Highest Procurement के लिए पुरस्कार दिया गया।
- वर्ष 2019 में ही SKOCH Governance Excellence Award पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया।
- वर्ष 2019–20 में अंडा उत्पादन के लिए Best Poultry State Award दिया गया।

बिहार की सफलता
दूसरे राज्यों के लिए नजीर

विभागों के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जहाँ राज्य को अनेक पुरस्कार मिले वहीं बिहार की नवाचार योजनाओं एवं सफल कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए दूसरे राज्यों की टीम ने बिहार का भ्रमण किया।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम में शिकायकर्ता एवं शिकायत का निवारण करने वाले पदाधिकारी को आमने–सामने बैठाकर सुनवाई की जाती है तथा शिकायत का निवारण किया जाता है। इसके क्रियान्वयन का अध्ययन करने कर्नाटक के वरीय अधिकारियों ने 5–6 फरवरी, 2020 को बिहार का दौरा किया। इसके पूर्व कर्नाटक ने बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम का भी अध्ययन कर उसे कर्नाटक में लागू किया था।

उसी प्रकार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए कोडिंग, उत्तर पुस्तिकाओं का डबल कोडिंग, स्कैनिंग एवं मूल्यांकन CCTV कैमरे की निगरानी में कराने, साक्षात्कार बोर्ड का गठन Randomise कम्प्यूटरीकृत तरीके से करने आदि पारदर्शिता लाने हेतु पूरी पद्धति की जानकारी तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, मेघालय, गोवा, गुजरात सहित अनेक राज्यों के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों ने ली। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने भी इसकी भूरी–भूरी सराहना की।

ज्ञातव्य है कि 2005 के पहले बिहार लोक सेवा आयोग के दो–दो अध्यक्ष डा० लक्ष्मी राय व रजिया तबस्सुम तथा सदस्य श्री शिवबालक चौधरी, डा० डी०एन० शर्मा व डा० राम सिंहासन सिंह को परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप में जेल जाना पड़ा था तथा एक अन्य अध्यक्ष श्री रामाश्रय यादव को सेवानिवृति की तिथि को निलम्बित किया गया था।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा रिकार्ड समय में वर्ष 2019 का परीक्षाफल प्रकाशित करने तथा परीक्षा प्रणाली को पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत करते हुए पारदर्शी तरीके से परीक्षा संचालन पद्धति की अन्य राज्यों के विभिन्न बोर्डों ने सराहना की है।

इस क्रम में नेपाल की राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड तथा छत्तीसगढ़ बोर्ड के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बिहार का दौरा कर बिहार बोर्ड के नवाचार प्रयोगों का अध्ययन किया।

बिहार में शराबबंदी का अध्ययन करने पहले कर्नाटक और पिछले दिनों राजस्थान की एक उच्चस्तरीय टीम ने बिहार का भ्रमण किया।

कॉरपोरेशन : मुर्दों में नई जान

वर्ष 2005 के पूर्व राज्य के अधिकांश बोर्ड–कॉरपोरेशन या तो बंद हो गए थे या घाटे के कारण बंदी के कगार पर थे। राज्य में NDA की सरकार बनने के बाद पुनर्जीवित करने योग्य बोर्ड को पुनः प्रारम्भ किया गया तथा अलग–अलग क्षेत्रों के लिए नए–नए कॉरपोरेशन का गठन किया गया।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० – वर्ष 2005 में लगभग बंद पड़े इस निगम ने वर्ष 2005 से सितम्बर, 2019 तक 12,704 करोड़ रू० की लागत से 2,202 परियोजनाओं को पूरा कर वर्ष 2018–19 में 80.66 करोड़ रू० का Gross Profit अर्जित किया है।

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० – राज्य में सड़कों के निर्माण, रख–रखाव आदि हेतु कोई निगम नहीं था। वर्ष 2009 में स्थापित इस निगम ने सितम्बर, 2019 तक 8,889.92 करोड़ रू० का कार्य कर वर्ष 2018 में 48.95 करोड़ रू० का लाभ अर्जित किया है।

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि० (BMSICL) - स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत दवाओं, मेडिकल उपकरणों की खरीद तथा स्वास्थ्य से जुड़े भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2010 में राज्य सरकार ने इस कॉरपोरेशन का गठन किया।

इस कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 2019–20 में लगभग 1,271.35 करोड़ रू० व्यय कर 97 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है तथा वर्ष 2020–21 में 955.63 करोड़ रू० की लागत से 150 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है।

इसके अतिरिक्त बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि०, बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण भी सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं।

15वाँ वित्त आयोग : हिस्सेदारी बढ़ी
बेहतर वित्तीय प्रंबधन का नुकसान

श्री एन० के० सिंह की अध्यक्षता वाली 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केन्द्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी 10.061 प्रतिशत निर्धारित की गई है जो 14वें वित्त आयोग के तुलना में 0.396 प्रतिशत ज्यादा है। 12वें वित्त आयोग में यह हिस्सेदारी 11.028 प्रतिशत थी जो घटकर 13वें में 10.917 प्रतिशत, 14वें में 9.665 प्रतिशत हो गई थी। 10 वर्षों के बाद पहली बार बिहार की हिस्सेदारी में 0.396 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

वर्ष 2019–20 में केन्द्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी 89,121 करोड़ रू० का अनुमान किया गया था परन्तु केन्द्रीय करों के कम संग्रह होने के कारण संशोधित अनुमान 63,406.33 करोड़ रू० है। वर्ष 2020–21 में 91,180 करोड़ रू० का बजट प्रावधान किया गया है।

राज्य आपदा रिस्क प्रबन्धन कोष हेतु 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020–21 में बिहार के लिए 1,416.00 करोड़ रू० की अनुशंसा की है जो वर्ष 2019–20 के 427.50 करोड़ रू० की तुलना में 988.50 करोड़ रू० ज्यादा है।

स्थानीय निकायों के लिए की गई अनुशंसा में 50 प्रतिशत Basic Grant है जो untied है जिसे निकाय अपनी आवश्यकतानुसार योजना बनाकर खर्च कर सकेंगे। साथ ही शेष 50 प्रतिशत राशि tied है जिसे स्वच्छता, पेय जल, Rain water harvesting पर खर्च किया जा सकेगा।

ज्ञातव्य है कि 14वें वित्त आयोग में 10–20 प्रतिशत राशि Performance Grant के रूप में थी जिसके मानदण्ड इतने जटिल थे कि बिहार कभी उसका लाभ नही उठा पाया। परन्तु अब पूरी की पूरी राशि बिहार प्राप्त कर सकेगा।

इसी प्रकार **पंचायती राज संस्थाओं** की राशि जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायत के बीच वितरित की जा सकेगी जबकि 14वें वित्त आयोग ने जिला परिषदों, पंचायत समितियों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था।

पूर्व के आयोगों ने ग्रामीण और शहरी निकायों के बीच 70:30 के अनुपात में राशि का बंटवारा किया था। परन्तु 15वें वित्त आयोग ने बढ़ते शहरीकरण के मद्देनजर शहरों के लिए 32.5 प्रतिशत और ग्रामीण निकायों के लिए 67.5 प्रतिशत हिस्सेदारी का प्रावधान किया है।

परिणामतः **शहरी निकायों** को जहाँ वर्ष 2019–20 में 818.90 करोड़ रू० का प्रावधान था वहीं वर्ष 2020–21 में 1,597.10 करोड़ रू० की बढ़ोत्तरी करते हुए 2,416.00 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं के लिए 5,018.00 करोड़ रू० का प्रावधान है जिसे सभी त्रि–स्तरों के बीच वितरित किया जाएगा।

इस 2,416.00 करोड़ रू० में ही पटना शहर के लिए 408 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है जिसमें 204 करोड़ रू० वायु की गुणवत्ता में सुधार तथा शेष 204 करोड़ रू० स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर खर्च किया जा सकेगा।

Revenue Defict Grant
विकसित राज्यों को लाभ

बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण बिहार 15वें वित्त आयोग की एक बड़ी राशि से वंचित हो गया है। 15वें वित्त आयोग ने Revenue Deficit Grant के रूप में 14 राज्यों के लिए वर्ष 2020–21 में 74,340 करोड़ रू० की अनुशंसा की है। राजस्व प्राप्तियाँ (Revenue Receipt) में से राजस्व व्यय (Revenue Expenditure) वहन करने के पश्चात् शेष बचत राजस्व आधिक्य (Revenue Surplus) कहा जाता है। बिहार वर्ष 2008–09 से लगातार राजस्व आधिक्य (Revenue Surplus) राज्य रहा है। वर्ष 2020–21 में भी बिहार में 19,172 करोड़ रू० राजस्व आधिक्य रहेगा जिसका उपयोग पूँजीगत परिव्यय (Capital Expenditure) यानि सड़क, पुल, भवन आदि संरचनात्मक कार्यों पर किया जा सकेगा।

देश के कई विकसित राज्य यथा पंजाब, केरल, प० बंगाल, कर्नाटक आदि में प्रति व्यक्ति वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान आदि पर व्यय काफी ज्यादा है और इस कारण वे Revenue Deficit राज्य है पर चूंकि बिहार ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन किया इस कारण वह Revenue Deficit Grant से वंचित हो गया। वर्ष 2020–21 में केरल को 15,323 करोड़ रू०, पंजाब को 7,659 करोड़ रू०, तलिमनाडु को 4,025 करोड़ रू०, प० बंगाल को 5,013 करोड रू०, हिमाचल को 11,431 करोड़ रू० एवं अन्य 9 राज्यों को 74,340 करोड़ रू० Revenue Deficit Grant के रूप में मिलेगा।

अब मैं विभागवार प्रस्ताव लेता हूँ।

कृषि विभाग

- वर्ष 2020–21 में कृषि विभाग का स्कीम मद में 2395.08 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 757.73 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 3152.81 करोड़ रू० है।

- गेंहूँ एवं मक्का के उत्पादन तथा उत्पादकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता के लिए भारत सरकार द्वारा 02 जनवरी, 2020 को राज्य को गेंहूँ एवं मोटे अनाज (मक्का) श्रेणी में **02 कृषि कर्मण पुरस्कार** दिया गया है।

- कृषि विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने हेतु शुरू की गई ऑनलाईन पंजीकरण की व्यवस्था के तहत अब तक 1.13 करोड़ किसान पंजीकृत हो चुके हैं तथा विभिन्न योजनाओं की राशि उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जा रही है।

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 50.84 लाख किसानों को 2,670 करोड़ रू० बैंक खाते में भेजे गये हैं।

- **मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम** के तहत नये फसल प्रभेद एवं नयी बुआई की विधियों जैसे हैप्पी सीडर व जीरो टिलेज से तथा रेज्ड बेड पर बुआई एवं तकनीक तथा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के अतिरिक्त संरक्षित खेती की विधियों को अपनाने, खरीफ, गर्मा एवं रबी तीनों मौसम में उपयुक्त फसल चक्र को अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित एवं प्रेरित किया जा रहा है।

  वर्ष 2019–20 से वर्ष 2023–2024 तक के लिए कुल 05 वर्षों के लिए कुल 6,065.50 लाख रू० की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

- इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के प्रमुख कृषि शोध संस्थानों यथा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, बॉरलौग इन्सटीच्यूट ऑफ साउथ एशिया, पूसा एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पूर्वी क्षेत्र, पटना के द्वारा किया जा रहा है।

- इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019–20 में आठ जिलों यथा– गया, नवादा, नालंदा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया एवं मधुबनी के 40 गाँवों में सीधे कृषि वैज्ञानिकों के देख–रेख में 1,442 एकड़ में प्रत्यक्षण लगाये गये हैं तथा वर्ष 2020–21 में इसे सभी जिलों में लागू किया जायेगा।

- **टपकण सिंचाई** तथा माइक्रो स्प्रिंक्लर के लिए राज्य सरकार किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान दे रही है।

- राज्य स्कीम के अधीन **जैविक खेती प्रोत्साहन योजना** अंतर्गत बिहार राज्य जैविक मिशन का गठन एवं जैविक कोरिडोर में 12 जिलों में जैविक खेती हेतु अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण की योजना हेतु वर्ष 2019–20 से वर्ष 2021–22 तक तीन वर्षों के लिए कुल 155.88 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है।

इस कार्यक्रम के तहत किसानों को जैविक इनपुट के उपयोग के लिए 11,500 रू० प्रति एकड़ की दर से अग्रिम अनुदान दिया जायेगा। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्मी कम्पोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक के व्यवहार को प्रोत्साहित किया जायेगा। वर्ष 2019–20 में 21,000 एकड़ में जैविक खेती का लक्ष्य है।

- जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए **जैविक प्रमाणीकरण** के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी (बसोका) द्वारा राज्य के किसानों का जैविक प्रमाणीकरण का कार्य निःशुल्क किया जायेगा। वर्ष 2020–21 में 21 हजार एकड़ में जैविक प्रमाणीकरण किया जायेगा।

- **फसल अवशेष के प्रबंधन** विषय पर राज्य सरकार के द्वारा 14–15 अक्टूबर, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। राज्य सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन हेतु किसानों की सहायता हेतु इससे जुड़े विभिन्न कृषि मशीनों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2019–20 में कृषि यांत्रिकरण योजना के लिए स्वीकृत राशि का 15 प्रतिशत अर्थात् 23.87 करोड़ रू० फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े यंत्रों के लिए कर्णांकित किया गया है।

  इस वर्ष फसल अवशेष जलाते हुये चिन्हित 369 किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं के लाभ से तीन वर्षों के लिए वंचित किया गया है। वर्ष 2020–21 में फसल अवशेष के मूल्य संवर्धन के लिए कार्यक्रम चलाये जायेंगे जिससे किसानों को फसल अवशेष का भी मूल्य प्राप्त होगा।

- वर्ष 2019–20 में शुरू की गई **खेत में ही जल संचय** की नयी योजना के तहत 60 करोड़ रू० स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2020–21 में इस योजना के तहत खेत में तालाब के निर्माण तथा संचित वर्षाजल के उपयोग से तीनों कृषि मौसम में उपयुक्त फसल चक्र को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

- वर्ष 2020–21 में **जलछाजन विकास योजनान्तर्गत** 979 विभिन्न आकार के भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित संरचना का निर्माण/जीर्णोद्धार तथा 38,974 हेक्टेयर में पौधा रोपण तथा राज्य योजनांतर्गत 4,249 भूमि एवं जल संरक्षण संबंधी संरचना का निर्माण/जीर्णोद्धार तथा 997.44 हेक्टेयर में पौधा रोपण का कार्य किया जायेगा।

- वर्ष 2019–20 में 97,358 किसानों का प्रशिक्षण एवं 46,123 किसानों का प्रमुख कृषि संस्थानों में परिभ्रमण कराया गया तथा 712 किसान पाठशाला, 543 किसान गोष्ठी एवं 36 किसान वैज्ञानिक वार्तालाप का आयोजन किया गया।

- **नये प्रकार के कृषि यंत्रों** को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2019–20 में 163.51 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है तथा राज्य सरकार 81 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है।

- फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 75 प्रतिशत तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

- बिहार के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों पर किसानों को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं इन यंत्रों के परीक्षण में लगने वाले शुल्क की शत–प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान किया गया है।

- राज्य अब तक 106 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की गयी है।

- वर्ष 2020–21 में जीविका समूह की दीदियों को शामिल करते हुये कृषि यंत्र बैंक को पंचायत स्तर पर स्थापित किया जायेगा

- **बागवानी विकास योजनाओं** के तहत वर्ष 2019–20 में 585 हेक्टेयर में आम, 24 हेक्टेयर में अमरूद, 98 हेक्टेयर में लीची, 1,383 हेक्टेयर में टिशू कल्चर केला, 91 हेक्टेयर में पपीता, 11 हेक्टेयर में स्ट्रॉबेरी के नये बागान की स्थापना के लिए किसानों को 08.97 करोड़ रू० की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी है।

- बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा वर्ष 2019–20 में 62.25 करोड़ रू० की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- वर्ष 2019–20 में पायलट परियोजना के रूप में राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक प्रखंड के एक ग्राम के सभी फार्म होल्डिंग का मिट्टी नमूना संग्रह कर जाँचोपरान्त **मृदा स्वास्थ्य कार्ड** तैयार किया जा रहा है।

  इस योजना के तहत इस वर्ष कुल 82,852 नमूनों का संग्रहण एवं 52,947 नमूनों का विश्लेषण तथा कुल 27,808 मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ग्राम स्तरीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला परियोजना भी चलायी जा रही है।

- भारत सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को 18वाँ स्थान प्राप्त हुआ है तथा इसके ICT based e-Agricultural Extension for Enhanced Technology and Information Delivery परियोजना को ई–गवर्नेन्स के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है।

- कृषि रोड मैप के अधीन वर्ष 2020–21 में राज्य में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को गति प्रदान करने के लिए कृषि अभियंत्रण/कृषि व्यवसाय प्रबंधन/जैव प्रौद्योगिकी/फूड टेक्नोलॉजी/सामाजिक विज्ञान के नये महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी।

- राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शोध को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभा सम्मान योजना की शुरूआत की जायेगी, जिसमें विश्वविद्यालय के द्वारा पेंटेंट कराये जाने, प्रभेद विकसित करने आदि प्रमुख उपलब्धियों के लिए विश्वविद्यालय को **अनुसंधान प्रोत्साहन ग्रान्ट** दिया जायेगा।

इसके साथ ही कृषि छात्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर प्रतिभा को सम्मानित करने के उद्देश्य से छात्रों को **प्रतिभा स्टाइपेंड योजना** की शुरूआत की जायेगी।

- कृषि बाजारों के आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए राज्य योजना से 124 करोड़ रू० स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2020–21 में कृषि बाजारों को राष्ट्रीय स्तर के ई–नाम से जोड़ा जायेगा जिसके फलस्वरूप राज्य के कृषि उत्पादों की बिक्री देश भर में हो सकेगी तथा किसानों को अधिक मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

पथ निर्माण विभाग

- वर्ष 2020–21 में पथ निर्माण विभाग का स्कीम मद में 5581.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 1125.11 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 6706.11 करोड़ रू० है।

- वर्ष 2019–20 में 263.47 करोड़ रू० की लागत से **चकिया केसरिया सत्तरघाट पथ** के कि०मी० 27 में गंडक नदी पर 9.50 कि०मी० लम्बाई के पहुँच पथ सहित 1,440 मीटर लम्बा उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल एवं 125.24 करोड़ रू० की लागत से पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत **धनहा–रतवल पुल** के विस्तारित पहुँच पथ का निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- वर्ष 2019–20 में **मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजनान्तर्गत** 11.05 करोड़ रू० की लागत से 3 परियोजनायें तथा 589.74 करोड़ रू० की लागत से 50 अन्य परियोजनायें पूरी कर ली जायेंगी।

- पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (OPRMC - Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत 6,654.76 करोड़ रू० के व्यय से राज्य के कुल 13,063.27 कि०मी० पथांश लम्बाई का 7 वर्षों के लिए संधारण की स्वीकृत प्रदान की गई है एवं कार्य प्रगति में है।

- OPRMC के दूसरे चरण में पथ के विष्टियों को और भी उन्नत किया गया है तथा पथों के Roughness level को और कम करते हुए 3500mm/km के जगह पर 2500mm/km कर दिया गया है। OPRMC-2 में रोड सेफ्टी से संबंधित कार्य कराये जा रहे हैं तथा इसके प्रत्येक पैकेज में एक रोड सेफ्टी Ambulance का परिचालन किया जा रहा है।

- राज्य उच्च पथों को चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय उच्च पथों के मानक के अनुरूप बनाया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में पाँच प्रमुख स्टेट हाइवे यथा–1,859.57 करोड़ रू० की लागत से कुल 231.75 कि०मी० लम्बाई के SH-82 (कादिरगंज–खैरापथ), SH-84 (घोघा–पंजवारा पथ), SH-102 {बिहिया (एन.एच 84)–जगदीशपुर–पीरो–बिहटा (एस.एच.–81)}, SH-58 (उदाकिशनगंज–भटगामा पथ) एवं SH-85 (अकबरनगर–अमरपुर पथ) का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- Asian Development Bank के US$ 331.01 मिलियन के वित्त पोषण से लगभग 2,918.12 करोड़ रू० की लागत से 7 राज्य उच्च पथ यथा भभुआ–अघौरा पथ (SH-80) 15.4 कि०मी०, मनसी–हरदीचौघारा पथ (SH-95) 14.11 कि०मी०, कटिहार–बलरामपुर पथ (SH-98) 62.88 कि०मी०, वायसी–बहादुरगंज–दीघल बैंक पथ (SH-99) 66.35 कि०मी०, बेतिया–भीखनाठोरी पथ (SH-105) 35.70 कि०मी०, अम्बा–देव –मदनपुर–गया पथ (SH-101) 75.481 कि०मी० एवं मांझवे–गोविंदपुर पथ (SH-103) 42.069 कि०मी० कुल लम्बाई 310.99 कि०मी० की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

- पथों के शोध, विकास एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु ADB के वित्त पोषण से BSHP-III के तहत देश की अग्रणी संस्था केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान परिषद् को co-mentor नियुक्त करते हुए बिहार सड़क शोध संस्थान (Bihar Road Research Institute) की स्थापना की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी गई है तथा MOU के हस्ताक्षर की कार्रवाई की जा रही है।

- लगभग 1,031.00 करोड़ रू० की लागत से मीठापुर फ्लाईओवर से मीठापुर फार्म होते हुए महुली (राम गोविंद सिंह हाल्ट) तक पटना–गया रेल लाईन के पूरब एलिवेटेड मीठापुर–महुली पथ का JICA वित्त पोषण से निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इससे राज्य के दक्षिणी हिस्सों से पटना रेलवे स्टेशन एवं राजधानी में आवागमन में सुगमता होगी।

- 379.57 करोड़ रू० के लागत से EPC पद्धति पर आर० ब्लॉक –दीघा पथ फेज–1 के कुल 6.30 कि०मी० पथांश लंबाई में 6–लेन पथ (सर्विस लेन सहित) फ्लाईओवर, ड्रेन एवं फुटपाथ निर्माण तथा मेडियन कार्य प्रगति पर है। फेज–2 में इस पथ को 69.56 करोड़ रू० के व्यय से गंगा पथ, J.P. सेतु एवं AIIMS-Digha Elevated Corridor से जोड़ा जायेगा।

- वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए **सड़क संपर्क योजना** (RCPLWEA) के अन्तर्गत कुल लागत राशि 1,639 करोड़ रू० से राज्य के 5 जिलों यथा औरंगाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, जमुई एवं बाँका में 1,038 कि०मी० लम्बाई के 64 पथों, एवं 2,876 मी० लम्बाई के 41 पुलों का निर्माण कार्य प्रगति में है। अबतक 248 कि०मी० पथों में कार्य पूर्ण हो चुका है।

- भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2019 में राज्य के 4 जिलों यथा कैमूर, रोहतास, नवादा एवं जमुई में 75 अदद् अतिरिक्त पथों एवं 9 अदद् पुलों का निर्माण RCPLWEA योजना के तहत् किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। इनमें से आवश्यक 630 कि०मी० लम्बाई के 54 पथों एवं 2,288 मी० लम्बाई के 35 पुलों के लिए अनुमानित लागत 853 करोड़ रू० का DPR तैयार कर केंद्र सरकार को समर्पित है।

- हार्डिंग पार्क स्थित राज्य सरकार की 4.8009 एकड़ भूमि के बदले रेलवे की पटना घाट–पटना साहिब की 18.5495 एकड़ भूमि तथा दानापुर स्टेशन के पास 9.5913 एकड़ भूमि का राज्य सरकार एवं रेलवे के बीच मूल्यांकन के आधार पर परस्पर आदान–प्रदान एवं तदसंबंधी MOU हस्ताक्षरित करने का निर्णय लिया गया है।

- पथों के अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 450.00 करोड़ रू० अग्रिम प्राप्त करने एवं वित्तीय अनुपूरक आगणन से उसकी प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- पथ प्रमंडल मुंगेर अंतर्गत भीमबाँध वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र में 31.41 करोड़ रू० के अनुमानित लागत पर कुण्डास्थान से भीमबांध वन पथ (कुल 9.554 कि०मी०) में मिट्टी कार्य, पथ परत कार्य, HP Culvert निर्माण कार्य, Minor Bridge निर्माण कार्य, Diversion कार्य सहित उन्नयन कार्य हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

वर्ष 2020-21 में पूर्ण किये जाने वाले मेगा परियोजनाओं का लक्ष्य : 1301.48 करोड़ रू०

- 509.00 करोड़ रू० के लागत से गोपालगंज जिले के बंगरा घाट पर मुजफ्फरपुर एवं सारण जिला को जोड़ने हेतु कुल 1,506 मीटर लम्बे पुल एवं 18.50 कि०मी० लम्बे पहुँच पथ का निर्माण।

- 166.15 करोड़ रू० के लागत से पटना को जाम से मुक्त रखने के क्रम में मीठापुर उपरी पुल से भिखारी ठाकुर (यारपुर) उपरी पुल भाया आर० ब्लाक जंक्शन का पहुँच पथ सहित लगभग 1,270 मीटर लम्बा उपरी पुल।

- 121.86 करोड़ रू० के लागत से मीठापुर फ्लाई ओवर से चिरैयाटांड़ फ्लाई ओवर तथा करबिगहिया को जोड़ने हेतु पहुँच पथ सहित लगभग 1,128 मीटर लम्बा उपरी पुल का निर्माण।

- 391.47 करोड़ रू० के लागत से पटना के बेली रोड में ललित भवन से विद्युत भवन तक ऊपरी पथ, अंडरपास एवं मल्टी जंक्शन इंटरचेंज (लोहिया पथ चक्र) परियोजना का निर्माण।

- 113.00 करोड़ रू० के लागत से रेल–सह–सड़क पुल दीघा–पटना के सड़क मार्ग के पहुँच पथ (सारण तरफ) के पहुँच पथ फेज–2 का निर्माण।

- **मुख्य मंत्री सेतु निर्माण** योजनान्तर्गत 10.14 करोड़ रू० की लागत से 4 परियोजनायें एवं 633.61 करोड़ रू० की लागत से अन्य 39 परियोजनायें पूर्ण करना।

ग्रामीण कार्य विभाग

- वर्ष 2020–21 में ग्रामीण कार्य विभाग का स्कीम मद में 9619.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 1019.89 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 10638.89 करोड़ रू० है।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** (PMGSY) के तहत वर्ष 2019–20 तक 56,766 बसावटों के लिए कुल 30,723 करोड़ रू० की लागत से 55,436 कि०मी० लम्बाई में पथों की स्वीकृत परियोजनाओं के विरूद्व 52,383 कि०मी० की लंबाई में पथों का निर्माण पूर्ण तथा 3,151 कि०मी० में निर्माण कार्य चल रहा है। निमार्णाधीन सड़कों में से 1,500 कि०मी० का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

- **मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना** (MMGSY) के तहत कुल 30,600 बसावटों के विरूद्व 26,200 बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने के लिए 22,586 करोड़ रू० की लागत से स्वीकृत 30,817 कि०मी० की लंबाई के विरूद्व 15,370 कि०मी० में पथों का निर्माण कार्य पूर्ण एवं 15,447 कि०मी० पथों में निर्माण कार्य चल रहा है।

- **ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना** (GTSNY) के तहत वर्ष 2016 में कराये गये विशेष सर्वेक्षण में चिन्हित 100 से 249 की आबादी वाले 4,643 टोलों को जोड़ने हेतु 2,888.46 करोड़ रू० की लागत से 3,652 कि०मी० की लंबाई की के विरूद्ध 2,804 कि०मी० में पथ निर्माण पूर्ण एवं 848 कि०मी० पथों का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा। इस योजना के तहत ग्रामीण पथों के निर्माण के लिए रैयती भूमि के अधिग्रहण/सतत् लीज का प्रावधान भी किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना में छूट गये एवं सर्वेक्षण में चिन्हित 250 या उससे अधिक आबादी वाले 9,143 टोलों को मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के पूरक नेटवर्क में जोड़ कर सम्पर्कता दी जा रही है।

- **बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018** के तहत अनुरक्षण के बाहर लगभग 36,000 कि०मी० की लंबाई में ग्रामीण पथ में से भौतिक सर्वेक्षण में खराब पाए गये लगभग 20,000 कि०मी० लंबाई के विरूद्व इसी वित्तीय वर्ष में 18,723 कि०मी० की लंबाई में पथों की मरम्मति करायी जा रही है।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण PMGSY-II के तहत 10 वर्ष पूर्व बने 2,465 कि०मी० की लंबाई के पथों के विरूद्व 2,354 कि०मी० की लंबाई के पथों का उन्नयन कार्य वर्ष 2020–21 में पूर्ण हो जायेगा। PMGSY-III में 6,162 कि०मी० की लंबाई में पथों का उन्नयन किया जायेगा।

ऊर्जा विभाग

- वर्ष 2020–21 में ऊर्जा विभाग का स्कीम मद में 1210.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 4350.17 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 5560.17 करोड़ रू० है।

- राज्य में वर्ष 2005 में बिजली की अधिकतम मांग 1,000 मेगावाट के विरूद्ध लगभग 600–700 मेगावाट की आपूर्ति होती थी जबकि वर्ष 2019 के अंत तक मांग बढ़कर लगभग 6,000 मेगावाट हो गई है तथा इसके अनुरूप बिजली की पूर्ण उपलब्धता रहती है।

- वर्तमान में राज्य में ग्रिड सब–स्टेशनों की संख्या 148 हो गयी है जिसके फलस्वरूप संचरण प्रणाली की विद्युत निकासी (Power Evacuation) क्षमता 11,280 मेगावाट हो गयी है। वर्ष 2018 में राज्य में संचरण लाईन की कुल लम्बाई 15,707 सर्किट किलोमीटर थी जो बढ़कर वर्तमान में 16,644 सर्किट किलोमीटर हो गयी है। वर्ष 2021–22 तक ग्रिड सब–स्टेशनों की कुल संख्या बढ़कर 169 तथा संचरण लाईन की कुल लम्बाई 20,324 सर्किट किलोमीटर हो जायेगी।

- **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** अंतर्गत किसानों को कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत उपकेन्द्र एवं पृथक फीडरों का निर्माण कराने हेतु 5,827.23 करोड़ रू० की राशि स्वीकृत है। इसके तहत निर्माणाधीन कुल 267 विद्युत उपकेन्द्रों में से 202 एवं 1,312 पृथक फीडरों में से 1,119 का निर्माण किया जा चुका है तथा शेष को मार्च, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। साथ ही 1,36,573 कृषि पम्प सेटों को विद्युत संबंध प्रदान किया गया है।

- राज्य योजना के तहत 1,321.61 करोड़ रू० की राशि से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से अनाच्छादित क्षेत्रों के लिए पृथक किये जाने वाले 1,312 फीडरों में से 1,132 में कार्य प्रगति पर है।

- **इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट सिस्टम (आई०पी०डी०एस०)** के तहत 2,100.50 करोड़ रू० के लागत से राज्य के 139 शहरों में से 6 फ्रेन्चाईजी शहरों को छोड़कर 133 शहरी क्षेत्रों के वितरण संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं उपभोक्ताओं, फीडरों तथा वितरण ट्रांसफर्मरों के मीटरिंग का कार्य प्रगति पर है जिसे मार्च, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

- गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण की फ्रेंचाईजी व्यवस्था समाप्त होने के उपरांत उन क्षेत्रों के चार शहरों यथा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया एवं बोधगया तथा आरा हेतु आई०पी०डी०एस० योजना अंतर्गत 525.97 करोड रू० तथा शेष दो फ्रेंचाईजी शहरों यथा काँटी एवं कहलगांव के लिए राज्य योजनांतर्गत 43.90 करोड़ रू० की योजना स्वीकृत एवं कार्य प्रगति पर है जिसे मार्च, 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

- 3,070.23 करोड़ रू० के व्यय से राज्य योजनांतर्गत स्वीकृत राज्य के सभी 72,321 कि०मी० **जर्जर विद्युत तारों** को बदलने एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य दिसम्बर, 2019 में पूरा कर लिया गया है।

- **विद्युत उपभोक्ताओं से प्राप्त राजस्व** की राशि वर्ष 2005–06 में 1,101.36 करोड़ रू० से बढ़कर वर्ष 2017–18 में 8,001 करोड़ रू०, वर्ष 2018–19 में 9,072 करोड़ रू० एवं वर्ष 2019–20 में जनवरी, 2020 तक 7,218.74 करोड़ रू० हो गई है।

- 1 जनवरी, 2020 से लागू **सुविधा** मोबाईल ऐप के माध्यम से आवेदक घर बैठे नये विद्युत संबंध, बिजली बिल की जानकारी एवं भुगतान, बिजली बिल में अंकित पता में त्रुटि सुधार, मोबाईल नम्बर का रजिस्ट्रेशन या पुराने मोबाईल नम्बर को बदलने, लोड बढ़ाने या घटाने, विद्युत संबंध विच्छेद एवं स्वयं सोलर रूफ टॉप लगवाने की स्थिति में नेट मीटरिंग हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

  इसके माध्यम से ई–बिल भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही, कॉमन सर्विस सेंटर या साईबर कैफे अथवा बिजली कम्पनी के प्रमण्डल कार्यालय में स्थापित सुविधा केन्द्र से भी नये विद्युत संबंध हेतु आवेदन किया जा सकता है।

- **Missed Call करें, बिजली बिल पायें** सुविधा के तहत उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नं० से **7666008833** पर **Missed Call** करके बिजली बिल की अद्यतन प्रति प्राप्त कर सकेंगे।

- प्रारम्भ में बिना कोई शुल्क अथवा सामग्री दिये 20 किलोवाट तक नया एल० टी० विद्युत संबंध प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित शुल्क किस्तों में मासिक विद्युत विपत्र में जोड़कर लिया जाएगा।

- **मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना** अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई सब्सिडी हेतु वर्ष 2019–20 के लिए 432.75 करोड़ रू० प्रतिमाह की दर से स्वीकृत कुल 5,193.00 करोड़ रू० में से जनवरी, 2020 तक 4,327.50 करोड़ रू० की राशि का भुगतान किया जा चुका है। वर्ष 2018–19 में सब्सिडी हेतु 5,089.07 करोड़ रू० का भुगतान किया गया।

- **टी० एण्ड डी० लॉस** वर्ष 2016–17 में 33.14 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2017–18 में 30.22 प्रतिशत तथा वर्ष 2018–19 में 30.02 प्रतिशत हो गया।

- वर्ष 2019–20 के लिए आयोग द्वारा निर्धारित ए० टी० एण्ड सी० लॉस से अधिक अनुमानित ए० टी० एण्ड सी० लॉस के कारण बिहार स्टेट पॉवर (हो०) कं० लि० के दोनों वितरण कम्पनियों को अनुमानित वित्तीय हानि की राशि की भरपाई हेतु कुल 860.00 करोड़ रू० पूँजीगत निवेश (Equity) के मद में उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- 1,548.00 करोड़ रू० एवं GST की कर्णांकित राशि से 23.50 लाख स्मार्ट मीटर के विरुद्ध 31 जनवरी, 2020 तक 8,501 connection दिया गया है।

शिक्षा विभाग

- वर्ष 2020–21 में शिक्षा विभाग का स्कीम मद में 21264.24 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 13926.81 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 35191.05 करोड़ रू० है।

- शिक्षा दिवस के अवसर पर 5 सितम्बर, 2019 को राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग–9 एवं 10 के लिए सभी विषयों में E-Content के माध्यम से अध्यापन हेतु **उन्नयन योजना** प्रारंभ किया गया।

- बांका जिला में शुरू किये गये इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ग–9 एवं 10 के लिए स्मार्ट वर्गकक्ष स्थापित कर एक USB enabled TV Screen (49"-55"), Inverter, Pen Drive (64GB) एवं Speaker की मदद से E-Content के माध्यम से अध्यापन कार्य किया जाता है।

- बांका जिला में इस योजना को मिली सफलता के कारण राज्य सरकार द्वारा सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वर्ग–9 एवं 10 के सभी विषयों के लिए स्मार्ट वर्गकक्ष की स्थापना का निर्णय लेते हुए इस हेतु 90 नब्बे हजार रू० प्रति विद्यालय की दर से उपलब्ध कराया गया। वर्तमान में इस योजना से आच्छादित विद्यालयों की संख्या 5,565 है तथा इसपर 50.08 करोड़ रू० का व्यय किया गया है।

- अप्रैल, 2020 से राज्य के सभी 8,386 पंचायतों में कक्षा 9 के संचालन के निर्णय के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों के 2,950 चिन्हित प्रारंभिक विद्यालयों में उपस्कर एवं उक्त विद्यालयों में से 1,483 विद्यालयों में कक्षा 09 के संचालन हेतु 2,750 अतिरिक्त वर्गकक्षों तथा शौचालय एवं अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु वर्ष 2019–20 में 409.47 करोड़ रू० की स्वीकृति दी गई है।

- लक्ष्य 21,420 के विरूद्ध 21,264 नये प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गयी है।

- लक्ष्य 19,725 के विरूद्ध 19,625 प्राथमिक विद्यालयों का मध्य विद्यालयों में उत्क्रमण किया गया है।

- शैक्षिक सत्र 2019–20 में पाठ्यपुस्तक क्रय हेतु कक्षा 1 से 8 के 1.53 करोड़ बच्चों अथवा उनके अभिभावकों के खाते में DBT के माध्यम से 528 करोड़ रू० अंतरित किया गया है।

- शैक्षिक सत्र 2019–20 में पोशाक क्रय हेतु वर्ग 1 से 8 में नामांकित एवं 75 प्रतिशत की उपस्थिति पूर्ण करने वाले 1.08 करोड़ बच्चों को मेधासॉफ्ट के द्वारा DBT के माध्यम से राशि अंतरित की जा रही है।

- वर्तमान छात्र–वर्गकक्ष अनुपात (Student Classroom Ratio) 40:1 को बेहतर करने हेतु 2,98,846 के विरूद्ध 2,76,518 (93 प्रतिशत) वर्गकक्ष का निर्माण कराया जा चुका है।

- कुल स्वीकृत 16,331 नये प्राथमिक विद्यालय भवन के विरूद्ध 12,056 (78 प्रतिशत) एवं 3,000 भवनहीन अर्थात कुल 15,056 भवनों का निर्माण पूर्ण एवं 230 भवन निर्माणाधीन हैं।

- वर्ष 2019–20 में Composite School Grant के लक्षित 72,534 विद्यालयों के लिए 403.53 करोड़ रू० की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है।

- शैक्षिक सत्र 2019–20 में 30 दिसम्बर, 2019 तक Bihar Easy School Tracking (BEST) के माध्यम से 40,988 प्रारंभिक एवं 240 माध्यमिक विद्यालयों के अनुश्रवण किया गया जिससे शिक्षकों एवं छात्रों उपस्थिति में सुधार हुआ है।

- मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत वर्ग 1 से 8 तक के 1.09 करोड़ छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन पोषक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में सप्ताह में दो दिन मौसमी फल एवं एक दिन उबला हुआ एक अंडा/मौसमी फल दिया जा रहा है तथा राज्य के 10,097 विद्यालयों में किचेन गार्डेन लगाया जा रहा है।

- वर्ष 2012 में TET एवं STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि अगले दो वर्ष के लिए विस्तारित कर दी गई है जिसके फलस्वरूप लगभग 90,000 TET उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों तथा STET उत्तीर्ण 16,196 प्रशिक्षित एवं लगभग 75,000 अप्रशिक्षित में से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को आगामी नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियोजन की कार्रवाई माह जून, 2019 से प्रारंभ करते हुए फरवरी, 2020 तक विभिन्न चरणों में पूर्ण किया जायेगा।

- **मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना** के तहत वर्ष 2019–20 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10 वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य कोटि एवं पिछड़ा वर्ग के 60,628 छात्राओं के लिए प्रति छात्रा 10 हजार रू० की दर से कुल 60 करोड़ रू० की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

- **मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट) प्रोत्साहन योजना** के तहत वर्ष 2019–20 में इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2019 में उत्तीर्णता प्राप्त सभी कोटि के अविवाहित 3,62,413 छात्राओं के विरूद्ध 2,96,232 छात्राओं को प्रति छात्रा 10 हजार रू० की दर से 296 करोड़ रू० की राशि वितरित की गई है।

- **मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना** के तहत वर्ष 2019–20 में राज्य के अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों से स्नात्तक उत्तीर्ण सभी छात्राओं को प्रति छात्रा 25 हजार रू० की दर से 42,018 छात्राओं को 105 करोड़ रू० की राशि वितरित की गई है।

- वर्ष 2019 के माध्यमिक परीक्षा में 8,22,842 छात्र एंव 8,37,767 छात्राओं ने भाग लिया। मैट्रिक में 77.58% छात्र एवं 79.80% छात्राओं तथा इन्टरमीडिएट में 83.19% छात्र तथा 76.01% छात्राओं ने उत्तीर्णता हासिल की है।

- शिक्षकों के नियोजन में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किये जाने के फलस्वरूप शिक्षिकाओं की संख्या 19% से बढ़कर 39% हो गयी है।

- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था में किये गए महत्वपूर्ण तकनीकी बदलावों के परिणामस्वरूप इंटरमीडिएट एवं माध्यमिक वार्षिक परीक्षा, 2019 का परीक्षाफल मूल्यांकन प्रारम्भ होने की तिथि से मात्र 28 दिनों के अंदर प्रकाशित किया गया जो पूरे देश में एक कीर्तिमान है।

- देश में पहली बार मैट्रिक एवं इंटर के लाखों परीक्षार्थियों को सभी विषयों में Barcode एवं Lithocode के साथ Pre-printed कॉपी एवं ओ०एम०आर० शीट (बारकोड एवं लिथोकोड के साथ) उपलब्ध कराया गया जिससे Result Processing एवं परीक्षा प्रणाली में काफी सुधार हुआ।

- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2018 से प्रारम्भ की गई Online Facilitation System for Students (OFSS) के माध्यम से इंटर कक्षा में नामांकन की व्यवस्था के तहत वर्ष 2019 बिहार में इंटर कक्षा में 12 लाख से भी अधिक विद्यार्थियों का ऑनलाईन नामांकन किया गया है, जो अबतक की सर्वाधिक संख्या है।

- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सभी 09 प्रमण्डलीय मुख्यालयों में लगभग 4–5 हजार क्षमता वाले परीक्षा भवनों–सह–क्षेत्रीय कार्यालयों का निर्माण कराया गया है, परीक्षार्थी सी०सी०टी०वी० की निगरानी में परीक्षा दे सकेंगे तथा इसमें आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं की गतिविधियों की Live Monitoring संबंधित जिले के डी० एम० कंट्रोल रूम एवं बिहार बोर्ड के कंट्रोल रूम द्वारा वेबकास्टिंग (Webcasting) के माध्यम से किया जाएगा।

- समिति द्वारा पराक्षार्थियों एवं परीक्षा का मूल्यांकन करने वाले शिक्षकों को BSEB Mobile App की सुविधा दी जायेगी जिससे राज्य के मैट्रिक एवं इंटर के लाखों परीक्षार्थी अपना Final Admit Card, Dummy Admit Card, Registration Card, Online Examination Form इत्यादि देख सकते हैं तथा शिक्षक Final Appointment Letter, Dummy Appointment Letter तथा अन्य सभी विवरणियाँ व सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं।

- वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त करने के उपरांत निर्दिष्ट मापदंड पूर्ण करने वाले स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय (इंटर महाविद्यालय) के शिक्षक एवं शिक्षेत्तर कर्मियों को सरकारी अनुदान हेतु 630.00 करोड़ रू० की स्वीकृति दी गई है।

- सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य हेतु 75.14 करोड़ रू० की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा 110 मदरसों को सम्बद्धता (Affiliation) दी गई है तथा 80 मदरसों का स्तरोन्नयन (Upgradation) किया गया है।
- 20 करोड़ रू० के व्यय से UNFPA द्वारा ''तालिम नौ बालगान'' की शुरूआत की जायेगी।
- मदरसों में आपदा प्रबंधन की शिक्षा प्रारंभ की गई है तथा इस हेतु अबतक 1700 मदरसों के फोकल शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- कक्षा फौकानिया (वर्ग मैट्रिक) में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सभी छात्र–छात्राओं को प्रति छात्र–छात्रा 10,000 रू० की दर से तथा वर्ग मौलवी (कक्षा XII) में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को प्रति छात्रा 15,000 रू० की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
- 17 फरवरी, 2019 को पूर्णिया प्रमण्डल में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है।
- राज्य के मदरसो में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को सातवां वेतन का लाभ दिया गया।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

- वर्ष 2020–21 में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का स्कीम मद में 115.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 221.50 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 336.50 करोड़ रू० है।
- 10 अभियंत्रण महाविद्यालयों के परिसर में 336.00 करोड़ रू० की लागत से 12 ब्यॉज एवं 9 गर्ल्स छात्रावासों तथा 12 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के परिसर में 520.14 करोड़ रू० की लागत से 18 ब्यॉज एवं 16 गर्ल्स छात्रावासों का निर्माण कराया जायेगा।
- शैक्षणिक सत्र 2019–20 से एम०आई०टी० मुजफ्फरपुर एवं बी०सी०ई० भागलपुर के दो संकायों में प्रारंभ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कुल 60 छात्र/छात्राएं अध्ययनरत है।
- Apprentice Act 1961 के तहत राज्य सरकार के अधीन संचालित तकनीकी संस्थानों से उत्तीर्ण डिग्री एवं डिप्लोमाधारी छात्रों को उनके गुणवत्ता एवं व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि के साथ–साथ रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के माध्यम से एक वर्षीय अप्रैन्टिस ट्रेनिंग दी जा रही है।
- राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में उच्च स्तरीय गुणवत्तायुक्त शोध को बढ़ावा देने हेतु से बिहार काउन्सिल ऑन साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना द्वारा

कार्यान्वित Student Project Scheme के तहत अबतक चयनित 100 प्रोजेक्ट में 400 छात्र/छात्राओं की सहभागिता है।

- पूर्व से स्थापित 07 अभियंत्रण महाविद्यालयों (मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मोतिहारी, दरभंगा, गया, छपरा एवं नालन्दा) में केन्द्र प्रायोजित योजना **तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम फेज–III** (Technical Education Quality Improvement Plan Phase-III) का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा इसके तहत इन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों का NBA (National Board of Accreditation) से Accreditation प्राप्त करने की कार्रवाई की गई है।

- राज्य के 13 अभियंत्रण महाविद्यालयों में अध्ययनरत अंतिम वर्ष के छात्र/छात्राओं में से अबतक 239 छात्र/छात्राओं का कैंपस इन्टरव्यू के माध्यम से नियोजन किया जा चुका है। संस्थानों में कैंपस इन्टरव्यू के माध्यम से नियोजन की प्रक्रिया जारी है।

- राजकीय पोलिटेकनिक, दरभंगा के परिसर में उपलब्ध 03 एकड़ भूमि पर तारामंडल–सह–विज्ञान संग्रहालय की स्थापना तथा उसके विकास एवं निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत 164.31 करोड़ रू० के विरूद्ध 67.57 करोड़ रू० की लागत से केवल तारामंडल (Planetarium) एवं 200 सीट क्षमता का सभाकक्ष/रंगशाला (Auditorium) का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा पाईलिंग कार्य प्रगति में है।

- मोईनउलहक स्टेडियम, राजेन्द्र नगर, पटना के बगल में उपलब्ध 20.4838 एकड़ भूमि पर 397.00 करोड़ रू० की लागत से डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इसमें वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित अत्याधुनिक प्रदर्श दीर्घा एवं खंडों का निर्माण 05 चयनित Themes यथा– (i) Be a Scientist (ii) Body & Mind (iii) Exploring the basic science (iv) Space & Astronomy एवं (v) Sustainable planet के आधार पर किया जायेगा।

  साईन्स सिटी के लिए Architect, Content design, Exhibit design एवं Project Management हेतु परामर्शी समूह (Consultant Consortium) के रूप में फ्लाईंग एलिफैंट, बैंगलूरू समूह का चयन किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग

- वर्ष 2020–21 में स्वास्थ्य विभाग का स्कीम मद में 5604.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 5333.68 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 10937.68 करोड़ रू० है।

- **इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना (IGIMS)** को सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने हेतु कुल शैय्याओं की वर्तमान संख्या 1,032 से बढ़ाकर 2,732 की जायेगी।

500 शैय्या के निर्माणाधीन अस्पताल के अतिरिक्त 513.21 करोड़ रू० की लागत से 1,200 बेड के नये अस्पताल भवन का निर्माण किया जायेगा।

- IGIMS में 138.00 करोड़ रू० के व्यय से 100 बेड के अत्याधुनिक स्टेट कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य अप्रैल, 2020 तक सम्पन्न करा लिया जायेगा।

- 78.50 करोड़ रू० की लागत से मशीन उपकरणों के क्रय एवं Advance Molecular Microbiology and Molecular Genomics Lab की स्थापना की जायेगी। Kidney Transplant, Cornea Implant, Bypass Surgery का कार्य शुरू हो चुका है तथा Liver & Heart Transplant कार्य भी प्रारंभ किये जायेंगे।

- मुजफ्फरपुर एवं आस–पास के जिलों में फैली A.E.S (Acute Encephalitis Syndrome) समूह की बीमारी के कारण श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर के परिसर में 62.00 करोड़ रू० की लागत से 100 बेड के शिशु गहन चिकित्सा यूनिट (PICU) के भवन एवं मरीजों के परिजनों के लिए धर्मशाला का निर्माण कार्य अप्रैल, 2020 तक पूरा किया जायेगा तथा 682.00 करोड़ रू० की लागत से 1,500 बेड के नये अस्पताल का निर्माण कराया जायेगा।

- इस संस्थान में टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई के सहयोग से 15 एकड़ भूमि में 200.00 करोड़ रू० की लागत से कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जायेगा।

- 5,540.07 करोड़ रू० की लागत से पी०एम०सी०एच० को तीन फेज में वर्ष 2025 तक विश्वस्तरीय अस्पताल बनाया जायेगा।

- यहाँ किडनी प्रत्यारोपण ईकाई के आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है तथा वर्ष 2019–20 में 100 बेड के आकस्मिकी इकाई (Emergency) एवं 12 बेड के I.C.U. भवन का निर्माण कराया जायेगा।

- इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना में बेडों की संख्या 145 से बढ़ाकर 250 करने एवं तदनुरूप विभिन्न स्तर पर कुल 383 पद सृजित किये गये हैं। मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, मेडिकल उपकरण, मेडिकल एवं नन–मेडिकल फर्निचर हेतु 74.56 करोड़ रू० के व्यय से इसके नवनिर्मित भवन को क्रियाशील किया जायेगा।

- एन०एम०सी०एच०, पटना को 2500 शैय्या में परिवर्तित करने की योजना के प्रथम चरण में 600 शैय्या के मेडिसीन–सह–बच्चा वार्ड एवं ओ०पी०डी० ब्लॉक के भवन का निर्माण किया जायेगा।

- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णिया में स्वीकृत 300 बेड के अस्पताल का 87.78 करोड़ रू० के व्यय से 500 बेड के अस्पताल में उन्नयन किया जायेगा।

- राज्य के सभी विद्यमान चिकित्सा महाविद्यालयों में पी०जी० पाठ्यक्रमों में 564 सीटों एवं यू०जी० पाठ्यक्रमों में 950 सीटों की वृद्धि हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

- निजी प्रक्षेत्र में मधुबनी में 150 एवं सहरसा में 100 एम०बी०बी०एस० नामांकन क्षमता के साथ वर्ष 2019 से पढ़ाई प्रारंभ कर दी गयी है तथा मुजफ्फरपुर एवं बिहटा, पटना में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु अनिवार्यता प्रमाण–पत्र भी निर्गत की गयी है।

- लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर, पटना में 12.38 करोड़ रू० की लागत से 30 बेड का ट्रामा सेन्टर तथा 215.00 करोड़ रू० की लागत से 400 बेड के अत्यन्त विशिष्ट अस्पताल–सह–ट्रामा सेन्टर का निर्माण किया जा रहा है।

- लगभग 172.95 करोड़ रू० लागत से 9 जिला अस्पतालों यथा–आरा, अररिया, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी एवं सहरसा का मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन किया जायेगा। वर्ष 2020–21 में 12 जिला अस्पतालों यथा–बेगूसराय, भागलपुर, गया, गोपालगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, नालन्दा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर एवं सिवान का भी उन्नयन किया जायेगा।

- जिला अस्पताल से अभीतक वंचित राज्य के एकमात्र दरभंगा जिला में 45.00 करोड़ रू० की लागत से 100 शैय्या के सदर अस्पताल का निर्माण कराया जायेगा।

- मरीजों को निःशुल्क वितरण हेतु विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों को 205 प्रकार की दवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। वर्ष 2017–18 में 68.01 करोड़ रू०, वर्ष 2018–19 में 148.23 करोड़ रू० एवं वर्ष 2019–20 में दिसंबर, 2019 तक 160.68 करोड़ रू० की दवा की खरीद की गई तथा मार्च, 2020 तक 250 करोड़ रू० तक की दवा खरीदी जायेगी।

- राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं जिला/सदर अस्पतालों में भर्ती मरीजों के पहनने का वस्त्र हेतु पोशाक योजना लागू किया गया है।

- राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में उपकरण उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2017–18 में 8.28 करोड़ रू०, वर्ष 2018–19 में 51.02 करोड़ रू० एवं वर्ष 2019–20 में दिसंबर, 2019 तक 81.31 करोड़ रू० व्यय किये गये है तथा मार्च, 2020 तक लगभग 125.00 करोड़ रू० का व्यय संभावित है।

- बंद पड़े राजकीय अयोध्या शिवकुमारी, आयुर्वेद महाविद्यालय–सह–चिकित्सालय, बेगूसराय में वर्तमान सत्र में 30 सीटों पर नामांकन की मान्यता दी गई है तथा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना में स्नातक पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या 40 से बढ़ाकर 100 कर दी गयी है।

- आयुष प्रक्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक महाविद्यालयों में वर्ष 2019 कुल 59 व्याख्याताओं की नियमित नियुक्ति की गयी है।

- आवश्यक आयुष दवाओं (EDL) की तैयार की गई सूची में 48 आयुर्वेदिक, 52 यूनानी एवं 72 होमियोपैथिक औषधियों को शामिल किया गया है।

- आयुष दवा क्रय हेतु विभिन्न जिलों को 29.98 करोड़ रू० उपलब्ध कराया गया है तथा वर्ष 2019–20 के अंत तक सभी PHC, APHC एवं राजकीय आयुष औषधालयों में आयुष औषधियों की आपूर्त्ति की जायेगी।

- वर्ष 2019 में 6,318 ए०एन०एम० की नियमित नियुक्ति की गयी है तथा स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए' के 9,130 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

- **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष** से वर्ष 2018–19 में 17,471 आवेदकों में से स्वीकृत 15,066 रोगियों को 141.29 करोड़ रू० तथा वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर तक 14,705 आवेदकों में से स्वीकृत 12,101 रोगियों को 102.96 करोड़ रू० की अनुदान राशि उपलब्ध करायी गयी है।

- राज्य में 570 सरकारी एवं 205 गैर सरकारी अस्पताल के माध्यम से ट्रस्ट मोड (बिना बीमा कंपनियों के) में क्रियान्वियत आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक कुल 43.10 लाख लाभार्थियों को कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। योजना के अन्तर्गत 31 जनवरी, 2020 तक 154 करोड़ रू० के व्यय से राज्य में लगभग 1.56 लाख मरीजों का इलाज तथा 84,047 मामलों के विरूद्ध 83.82 करोड़ रू० का भुगतान किया जा चुका है।

- राज्य में 43 विशेष नवजात देखभाल इकाई (SNCU) एवं 42 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (NBSU) कार्यरत हैं तथा 19 अनुमंडलीय अस्पतालों में MNCU की स्थापना की जायेगी।

- बच्चों में निमोनिया से होने वाले मृत्यु की रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु वर्ष 2020–21 में मुजफ्फरपुर एवं नालंदा में SAANS कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा।

- Universal Immunization Programme (यू०आई०पी०) के अन्तर्गत खसरा–रूबैला रोग से बचाव हेतु 15 जनवरी, 2019 से चलाये गए टीकाकरण अभियान में 9 माह से 15 वर्ष आयु वर्ग के 3.84 करोड़ बच्चों का टीकाकरण कराया गया।

- वर्ष 2005 में टीकाकरण का आच्छादन 18.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में लगभग 84 प्रतिशत हो गया है तथा वर्ष 2020 तक 90 प्रतिशत तक आच्छादन का लक्ष्य है।

- **राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)** अंतर्गत राज्य के 22 जिलों के 25 शहरों में संचालित 98 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में OPD, ANC, टीकाकरण, परिवार नियोजन आदि सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** के अन्तर्गत कार्यरत प्रत्येक आशा कार्यकर्त्ता एवं आशा फैसिलीटेटर को पारितोषिक के रूप में प्रति माह रू० 1000 रू० की दर से प्रतिवर्ष 118.72 करोड़ रू० भुगतान किया जायेगा।

- राज्य के सभी ए०एन०एम० को "एनड्रायेड टैबलेट" उपलब्ध कराया जा रहा है।

- देश में पहली बार बिहार के लिये मानक बनाते हुए राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों के लिए EDL की भांति Essential Equipment List (EEL) विकसित किया जा रहा है।

- वर्ष 2016 में राज्य के कालाजार उन्मूलन (एक या एक से अधिक रोगी प्रति 10,000 जनसंख्या) वाले प्रखंडों की संख्या 68 से घटकर वर्ष 2019 में 21 हो गई है।

- राज्य की लगभग 80 प्रतिशत से अधिक आबादी निःशुल्क 102 एम्बुलेंस सेवा से आच्छादित है। वर्ष 2019–20 में माह अप्रैल से दिसम्बर तक इस सेवा से लाभांवित 12,16,715 मरीजों में से 96 प्रतिशत निःशुल्क कोटि के हैं।

- Toll Free Number 104 पर उपलब्ध अति महत्वपूर्ण शिकायतों के निवारण, चिकित्सीय परामर्श एवं Emergency सेवाओं के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय में 20 सीटर 104 कॉल सेंटर स्थापित है।

- मातृ मृत्यु अनुपात में कमी लाने के उद्देश्य से वर्ष 2020–21 में शुरू होने वाली **सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना (SUMAN)** के तहत 54 स्वास्थ्य संस्थानों को जोड़ा जायेगा।

- सभी जिला अस्पतालों में पूर्विकता प्राप्त परिवारों को निःशुल्क डायलिसिस सेवा प्रदान करने हेतु वर्ष 2020–21 में **प्रधानमंत्री निःशुल्क राष्ट्रीय डायलेसिस कार्यक्रम** आरम्भ किया जायगा।

- शिशु के जन्मोपरांत उसके देखभाल हेतु आशा के द्वारा तीसरे, छठे, नौवे, बारहवें एवं पन्द्रहवें महीने में अर्थात् कुल 05 बार गृह भ्रमण करने पर प्रति भ्रमण 50 रू० की दर से कुल 250 रू० की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

- बिल मिलिन्डा गेट्स फाउण्डेशन के सहयोग से स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में चलाये जा रहे कार्यक्रमों को 5 वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

- वर्ष 2020–21 में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का स्कीम मद में 5351.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 505.45 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 5856.45 करोड़ रू० है।

- विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत नालंदा जिला के सिलाव एवं नवादा जिला के रजौली में बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना को चालू कर दिया गया है जिससे ट्रायल रन अन्तर्गत जलापूर्ति की जा रही है। योजना की राशि को बढ़ाकर सिलाव हेतु 61.26 करोड़ रू० से 77.91 करोड़ रू० एवं रजौली हेतु 84.82 करोड़ रू० से 109.98 करोड़ रू० कर दी गई है।

- बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर तथा 141 वार्डों/बसावटों में शुद्ध आर्सेनिक मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने हेतु भागलपुर जिला के कहलगाँव एवं पीरपैंती में इस योजना को वर्ष 2019–20 में चालू करने का लक्ष्य है।

- विश्व बैंक परियोजना अंतर्गत प्रथम चरण में स्वीकृत 127 योजनाओं में से 92 योजनाएँ पूर्ण की गयी है एवं शेष को मार्च, 2020 तक पूरा किया जायेगा। द्वितीय चरण में स्वीकृत 557 जलापूर्ति योजनाओं में 548 पर कार्य प्रारंभ किया गया है।

- सुखाड़ के मद्देनजर I.M.–II पम्प के साथ 10,358 के विरूद्ध 9,582 नये चापाकलों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा शेष पर कार्य चल रहा है। साथ ही पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था हेतु 244 स्थलों पर कैटल ट्रफ का निर्माण किया गया है।

- जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत वर्ष 2019–20 में प्रति पंचायत एक–एक कुँओं के जीर्णोद्धार हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध शुरुआती चरण में लिये गये 1,068 अदद के अतिरिक्त 7,319 कुँओं के जीर्णोद्धार तथा सोखता निर्माण हेतु 45.67.06 करोड़ रू० की स्वीकृति दी गई है। इसके विरूद्ध 956 कुँओं का जीर्णोंद्धार कार्य पूर्ण एवं शेष पर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

गृह विभाग

- वर्ष 2020–21 में गृह विभाग का स्कीम मद में 621.64 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 11461.86 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 12083.50 करोड़ रू० है।

- वर्ष 2020–21 में 65 थाना भवन एवं 34 ओ०पी० के निर्माण, ERSS (Emergency Response Support System) परियोजना के प्रस्तावित कॉल सेन्टर के निर्माण एवं चालू योजनाओं को पूर्ण करने हेतु 355.73 करोड़ रू० कर्णांकित है।

- वर्ष 2020–21 में बिहार अग्निशाम सेवा के लिए कर्णांकित कुल 45 करोड़ रू० की राशि में से 15.00 करोड़ रू० के व्यय से भवन निर्माण संबंधी योजनाओं तथा 30.00 करोड़ रू० की लागत से नीलामकृत 66 वाहनों/उपकरणों के विरूद्ध 49 अद्द वाटर टेण्डर, 17 अद्द छोटा वाटर टेण्डर एवं 14 नये स्वीकृत फायर स्टेशनों के लिये 28 अद्द वाटर टेण्डर का क्रय किया जायेगा।

- 8,064 कब्रिस्तानों में से अबतक 6,137 की पक्की घेराबन्दी की जा चुकी है। वर्ष 2019–20 में 72.24 करोड़ रू० के व्यय से 134 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी पूर्ण हो चुकी है तथा वर्ष 2020–21 में 400 कब्रिस्तानों की पक्की घेराबन्दी हेतु 50.00 करोड़ रू० कर्णांकित किया गया है।

- **मंदिर चहारदीवारी निर्माण निधि योजना** के तहत वर्ष 2019–20 में 25.00 करोड़ रू० उपलब्ध कराया गया है तथा वर्ष 2020–21 में भी इस कार्य हेतु 25.00 करोड़ रू० ही कर्णांकित है।

सामान्य प्रशासन विभाग

- वर्ष 2020–21 में सामान्य प्रशासन विभाग का स्कीम मद में 85.29 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 658.06 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 743.35 करोड़ रू० है।

- **बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम** के अंतर्गत 55 अधिसूचित सेवाओं में दिसम्बर, 2019 तक 22.94 करोड़ से अधिक सेवाएँ प्रदान की जा चुकी हैं तथा इस अधिनियम के क्रियान्वयन में दोषी पाये गये कुल 2,061 पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर 2.51 करोड़ रू० का दंड अधिरोपित किया गया है।

- इसके अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाओं यथा– जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र (जिनकी भागीदारी कुल प्रदत सेवाओं की लगभग 70 प्रतिशत से अधिक है) को नामनिर्दिष्ट पदाधिकारी द्वारा Digitally Signed कर ऑनलाईन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है।

- राज्य सरकार के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय के रूप में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। सम्प्रति नव निर्मित 1151 पंचायत सरकार भवनों में आर०टी०पी०एस० काउंटर स्थापित किए जा रहें हैं।

- **बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम** के तहत अधिसूचित सभी 44 विभागों की 480 से अधिक योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं से संबंधित दिसम्बर, 2019 तक प्राप्त 6.47 लाख आवेदनों में से 6.18 लाख निष्पादित तथा शेष प्रक्रियाधीन है। परिवाद निवारण में रूचि नहीं लेने वाले 487 लोक प्राधिकारों पर 12.89 लाख रू० का दंड अधिरोपित किया गया है तथा 206 लोक सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

- विभिन्न सेवाओं के संचालित हेल्पलाईन को टॉल फ्री नं०– 14403 के साथ सम्बद्ध कर एकल सम्पर्क के रूप में विकसित **जिज्ञासा कॉल सेंटर** के माध्यम से वर्ष 2019–20 में अबतक 58,895 लोगों को सहायता प्रदान की गई है।

- शासन में शुचिता एवं शुद्धता की अभिवृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार के समूह क, ख एवं ग के कुल 2.57 लाख कर्मियों के चल–अचल सम्पत्ति एवं दायित्वों की विवरणी वेबसाईट पर अपलोड की गई है। वर्ष 2019–20 में भी इस कार्य को सम्पादित किया जा रहा है।

- राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों व पदाधिकारियों के सेवा एवं सेवान्त लाभ से संबंधित शिकायतों की समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से सुनवाई एवं निवारण हेतु 26 जून, 2019 को **बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण अधिकार प्रणाली** को लागू किया गया है। इसके तहत जिला एवं विभागों में पदनामित सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा अधिकतम 60 कार्य दिवसों के भीतर शिकायत पर निर्णय लिया जाता है। इसके कार्यान्वयन के लिए सेवा समाधान नाम का समर्पित वेब पोर्टल तैयार कराया गया है जो स्टेट डाटा सेंटर में होस्ट किया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत 27 दिसम्बर, 2019 तक दर्ज 1,862 शिकायतों में से 1,193 का निष्पादत तथा शेष प्रक्रियाधीन हैं।

- **आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार** के अंतर्गत राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है तथा अभी तक 20,572 महिलाओं को इसका लाभ मिला है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

- वर्ष 2020–21 में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का स्कीम मद में 289.79 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 220.72 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 510.50 करोड़ रू० है।

- राज्य के विकासोन्मुखी कार्यक्रमों के त्वरित एवं सुचारू कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2019–20 में 01 अप्रैल, 2019 से 05 जनवरी, 2020 तक मंत्रिपरिषद की सम्पन्न 23 बैठकों में विभिन्न विभागों से संबंधित 425 प्रस्तावों में से 399 प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई।

- वर्ष 2019–20 में डाक्यूमेंटेशन ऑन बी०पी० मंडल, सुमित्रा देवी, अब्दुल कयूम अंसारी, चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा एवं लहटन चौधरी का संभाषण प्रकाशनाधीन है। अभिलेख भवन को SecLAN-Wi-fi से जोड़ा गया है। डिजिटाइजेशन कार्य हेतु AIMS सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली से लाकर एक नया WEB PORTAL तैयार किया गया है।

- दरभंगा सैन्य हवाई अड्डा पर सिविल इन्क्लेव के निर्माण एवं संयुक्त परिचालन हेतु मुआवजा राशि 121.43 करोड़ रू० उपलब्ध करा दिया गया है।

निगरानी विभाग

- वर्ष 2020–21 में निगरानी विभाग का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 42.72 करोड़ रू० है।
- निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2019 में 31 दिसम्बर तक 54 कांड दर्ज किये गये हैं जिनमें ट्रैप के 41, अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के 06, पद के भ्रष्ट दुरूपयोग से संबंधित 07 मामले शामिल हैं।
- विशेष निगरानी इकाई के द्वारा वर्ष 2019 में अप्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित 01 मामला दर्ज किया गया है।
- तकनीकी परीक्षक कोषांग द्वारा वर्ष 2019 में 31 दिसम्बर तक कुल 38 मामलों का जाँच प्रतिवेदन विभिन्न संस्थानों को एवं कुल 18 भवनों का मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित कार्यालयों को समर्पित किया गया है।

जल संसाधन विभाग

- वर्ष 2020–21 में जल संसाधन विभाग का स्कीम मद में 3000.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 1053.61 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 4053.61 करोड़ रू० है।

सिंचाई प्रक्षेत्र

- 2,836.00 करोड़ रू० के व्यय से मानसून के चार महीनों में गंगा जल का उद्‌वह कर पाइप लाईन के माध्यम से नालंदा, नवादा एवं गया जिले में संवाहित कर जून, 2021 तक पेय जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
- गया जिलान्तर्गत फल्गू नदी के बायें तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट पूरे वर्ष कम से कम 0.60 मी० जल उपलब्ध कराने हेतु परामर्शी की सेवा के लिए 1.50 करोड़ रू० के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- सामान्य से कम वर्षापात होने की स्थिति में भी वर्ष 2019 की खरीफ में 19.12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- 64.43 करोड़ रू० लागत से पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के 7 अदद कार्य प्रारम्भ किये गये हैं जिनके पूर्ण होने पर मधुबनी एवं दरभंगा जिले के घोघरडीहा, फुलपरास, बाबुबरही, अंधराठाढ़ी, झंझारपुर, मनीगाछी, केवटी, बेनीपुर आदि प्रखण्डों के कृषकों को सिंचाई की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी।
- दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर प्रखण्ड में पुरानी कमला नदी पर बघेला गाँव में बघेलाघाट, मोहिउद्दीनपुर पकड़ी में टिकमा नदी एवं गरौल के पास 65.45 करोड़ रू० की लागत से वीयर सिंचाई योजना का कार्य चल रहा है, जिससे अलीनगर एवं ताराडीह प्रखंड के 5,470 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

- 38.79 करोड़ रू० की लागत से मधुबनी जिलान्तर्गत बिहुल नदी पर लक्ष्मीपुर ग्राम के निकट वीयर सिंचाई योजना का निर्माण कार्य प्रगति में है जिसके पूरा होने पर मधुबनी जिला के लौकही प्रखण्ड में लगभग 1,700 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

- 107.12 करोड़ रू० की लागत से मधुबनी जिलान्तर्गत धौंस नदी पर बलवा ग्राम के निकट लगभग 6,600 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता के बलवाघाट बराज–सह–सिंचाई योजना के तहत शीर्ष कार्य (बराज संरचना निर्माण कार्य) का असैनिक कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है तथा गेटों के अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है।

- 9.54 करोड़ रू० की लागत से मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखण्ड में ग्राम अररिया के नजदीक स्थित सुगरवे वीयर के NH-57 से अररिया ननियौती PMGSY सड़क तक वर्त्तमान तटबंध का पुनर्स्थापन, विस्तारीकरण एवं दोनों तटबंधों पर Black Topping कार्य वर्ष 2020–21 में पूरा करने का लक्ष्य है। इस मार्ग के पुनर्स्थापन एवं विस्तारीकरण से आवागमन में सुविधा होगी तथा मधुबनी जिला अन्तर्गत झंझारपुर प्रखण्ड की लगभग 30,590 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

- 37.84 करोड़ रू० की लागत से मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर प्रखण्ड के तुलापतगंज, सोहापुर, परसा, अररिया सिरखिया, खररूआ एवं अन्य गाँवों के कृषकों को 1,509 हेक्टेयर क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सुगरवे नदी पर ग्राम अररिया के पास वीयर डायवर्सन हेड–वर्क्स संरचना का निर्माण मार्च, 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

- 2,061.82 करोड़ रू० की लागत से पश्चिमी गंडक (सारण मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली) के 1.47 लाख हेक्टेयर ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन एवं 1.58 लाख हेक्टेयर में नया सिंचाई क्षमता के विरूद्ध 0.89 लाख हेक्टेयर ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन एवं 0.72 लाख हेक्टयर में नया सिंचाई क्षमता का सृजन कार्य कराया जा चुका है। योजना पूरी होने पर गोपालगंज जिले के 14 प्रखण्ड, सारण जिले के 20 प्रखण्ड तथा सिवान जिले के 19 प्रखण्ड के किसानों को सिंचाई की सुविधा का लाभ मिलेगा।

बाढ़ प्रक्षेत्र

- बाढ़ 2019 के पूर्व 196 अदद् कटाव निरोधक कार्य को पूर्ण किया एवं बाढ़ 2020 पूर्व 120 अदद् बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को 606.00 करोड़ रू० की लागत से पूर्ण किया जायेगा।

- 150.65 करोड़ रू० की लागत से दायाँ कमला बलान तटबंध के कि०मी० 96.50 से कि०मी० 111.29 तक का विस्तारीकरण, ब्रीक सोलिंग एवं सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- लोकनायक जय प्रकाश नारायण के जन्मस्थल सिताब दियारा ग्राम की सुरक्षा हेतु 85.99 करोड़ रू० की लागत से रिंग बाँध के निर्माण का 91 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।

- 167.03 करोड़ रू० की लागत से सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिलान्तर्गत अधवारा नदी के बायें तटबंध के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 43.60 एवं दायें तटबंध के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 44.00 तक तटबंध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य मार्च, 2020 तक पूर्ण होगा।

- 1,309.63 करोड़ रू० की लागत से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर एवं दरभंगा जिलान्तर्गत बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–II के तहत एवं 943.58 करोड़ रू० की लागत से समस्तीपुर, दरभंगा एवं खगड़िया जिलान्तर्गत बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–III (a) के तहत हायाघाट से डुमरी पुल तक 107.50 कि०मी० की लम्बाई में दायाँ तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं तटबंध का निर्माण कार्य मार्च, 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा।

- 116.36 करोड़ रू० की लागत से सुपौल एवं मधुबनी जिलान्तर्गत पश्चिमी कोसी तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, इस पर बिटुमिनस सड़कों का निर्माण एवं संरचनाओं के निर्माण/पुनर्स्थापन कार्य को दिसम्बर, 2020 तक पूरा किया जायेगा।

- 110.65 करोड़ रू० की लागत से सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रातो नदी के तट पर बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत नो मेंस लैंड से निशा रोड तक तटबंध का निर्माण कार्य मार्च, 2021 तक पूर्ण कराया जाएगा।

- 50.85 करोड़ रू० की लागत से सुपौल एवं सहरसा जिलान्तर्गत पूर्वी कोसी तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, इस पर बिटुमिनस सड़क का निर्माण एवं संरचनाओं का निर्माण/पुनर्स्थापन कार्य मार्च, 2021 तक पूरा किया जायेगा।

- 138.02 करोड़ रू० की लागत से बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–IV(a) के अन्तर्गत बागमती नदी के दायें तट पर बेलवा के नजदीक हेड रेगुलेटर का निर्माण, बाँध का निर्माण एवं एज प्रोटेक्शन का कार्य कराया जा रहा है जिससे पिपराही प्रखण्ड को बाढ़ से सुरक्षा मिलेगी तथा पूर्वी चम्पारण–बेलवाघाट–शिवहर SH-54 पथ पर आवागमन बहाल हो जाएगी। इस योजना को अगस्त, 2021 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

- 19.90 करोड़ रू० की लागत राशि से लखनदेई नदी के नई धार को पुरानी धार से मिलाने एवं पुराने धार की उड़ाही का कार्य कराया जा रहा है जिसे पूरा होने के उपरांत सोनवर्षा, बथनाहा, सीतामढ़ी एवं रून्नीसैदपुर प्रखण्डों में कुल 2,539.86 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि भी Reclaim हो जाएगा। इस योजना को बाढ़, 2020 से पूर्व पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- कटिहार जिलान्तर्गत 78.92 करोड़ रू० की लागत से झौआ दिल्ली–दिवानगंज महानन्दा बायाँ तटबंध के कि०मी० 13.25 से कि०मी० 34.07 तक तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण का कार्य मार्च, 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

लघु जल संसाधन विभाग

- वर्ष 2020–21 में लघु जल संसाधन विभाग का स्कीम मद में 933.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 266.09 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 1199.09 करोड़ रू० है।
- नलकूप सिंचाई योजना के तहत राज्य के 10,240 नलकूपों में से क्रियाशील होने योग्य 9,192 राजकीय नलकूप के विरूद्ध 4,984 चालू हैं तथा शेष नलकूपों की मरम्मति का कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2019–20 तक इनमें से कुल 8,000 नलकूप तथा वर्ष 2020–21 में शेष सभी नलकूपों को चालू कर दिया जायेगा।
- **बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजनान्तर्गत** वर्ष 2019–20 में 39.08 करोड़ रू० के व्यय से किसानों द्वारा अधिष्ठापित 15,572 निजी नलकूपों से 43,601 हे० सिंचाई क्षमता सृजित हुआ है। इस योजना अन्तर्गत अबतक कुल 31,468 कृषकों द्वारा अधिष्ठापित निजी नलकूपों के विरूद्ध 67.44 करोड़ रू० के अनुदान का भुगतान हो चुका है।
- राज्य के सभी जिला मुख्यालयों एवं प्रखण्डों में अत्याधुनिक तकनीक (Telemetry System) पर आधारित 571 ऑटोमेटिक डिजिटल वाटर लेवल रेकॉर्डर अधिष्ठापित किया जा रहा है, जिससे भूगर्भ जल स्तर का आंकड़ा प्राप्त होगा। अबतक 560 टेलीमेटरी अधिष्ठापन हो चुका है तथा 539 टेलीमेटरी से भूजल स्तर का आंकड़ा भी प्राप्त हो रहा है।
- सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं यथा–एक एकड़ से अधिक रकवा के तालाबों/पोखरों/आहरों/पईनों का जीर्णोद्धार कार्य एवं चेक डैम/वीयर निर्माण कार्य हेतु 5,300 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है जिससे सिंचाई कार्य के अतिरिक्त भूगर्भ जल पुनर्भरण का कार्य भी हो सकेगा।
- **नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट (NHP)** अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में 10 करोड़ रू० के व्यय से 4,000 मोबाईल पम्प कन्ट्रोलर स्थापित किया जायगा। जल की गुणवत्ता की जाँच, एक्वीफर मैपिंग तथा डेटा सेंटर का कार्य प्रक्रियाधीन है।

सहकारिता विभाग

- वर्ष 2020–21 में सहकारिता विभाग का स्कीम मद में 969.94 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 198.44 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 1168.38 करोड़ रू० है।
- वर्ष 2018–19 में 5,019 समितियों द्वारा 2,10,028 किसानों से 14.16 लाख मे० टन धान एवं वर्ष 2019–20 रब्बी विपणन मौसम अन्तर्गत 1,628 चयनित समितियों के माध्यम से 495 किसानों से 2,815.75 मे० टन गेहूँ की अधिप्राप्ति की गयी है। इस वर्ष 27 जनवरी, 2020 तक 5,898 समितियों का चयन कर 34,422 किसानों से 2,60,527.59 मे० टन धान अधिप्राप्ति की जा चुकी है।

- अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य सहकारी बैंक को 800 करोड़ रू० का ऋण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर, बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा 7.25 प्रतिशत पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा 8 प्रतिशत ब्याज दर पर सहकारी समिति (पैक्स/व्यापार मंडलों) को कार्यशील पूँजी के रूप में प्रदान की गई है। साथ ही अतिरिक्त राशि की व्यवस्था हेतु 500 करोड़ रू० की राशि तक सरकारी वित्तीय संस्थानों (नाबार्ड आदि) से प्राप्त करने हेतु राजकीय गारंटी भी प्रदान की गई है।

- वर्ष 2018–19 में 0.70 लाख मे० टन क्षमता के 332 गोदामों तथा वर्ष 2019–20 में अब तक 0.55 लाख मे० टन क्षमता के 215 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण एवं लगभग 1.62 लाख मे० टन क्षमता की 650 गोदाम निर्माणाधीन हैं।

- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** के तहत वर्ष 2018–19 में 42 एवं वर्ष 2019–20 में अब तक 50 पैक्स/व्यापारमण्डलों में चावल मिल का निर्माण कार्य पूर्ण एवं 66 निर्माणाधीन हैं।

- पूर्व से स्थापित 78 चावल मिलों में से 71 के साथ 12 एम० टी० क्षमता (प्रति पाली) के साथ ड्रायर स्थापित है।

- **बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना** के अंतर्गत प्रथम चरण (प्रथम तीन वर्षों के लिए) में इसे 05 जिलों यथा– पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगुसराय में लागू किया गया है जहाँ अबतक निबंधित 95 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक समितियों को मिलाकर हरित सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ, पटना का निबंधन कराया गया है। प्रखंड स्तर पर निर्माण कार्य के लिए 46 प्रखंड स्तरीय समितियों में उपलब्ध भूमि में से 26 समितियों में भूमि निबंधित की जा चुकी है। शीर्ष स्तर पर फेडरेशन का गठन हो चुका है।

- इस योजना का ब्रांड– **तरकारी** है। पटना शहरी क्षेत्र में 05 मोबाईल वैन के माध्यम से दिसम्बर, 2019 तक 69.29 लाख रू० की सब्जी की बिक्री की गई है।

- इस योजना के अगले चरण में 05 जिलों यथा–पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर एवं सीतामढ़ी को सम्मिलित करते हुए तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि०, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) का भी गठन किया गया है।

- **बिहार राज्य फसल सहायता योजना** के अंतर्गत खरीफ 2018 मौसम में निबंधित 11.50 लाख किसानों में से 4.53 लाख को 368.65 करोड़ रू० एवं रब्बी 2018–19 के अन्तर्गत निबंधित 17.54 लाख किसानों में से 1.80 लाख को 74.40 करोड़ रू० की सहायता राशि का भुगतान किया गया है। खरीफ–2019 मौसम हेतु 24.94 लाख किसानों का निबंधन हो जा चुका है।

इस योजना का लाभ रैयत के साथ–साथ गैर रैयत किसानों को भी दिया जा रहा है।

- बिहार राज्य फसल सहायता योजना के प्रावधानानुसार वास्तविक उपज में ह्रास की मात्रा (प्रतिशत) के आलोक में अनुमान्य सहायता राशि को 500 रू० से अन्यून रखने का निर्णय लिया गया है।

- राज्य में कुल 8,463 पैक्सों में पूर्व से 1.16 लाख सदस्यों में से 35.95 लाख महिलायें हैं। पैक्सों में सदस्यता हेतु प्राप्त ऑन–लाईन 8.19 लाख आवेदनों में से 4.49 लाख सदस्य बनाये जाने के उपरांत 05 फरवरी, 2020 तक सदस्यों की संख्या 1.20 करोड़ हो गई है।

- चरणबद्ध तरीके से तीन वित्तीय वर्षों में कम्प्यूटरीकरण हेतु प्रस्तावित देश के 63,000 पैक्सों में बिहार के 8,463 पैक्स शामिल हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक पैक्स के लिए अनुमानित खर्च का 60 प्रतिशत केंद्र सरकार, 35 प्रतिशत राज्य सरकार और 5 प्रतिशत संबंधित पैक्स द्वारा वहन किया जायेगा।

  केंद्र की इस योजना की प्रतीक्षारत अवधि में राज्य के 500 पैक्सों का पायलट आधार पर कम्प्यूटरीकरण एवं 7,963 पैक्सों में NIC द्वारा विकसित App के अनुरूप डिजिलाइजेशन का कार्य प्रक्रियाधीन है।

- राज्य के 14 जिलों में **समेकित सहकारी विकास परियोजना** कार्यान्वित हो चुकी है। वर्तमान में कुल 542.55 करोड़ रू० की लागत से राज्य के 08 जिलों यथा जहानाबाद, अररिया, मोतिहारी, औरंगाबाद, बेगूसराय, दरभंगा, बेतिया एवं पूर्णिया में परियोजना कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत गोदामों का निर्माण, व्यवसाय कार्य, प्रशिक्षण, चावल मिल, वर्मी कम्पोस्ट, मुर्गी पालन एवं दुग्ध उत्पादन केन्द्र, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कम्प्यूटराइजेशन आदि से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं।

- राज्य सरकार द्वारा 56.33 करोड़ रू० की लागत से 05 प्रमंडलीय मुख्यालयों एवं 17 जिला मुख्यालयों में कुल 22 सहकार भवन के निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

- वर्ष 2020–21 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का स्कीम मद में 774.90 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 404.02 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 1178.92 करोड़ रू० है।

पशुपालन

- वर्ष 2019–20 में एफ०एम०डी० **टीकाकरण अभियान** के तहत 3.30 करोड़ तथा एच०एस०बी०क्यू० टीका अभियान (जून–जुलाई 2019 तक) के तहत 165 लाख पशुओं को टीकाकृत किया गया। पी०पी०आर०

टीकाकरण कार्यक्रम के तहत माह फरवरी, 2019 में 51.02 लाख भेंड़–बकरियों को टीकाकृत किया गया है एवं फरवरी, 2020 में 110 लाख भेंड़–बकरियों को टीकाकृत किया जायेगा।

- वर्ष 2020–21 में कुल 5.08 करोड़ पशुओं का टीकाकरण किया जायेगा।

- राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़/सुखाड़/महामारी नियंत्रण हेतु 50 एम्बुलेट्री वैन के माध्यम से अबतक 1,515 पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन, 2.44 लाख पशुओं की चिकित्सा तथा पैथोलॉजिकल जाँच हेतु 4,115 हजार नमूनों का संग्रहण किया गया।

- नवम्बर, 2019 तक कुल 23.50 लाख पशुओं का **कृत्रिम गर्भाधान** किया गया है तथा इस सेवा के विस्तार के लिए 780 पशुधन विकास केन्द्रों की स्थापना पी०पी०पी० मोड पर किया गया है।

- **समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना** के तहत राज्य में जीविका के माध्यम से 4,003 गरीब परिवारों के बीच 12,009 निःशुल्क 3 प्रजनन योग्य बकरियाँ वितरित तथा निजी क्षेत्र में 20 बकरी एवं 1 बकरा क्षमता तथा 40 बकरी एवं 2 बकरा क्षमता के बकरी फार्म की स्थापना पर अनुदान हेतु 394 लाभुक चयनित किये गये। वर्ष 2019–20 में बकरी के विकास हेतु 37.54 करोड़ रू० कर्णांकित है।

- वर्ष 2019–20 में कुक्कुट के विकास हेतु कर्णांकित 82.09 करोड़ रू० की राशि से 5,000 एवं 10,000 क्षमता के लेयर फार्म की स्थापना, जीविका के माध्यम से गरीब परिवारों को अनुदानित दर पर 45 चूजा उपलब्ध कराना आदि योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

- **अंडा की उपलब्धता** वर्ष 2016–17 में प्रतिव्यक्ति 11 बढ़कर वर्ष 2019–20 में 25 हो गयी। विगत तीन वर्षों में अंडों के उत्पादन में 138 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।

- देशी नस्ल के गो वंशीय पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु **राष्ट्रीय गोकुल मिशन** के अन्तर्गत शत्–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से 7.89 करोड़ रू० के लागत से डुमराँव, बक्सर में प्रजनन प्रक्षेत्र (गोकुल ग्राम) की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है।

- मरंगा, पूर्णियाँ में 50 लाख क्षमता का राज्य का एकल एवं देश का चौथा "A" GRADE सीमेन उत्पादन स्टेशन की स्थापना की जा रही है।

- बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के परिसर में 5 एकड़ में 20.00 करोड़ रू० की लागत से भ्रूण हस्तान्तरण प्रोद्यौगिकी (Embryo Transfer Technology - ETT) परियोजना प्रारम्भ किया गया है।

- बिहार में पशुपालन के विकास हेतु International Livestock Research Institute (ILRI) के सहयोग से Livestock Master Plan (LMP) तैयार किया गया है।

- राज्य के 12 जिलों के लगभग 10 लाख गरीब, सीमान्त एवं भूमिहीन किसान परिवारों के आय में दोगुना वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से पशुपालन एवं मत्स्यपालन के क्षेत्र में सेवाओं के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु International Fund for Agricultural Development (IFAD) के आर्थिक सहयोग से BAaLI Project का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसके तहत वर्ष 2020 से 2026 तक के लिए IFAD से सहायता के रूप में 146 मिलियन यू०एस० डॉलर दिया जायेगा।

- राज्य के गोशालाओं को मॉडल गोशाला के रूप में विकसित करने हेतु प्रति गोशाला 20.00 लाख रू० के दर से वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 में 10–10 गोशालाओं हेतु 2–2 करोड़ रू० उपलब्ध कराये गये हैं।

गव्य (कॉम्फेड सहित)

- **समग्र गव्य विकास योजना** के तहत वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 के माह नवम्बर, 2019 तक 2, 4, 6 एवं 10 दुधारू मवेशी की 5,652 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं तथा इनपर 46.73 करोड़ रू० का अनुदान वितरित किया गया है।

- राज्य में दूध की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 254 ग्राम प्रतिदिन है।

- आँगनबाड़ी केन्द्रों को वर्ष 2018–19 से पोषक सुधा (दुग्ध चूर्ण), दूध पाउडर की आपूर्ति की जा रही है एवं वर्ष 2019–20 में माह नवम्बर, 2019 तक आपूर्तित दुग्ध चूर्ण की मात्रा 1,109.50 मे० टन है।

- हाजीपुर में 30 मे० टन प्रति दिन क्षमता का दुग्ध पाउडर संयंत्र तथा पटना एवं नालन्दा में 20 हजार किलो प्रति दिन क्षमता का आईसक्रीम प्लांट स्थापित कर उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है।

- कॉम्फेड, पटना द्वारा राज्य के सभी जिलों के 300 चिन्हित गाँवों में कम दूध देने वाले पशुओं का उन्नत गुणवत्ता का सिमेन उपयोग कर निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कराया जा रहा है।

- कॉम्फेड, पटना द्वारा गठित 23,788 दूग्ध उत्पादक सहयोग समितियों में महिला समितियों की संख्या 3,210 है तथा वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर, 2019 तक 2.65 लाख महिलाओं को इनसे जोड़ा गया है।

- राज्य में 7,224 इकाई स्वचालित दुग्ध संग्रहण/डी०पी०एम०सी०यू० केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

- 61.20 करोड़ रू० की लागत से समस्तीपुर में 5 लाख ली० क्षमता का डेयरी संयंत्र एवं 20.41 करोड़ रू० की लागत से विहियाँ में 300 मे० टन क्षमता के पशु आहार संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं जिन्हें इस वर्ष कार्यशील बनाया जायेगा।

- माह नवम्बर, 2019 तक दुग्ध संग्रहण 19.41 लाख ली० प्रति दिन तथा दुग्ध का विपणन 15.06 लाख ली० प्रति दिन हुआ है।
- विगत 3 वर्षों यथा 2017–18 से माह नवम्बर, 2019 तक कुल 18,191 कृषकों/सदस्यों को गव्य तकनीक में प्रशिक्षित किया गया है।
- राज्य में पशु सम्पदा में Overall 10.67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- कॉम्फेड, पटना का राष्ट्रीय स्तर पर छठा स्थान है।

मत्स्य

- वर्ष 2017–18 में मत्स्य उत्पादन 5.87 लाख मैट्रिक टन हुआ जो वर्ष 2018–19 में बढ़कर 6.02 लाख मे० टन हो गया। वर्ष 2019–20 में यह बढ़कर 6.69 लाख मे० टन होने की संभावना है।
- राज्य में 40 हजार टन मछलियाँ आंध्रप्रदेश एवं पश्चिम बंगाल से आयात की जा रही है जबकि 33 हजार टन मछलियाँ बिहार से नेपाल तथा सिल्लीगुड़ी, लुधियाना, अमृतसर, बनारस, गोरखपुर, देवरिया, कप्तानगंज, राँची, गोड्डा आदि शहरों में भेजी जा रही हैं।
- इनलैण्ड मछली के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का चौथा स्थान है।
- वर्ष 2018–19 में कुल 10 एवं वर्ष 2019–20 में अब तक 6 मत्स्यबीज हैचरियों का निर्माण किया गया है। राज्य में निजी क्षेत्र में अधिष्ठापित 161 मत्स्यबीज हैचरियों में से 135 कार्यशील हैं।
- वर्ष 2017–18 में मत्स्य अंगुलिकाओं (बीज) का उत्पादन 37.30 करोड़ से 11.12 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2018–19 में 41.45 करोड़ हो गया है।
- वर्ष 2017–18 में 522.11 हेक्टेयर, वर्ष 2018–19 मे 679.72 हेक्टेयर एवं वर्ष 2019–20 में अबतक 441.23 हे० नये जलक्षेत्र का सृजन किया गया है।
- राज्य में वर्ष 2019–20 में 1,072 हे० आर्द्र जल क्षेत्रों में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन किया गया है।
- 36,501 मत्स्य कृषकों में से 11,163 को राज्य से बाहर एवं 25,338 को राज्य में आधुनिक मत्स्य पालन का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया है।
- मत्स्य पालन हेतु तालाब में सालों भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2018–19 में 519 ट्यूबवेल एवं 434 पम्पसेट तथा वर्ष 2019–20 में अब तक 217 ट्यूबवेल एवं 192 पम्पसेट का अधिष्ठापन किया गया है।
- पहली बार राज्य के अतिपिछड़ी जाति के मत्स्य पालकों के लिए 90 प्रतिशत अनुदान पर मत्स्य विपणन एवं मात्स्यिकी विकास की 21.64 करोड़ रू० की योजनाओं के परिचालन का निर्णय लिया गया है।

- जल–जीवन–हरियाली अभियान अन्तर्गत **बायोफ्लॉक तकनीक** से बिना पर्यावरण को नुकसान पहुँचाये सीमित जगह एवं कम जल में अधिक मछली उत्पादन हेतु शुरू की गई योजना के तहत वर्ष 2019–20 में कुल 14.73 करोड़ रू० का व्यय होगा।

- केन्द्र प्रायोजित स्कीम–नीली क्रांति–समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन योजनान्तर्गत **बिहार के लिए प्रधानमंत्री विशेष पैकेज** के तहत मात्स्यिकी विकास तथा मात्स्यिकी आधारभूत संरचना के विकास हेतु 186.64 करोड़ रू० की योजनाओं की स्वीकृति दी गई है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

- वर्ष 2020–21 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का स्कीम मद में 440.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 198.93 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 638.93 करोड़ रू० है।

- वर्ष 2020–21 में 09 अगस्त, 2020 को एक ही दिन 2.51 करोड़ पौधे लगाये जायेंगे जिसमें लगभग 60 लाख पौधे मनरेगा के माध्यम से, अवकृष्ट वनों के पुनर्वास में 92.79 लाख पौधे तथा शेष सार्वजनिक भूमि एवं निजी भूमि में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, जीविका समूह तथा किसानों के माध्यम से लगाये जायेंगे।

- वर्ष 2019–20 में कराये गये कुल 75.85 लाख पौधारोपण में से 54.63 लाख वन भूमि में, 9.59 लाख पथों के किनारे, 6.40 लाख नहर एवं नदी के किनारे एवं 1.29 लाख परिसरों में लगाये गये।

- वर्ष 2019–20 में विभिन्न मदों से वन क्षेत्र में कुल 55,024.62 हे० में मृदा एवं जल संरक्षण का कार्य कराया जा रहा है तथा वर्ष 2020–21 में 53,409 हे० क्षेत्र में कार्य कराया जायेगा।

- **कृषि वानिकी योजना** के तहत वर्ष 2019–20 में कुल 3.94 लाख पौधे किसानों के माध्यम से उनके खेतों में लगाये गये हैं तथा वर्ष 2020–21 में 20 लाख पौधे लगाये जायेंगे।

- कृषि वानिकी योजना के तहत पौधों की 50% से अधिक उत्तरजीविता रहने पर किसानों को वर्षवार प्रोत्साहन राशि का भुगतान तीन वर्षों के उपरांत एक ही बार वास्तविक उत्तरजीविता के आधार पर 60 रू० प्रति जीवित पौधे की दर से भुगतान DBT के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है।

- **मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना** के तहत लोगों के निजी पौधशाला से पौधे प्राप्त कर विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में उनका उपयोग किया जाता है। परंतु, वर्ष 2019–20 में पहली बार जीविका समूहों को 210 तथा अन्य कृषकों को 152 अर्थात कुल 362 पौधशाला आवंटित किये गये हैं जहाँ कुल 72.40 लाख पौधे उगाये जायेंगे। इसके अतिक्ति 100 पोपलर नर्सरी में लगभग 10 लाख पोपलर के पौधे उगाये जाने की योजना है।

- वर्ष 2018–19 में पूर्व के 82 स्थायी पौधशालाओं एवं 74 निजी पौधशालाओं के अलावा 119 अन्य पौधशाला स्थापित किये गये हैं तथा पिछले वर्ष तक पौधों की उपलब्धता लगभग 1.5–2.00 करोड़ को बढ़ाकर वर्ष 2020 में लगभग 08 करोड़ की जायेगी।

- बिहार राज्य में बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षियों के आगमन, सुरक्षा एवं इनके मोनिटरिंग के उद्देश्य से Bombay Natural History Society के साथ समन्वय कर पाँच वर्षों में भागलपुर जिले में एक Ringing एवं Monitoring Station का निर्माण किया जायेगा। प्रवासी पक्षियों के Ringing एवं तत्पश्चात उनका Tracking करते हुए उनके आवासन एवं अन्य क्रियाकलापों का अध्ययन किया जायेगा।

- बिहार में **ईको–टूरिज्म** को बढ़ावा देने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में विभाग के अंतर्गत एक अलग संभाग का सृजन किया जायेगा।

- बाल्मीकि टाईगर रिजर्व में आवासन की व्यवस्था में विस्तार, सवारी हेतु वाहनों की संख्या में वृद्धि एवं गंडक नदी में नौकायन प्रारंभ किया गया है तथा 20 दिसम्बर, 2019 से वहाँ के लिए शुरू किये गये विशेष पैकेज की सुविधा से प्रत्येक सप्ताहान्त में 16 पर्यटकों के ग्रुप लाभांवित हो रहे हैं। इस व्याघ्र आरक्ष में मंगुराहो के लिए भी विशेष पैकेज प्रारंभ किया जा रहा है।

  वर्ष 2018–19 में बाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में पर्यटकों की संख्या अप्रैल, 2018 से जनवरी, 2019 तक 74,998 थी जो अप्रैल, 2019 से जनवरी, 2020 तक दोगुना बढ़कर लगभग 1.50 लाख हो गयी।

- राजगीर में 472 एकड़ क्षेत्रफल में 176.18 करोड़ रू० की लागत से जू–सफारी का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें पाँच प्रकार के वन्यप्राणी यथा– विभिन्न प्रकार के हिरण, भालू, तेन्दुआ, बाघ एवं शेर के लिए पाँच बड़े इन्क्लोजर (बाड़े) बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इसमें उच्च स्तर के एवियरी (पक्षी) एवं बटरफ्लाई पार्क, थ्री–डी थियेटर, इन्टरप्रेटेशन सेन्टर, ऑरियेन्टेशन सेन्टर, ओपेन एयर थियेटर का निर्माण भी कराया जा रहा है। जू–सफारी का निर्माण कार्य अगस्त, 2020 तक पूरा कर लिया जायेगा।

- राजगीर जू–सफारी की सीमा से लगभग 2 कि०मी० की दूर सोनभंडार से जेठियन सम्पर्क पथ पर सुरक्षित वन क्षेत्र में 1,250 एकड़ में 19.29 करोड़ रू० के लागत से **राजगीर में नेचर सफारी** का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें नेचर वाक का ट्रैक निर्माण, कैनोपी वाक, साईकिल ट्रैक, रॉक क्लाइबिंग, जीप लाईन आदि एडवेंचर स्पोर्टस की सुविधा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त नेचर कैम्प, रात्रि विश्रामगृह, वॉच टावर, तथा नेचर इंटरप्रेटेशन सेंटर आदि की स्थापना करायी जायेगी। अगले वित्तीय वर्ष तक इसका निर्माण पूर्ण करा लिया जायेगा।

- **संजय गाँधी जैविक उद्यान** में वर्ष 2018–19 में दर्शकों की संख्या 24.48 लाख तथा वर्ष 2019–20 में जनवरी, 2020 तक 18.55 लाख थी।

- वहाँ जानवरों की संख्या में निरंतर वृद्धि की जा रही है। वर्ष 2019–20 में गौर (Gaur), मादा जेबरा (Zebra), एक जोड़ा बाघ (Tiger), एक जोड़ा लायन टेल्ड मकोक (Lion tailed Macaque), एक जोड़ा भेड़िया (Wolf), पाइथन (Python) तथा कई चिड़िया जैसे – नाइट हेरन (Night Heron), फीजेन्टस (Pheasant), पेंटेड स्टॉर्क (Painted Stork), उजला मोर (White Peafowl) तथा शुतुरमुर्ग (Ostrich) लाये गये हैं। वर्ष 2020–21 में वियतनाम से एक जोड़ा 02 सींग वाला गैण्डा (Two horned Rhnioceros) तथा डेनमार्क से रॉयल पाइथन (Royal Python), राइनो इगुआना (Rhino iguana), नाइल क्रोकोडाइल (Nile crocodile) तथा ग्रीन अनाकोन्डा (Green Anaconda) लाये जायेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से 02 कंगारू (Kangaroo) तथा अरूणाचल प्रदेश से हुलॉक गिब्बन (Hoolock gibbon) प्राप्त किया जायेगा।

- 5.38 करोड़ रू० की लागत राईनो प्रजनन एवं संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इसमें माह मार्च, 2020 में राईनो (Rhino) स्थानान्तरित कर दिए जायेंगे। संरक्षित क्षेत्र में लोगों के जाने की अनुमति नहीं होने के कारण इस केंद्र के बाहर टी०वी० स्क्रीन संस्थापित किये जायेंगे ताकि दर्शक राईनो की गतिविधियों को देख सकें।

- 11.01 करोड़ रू० की लागत से निर्मित थ्री–डी थियेटर में 06 शो 3D एवं 2D मूवी का प्रदर्शन किया जा रहा है तथा मार्च, 2019 से जनवरी, 2020 तक 25,524 दर्शकों ने थियेटर में मुवी देखा। मार्च, 2020 से दर्शकों निःशुल्क मुवी देखने की सुविधा प्रदान की जायेगी।

- 1.07 करोड़ रू० की लागत से वियतनाम जू से प्राप्त किए जाने वाले दो सींग वाले एक जोड़ा गैंडा, 1.13 करोड़ रू० की लागत से डेनमार्क चिड़ियाघर से प्राप्त किए जाने वाले रेप्टाईल्स (Reptiles) यथा रॉयल पाईथन (Royal python), राईनो इगुआना (Rhino iguana), नाईल क्रोकोडाईल (Nile crocodile) एवं ग्रीन अनाकोन्डा (Green Anaconda) तथा 2.90 करोड़ रू० की लागत से हाईना (Hyena), सियार (Jackal) तथा भेड़िया (Wolf) एवं 96.62 लाख रू० की लागत से घड़ियाल के लिए इंक्लोजरों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

- जन्तु प्रक्षेत्र में भी सड़क के चौड़ीकरण का काम पूरा कर लिया गया है तथा शीघ्र ही इसमें 63.92 लाख रू० की लागत से ट्रैकलेस ट्रेन (Trackless Train) का परिचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा।

- मुंगेर जिलान्तर्गत भीमबाँध, नवादा जिलान्तर्गत ककोलत एवं कैमूर जिलान्तर्गत करकटगढ़ को आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। माह दिसम्बर, 2019 में भीमबाँध में पर्यटन सुविधाओं का लोकार्पण किया गया तथा माह जनवरी, 2020 तक वहाँ 1,55,000 पर्यटकों ने भ्रमण किया जिससे 5.57 लाख रू० की राजस्व की प्राप्ति हुई है।

- वन्यप्राणी के संरक्षण–सवर्द्धन के साथ–साथ मानव–वन्यप्राणी द्वंद को कम करने हेतु त्वरित कार्रवाई बल (Rapid Response Force) के गठन की स्वीकृति दी गई है तथा 9 पशु चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

- बाल्मीकि ब्याघ्र आरक्ष, बेतिया में बाघ की संख्या संप्रति 31 है, जिनकी सुरक्षा के लिए विशेष ब्याघ्र संरक्षण बल (STPF) का गठन किया जा रहा है।

- शरद ऋतु में राज्य के उत्तरी जिलों के झीलों में प्रवासी पक्षियों के नियमित रूप से होनेवाले आगमन के आकलन तथा उनके संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु भागलपुर के **सुन्दर वन में गरूड़ एवं कछुआ पुनर्वास केन्द्र** स्थापित किया गया है। घायल गरूड़ों का ईलाज कराकर उन्हें स्वस्थ अवस्था में खुले जगहों में विमुक्त किया जाता है।

- राज्य में विकास कार्यों हेतु आवश्यक वनभूमि के अपयोजन के प्रस्तावों में पौधों की कटाई को न्यूनतम करने हेतु सड़क का alignment बदलने के अतिरिक्त पेड़ों का Translocation कराने का निर्णय लिया गया है। अब पेड़ों को विशेष परिस्थिति में ही काटा जा सकेगा। आर० ब्लॉक–दीघा पथ के निर्माण के दौरान 98 पेड़ों को Translocate किया गया है।

- **राज्य कैम्पा प्राधिकरण** को भारत सरकार से प्राप्त राशि कुल 522.94 करोड़ रू० के विरूद्ध वर्ष 2019–20 में 140.18 करोड़ रू० की राशि से राज्य के 10 प्रमंडलों के कुल 47,282 हे० वन क्षत्रों में मृदा एवं जल संरक्षण का कार्य, 26.41 लाख पौधों का रोपण एवं रक्षित 52.29 लाख पौधों का सम्पोषण तथा 121 वनरक्षी/वनपाल के आवास का निर्माण कराया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में कुल 42,000 हे० में मृदा संरक्षण कार्य के साथ लगभग 6,000 हे० वन भूमि पर वृक्षारोपण तथा 140 वनरक्षी/वनपाल के आवास निर्माण का कार्य कराया जायेगा।

- काष्ठ आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक नीति के तहत उन्हें प्राथमिकता सूची में शामिल किया जायेगा।

- इन उद्योगों से संबंधित नया विधेयक विधानमंडल के इसी सत्र में पारित कराने का प्रयास किया जायेगा।

- लगभग 30 वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद इस वर्ष 879 वनरक्षियों की नियुक्तियाँ हुई हैं जिससे विभाग की कार्यक्षमता पर अनुकूल असर पड़ेगा।

- राज्य में जैव विविधता का सही आकलन एवं उनका संवर्द्धन व संरक्षण हेतु वन क्षेत्र सहित विभिन्न पंचायतों में जैव विविधता पंजी बनाने का कार्य शुरू किया गया है।

- राज्य के आर्द्र भूमि के संरक्षण को बढ़ाये जाने हेतु माह फरवरी, 2020 में राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकार का गठन किया गया है।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संभाग की स्थापना करते हुए इसके लिए विभिन्न कोटि के कुल 29 पदों का सृजन किया गया है।

- वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक (पाँच वर्षों) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्त सम्पोषित Bihar State Knowledge Management Centre on Climate Change (SKMCCC) की स्थापना एवं इसके संचालन हेतु RA-III कोटि के 01, SRF कोटि के 02 एवं JRF कोटि के 02 अर्थात कुल 5 पदों का सृजन किया गया है।

- राज्य के कुल 27 वन प्रमंडलों में वनरोपण कार्य एवं रख–रखाव, मृदा जल संरक्षण, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य, वन्य प्राणी के सुरक्षा, संरक्षण एवं सम्वर्द्धन का कार्य एवं महिला रक्षा वाहिनी के मानदेय आदि पर व्यय तथा राज्य कैम्पा प्राधिकरण, पटना के मुख्यालय स्तर पर कतिपय कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कुल 140.18 करोड़ रू० की स्वीकृति दी गई है।

- पटना, मुजफ्फरपुर एवं गया में पूर्व से स्थापित एक–एक **अनवरत परिवेशीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र** के अतिरिक्त कुल 13.37 करोड़ रू० की लागत से इस वर्ष आठ प्रबोधन केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिनमें पटना में पाँच एवं हाजीपुर व गया में एक–एक केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है तथा मुजफ्फरपुर में एक अतिरिक्त केन्द्र की स्थापना की जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष में कुल 40.80 करोड़ रू० की लागत से राज्य के विभिन्न शहरों में 24 अतिरिक्त केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

- वर्ष 2019 में जनवरी से दिसम्बर के दौरान विभिन्न अधिनियमों/नियमावली के प्रवर्त्तन हेतु कुल 3,131 इकाइयों को 'प्रोपोज्ड क्लोजर डायरेक्शन' तथा 864 इकाइयों को 'डायरेक्शन फॉर क्लोजर' जारी किया गया है तथा 133 इकाइयों के विरूद्ध कम्पलेंट केस दायर किये गये हैं।

- आगामी वित्तीय वर्ष में 12 करोड़ रू० की लागत से पूर्णियाँ एवं भागलपुर में आवंटित भू–खण्ड में राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के नये क्षेत्रीय कार्यालयों का निर्माण पूरा कर लिया जायेगा।

ग्रामीण विकास विभाग

- वर्ष 2020–21 में ग्रामीण विकास विभाग का स्कीम मद में 15529.88 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 425.41 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 15955.29 करोड़ रू० है।

- **प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** के अंतर्गत वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2019–20 के लिए भौतिक लक्ष्य 19.76 लाख के विरूद्ध अब तक 19.18 लाख परिवारों को आवास की स्वीकृति देते हुए 14,713.62 करोड़ रू० के व्यय से 7.87 लाख आवास पूर्ण कराया गया है।

- **इंदिरा आवास योजना** अन्तर्गत पूर्व के वर्षो के बचे हुए 1.98 लाख आवासों को वर्ष 2019–20 में अब तक 68.62 करोड़ रू० के व्यय से पूर्ण कराया गया है ।

- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के वास भूमि विहीन परिवारों को **मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना** के तहत वास भूमि क्रय हेतु प्रति लाभुक 60,000 रू० की सहायता राशि राज्य निधि से लाभार्थी के आधार संख्या से सम्बद्ध बैंक खाते में अंतरित की जाती है।

- वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत कुल 50 करोड़ रू० का बजट उपलब्ध है तथा अभी तक कुल 3.15 करोड़ रू० की सहायता राशि 526 लाभुकों के खाते में अंतरित की गई है। इस योजना के तहत वर्ष 2020–21 में प्रतीक्षा सूची के 7.00 लाख लाभुकों को आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जायेगा।

- पूर्व के वर्षों में विभिन्न योजनाओं के तहत बने आवास के जीर्ण–शीर्ण व असुरक्षित हो जाने तथा ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत पुनः लाभान्वित नहीं कराये जा सकने के कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़े वर्ग के ऐसे परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा **मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना** लागू की गई है।

- राज्य के सभी आवास विहीन सुयोग्य परिवारों, जिनका नाम अभी प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में नहीं है, के लिए निधि की उपलब्धता के अनुरुप मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु कार्रवाई की जायेगी। वर्तमान में 32.86 लाख परिवारों का नाम सूचीबद्ध किया गया है।

- योजनान्तर्गत अभी तक 3,059 लाभुकों का आवास सॉफ्ट पर निबंधन, 794 लाभुकों को आवास की स्वीकृति तथा वर्ष 2019–20 में कुल 120 करोड़ रू० के विरूद्ध 8.96 करोड़ रू० की राशि 224 लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में अंतरित की गई है। इस योजना हेतु वर्ष 2020–21 में 422.91 करोड़ रू० कर्णांकित है।

- **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)** के तहत वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति/जनजाति के बसावटों के लिए सम्पर्क सड़क, उनका पक्कीकरण एवं नाली निर्माण की 12,949 योजनाएं पूर्ण एवं 84,929 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है। पंचायतों में मनरेगा भवन निर्माण की 54 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं एवं 527 आँगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है ।

- वर्ष 2019–20 में 01 फरवरी, 2020 तक 26.12 लाख परिवारों को रोजगार मुहैय्या कराते हुए 10.43 करोड़ मानव दिवस तथा 2,664.45 करोड़ रू० के व्यय से अबतक 3.54 लाख परिसम्पतियों का सृजन किया है ।

- **जीविका** परियोजना के तहत अबतक 9.15 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन कर इनसे 1.05 करोड़ से अधिक परिवारों को जोड़ा गया है। अबतक 58,700 से अधिक ग्राम संगठन तथा 977 संकुल स्तरीय संघ गठित हो चुके हैं। वर्ष 2019–20 में 85 हजार स्वयं सहायता समूह, 300 ग्राम संगठन एवं 50 संकुल संघों का गठन किया जायेगा।

- स्वयं सहायता समूहों ने बैंकों से 10,500 करोड़ रू० का ऋण लेकर आजीविका संवर्धन हेतु इसका उपयोग किया है। वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2020 तक समूहों को बैंकों के माध्यम से लगभग 2,500 करोड़ रू० का ऋण दिया गया है तथा मार्च, 2020 तक ऋण की राशि 3,500 करोड़ रू० तक होने का अनुमान है।

- वर्ष 2020–21 में 2.50 लाख समूहों को 5,000 करोड़ रू० के बैंक ऋण से सम्पोषित करने का लक्ष्य है।

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति एवं प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत अबतक स्वयं सहायता समूहों से जुड़े 22.35 लाख सदस्यों को आच्छादित किया गया है तथा वर्ष 2020–21 में 25 लाख परिवारों को आच्छादित किया जायेगा।

- अबतक 802 बैंक सखी के द्वारा ग्राहक सेवा केन्द्र के माध्यम से 1,543 करोड़ रू० की जमा एवं निकासी की गई है। वर्ष 2020–21 में 1,000 ग्राहक सेवा केन्द्र खोले जायेंगे।

- अबतक 8.11 लाख छोटे और सीमांत कृषकों को कृषि की नई तकनीक से जोड़ा गया है तथा 08 उत्पादक कंपनियों का गठन कर उनके माध्यम से उत्पादित मक्का, बीज, उर्वरक, तिलहन, सब्जी, फल आदि की बिक्री की जा रही है।

- **समेकित मुर्गी विकास एवं एकीकृत बकरी एवं भेड़ विकास योजना** के तहत 2.5 लाख परिवारों को मुर्गीपालन एवं बकरीपालन से जोड़ा गया है। कौशिकी दुग्ध उत्पादक कंपनी की स्थापना कोशी प्रमंडल हेतु की गयी है जिसके अंतर्गत अबतक 291 दुग्ध संग्रहण केंद्र खोले गए है। वर्ष 2020–21 में 600 दुग्ध संग्रहण केन्द्र खोले जायेंगे।

- अबतक 9,477 सदस्यों को अगरबत्ती निर्माण हेतु प्रशिक्षित एवं 4,160 सदस्यों को कला एवं शिल्प संबंधी कार्यों से जोड़ा गया है तथा 2,880 मधुमक्खी पालक कृषकों को डाबर के साथ जोड़ते हुए तीन Honey Resource Centre की स्थापना मुजफ्फरपुर में की गयी है। वर्तमान में स्वयं सहायता समूह सदस्य अपने निर्मित उत्पाद को Flipkart एवं अन्य online बेब–पोर्टल के माध्यम से लाभकारी मूल्यों पर बिक्री कर रहे हैं। 8,857 सदस्यों को SVEP (Startup Village Entrepreneur Programme) से जोड़ा गया तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1,500 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा जायेगा।

- अबतक लगभग 2.30 लाख युवाओं को कौशल विकास एवं नियोजन के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित अथवा स्वनियोजित किया गया है। वर्ष 2019–20 में DDU-GKY द्वारा 35,500 युवाओं के प्रशिक्षण के लक्ष्य के विरूद्ध 10,217 युवाओं एवं ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर–सेटी) द्वारा 22,000 युवाओं के प्रशिक्षण के लक्ष्य के विरुद्ध अबतक 17,996 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

- **सतत् जीविकोपार्जन योजना** के अंतर्गत 1 लाख परिवारों का क्षमता संवर्धन तथा वित्त पोषण कर उन्हें लाभान्वित करने तथा वर्ष 2019–20 में अतिरिक्त चयन किए जाने वाले 50 हजार परिवारों में लगभग 40 हजार परिवारों को जीविकोपार्जन निवेश निधि उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

- इसके तहत अबतक 50,432 लक्षित परिवारों का चयन कर 970 मास्टर रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षण एवं 39,272 लक्षित परिवारों को जीविकोपार्जन अंतराल राशि दी गई है। 11,509 ग्राम संगठनों को जीविकोपार्जन निवेश निधि उपलब्ध कराई गई है एवं 33,788 लक्षित परिवारों को एकीकृत परिसंपत्ति के सृजन हेतु सहयोग दिया गया है।

- **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत छूटे हुए टोलों/बसावटों को आच्छादित करने हेतु कोई छूटे नहीं** (No one Left Behind) अक्टूबर, 2019 से 15 फरवरी, 2020 तक संचालित अभियान के तहत कुल 8.08 लाख घरों को चिन्हित कर IMIS पर जोड़ते हुए जनवरी, 2020 तक 4.08 लाख घरों को शौचालय से आच्छादित कर दिया गया है तथा शेष घरों को 31 मार्च 2020 तक आच्छादित किया जायेगा। 1.44 लाख परिवारों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया है।

- राज्य में वर्ष 2015 की अनुमानित जनसंख्या 10.97 करोड़ में से अभी तक 10.44 करोड, जिसमें व्यस्कों (18 वर्ष से उपर) की 100 प्रतिशत, 05–18 वर्ष आयुवर्ग की 88.4 प्रतिशत एवं 0–5 वर्ष आयुवर्ग की 26 प्रतिशत जनसंख्या शामिल है, का आधार सृजित किया जा चुका है।

- आधार पंजीकरण तथा आधार से संबंधित अन्य सेवाओं यथा बायोमैट्रिक अपडेशन, ई–आधार, आधार की स्थिति की जानकारी इत्यादि की सुविधा सभी नागरिकों को सतत् रूप से उपलब्ध कराने हेतु राज्य के सभी जिला मुख्यालयों, अनुमंडलों, प्रखंडों, एवं सभी नगर निकायों में कुल 906 स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्रों (PEC- Permanent Enrollment Centre) की स्थापना की गयी है जहाँ अबतक 52 लाख लोगों का आधार सृजित किया जा चुका है।

- **प्रखंड कार्यालय सह आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास योजना** के तहत राज्य के सभी जीर्ण–शीर्ण प्रखंडों में से प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत 77 योजनाओं के विरूद्ध 34 का कार्य पूर्ण तथा शेष 43 में कार्य प्रगति पर है।

- **आर०आई०डी०एफ० योजना** अंतर्गत राज्य के 101 प्रखण्ड के विरूद्ध 49 में प्रौद्योगिकी केन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण एवं 48 में कार्य प्रगति में है।

योजना एवं विकास विभाग

- वर्ष 2020–21 में योजना एवं विकास विभाग का स्कीम मद में 1886.98 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 214.58 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 2101.56 करोड़ रू० है।

- राज्य में अवस्थित सभी जन्म–मृत्यु निबंधन इकाइयों में जन्म और मृत्यु निबंधन CRS Portal पर ऑनलाईन किया जा रहा है। वर्ष–2018 में जन्म निबंधन 78.02% एवं मृत्यु निबंधन 33.29% तथा वर्ष–2019 में 96.72% जन्म निबंधन एवं 55.24 मृत्यु निबंधन किया गया। वर्ष 2020 में शत्–प्रतिशत जन्म निबंधन करने का लक्ष्य है।

- सभी अधिसूचित फसलों के कटनी प्रयोग के आँकड़ों का संग्रहण GPS System आधारित CCE App के माध्यम से किया जा रहा है।

- **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना** के अंतर्गत वर्ष 2011–12 से वर्ष 2019–20 तक अद्यतन अनुमान्यता राशि 5,654.69 करोड़ रू० के विरूद्ध 3,324.65 करोड़ रू० के व्यय से 90,588 योजनायें पूर्ण एवं 14,884 योजनाओं का कार्य प्रगति में हैं।

- **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना** अंतर्गत 16वीं लोकसभा के माननीय सांसदों की अनुशंसा पर कुल स्वीकृत 20,447 योजनाओं के विरूद्ध 952.48 करोड़ रू० के व्यय से 16,674 योजनायें तथा राज्यसभा के माननीय सांसदों की अनुशंसा के आलोक में कुल स्वीकृत 3,890 योजनाओं के विरूद्ध 254.06 करोड़ रू० के व्यय से 2,924 योजनायें पूर्ण करायी गई हैं।

- **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम** के अंतर्गत 485.74 करोड़ रू० के व्यय से 2,225 योजनायें पूर्ण एवं 399 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है।

- **विशेष केन्द्रीय सहायता योजना** के तहत वर्ष 2019–20 में प्रति जिला 20 करोड़ रू० की दर से अत्यधिक वामपंथ उग्रवाद प्रभावित 04 जिलों यथा– गया, औरंगाबाद, लखीसराय एवं जमुई के लिए भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त की विमुक्त राशि से योजनाओं का कार्यान्वयन किया रहा है।

- **बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना (कोसी–II)** हेतु कुल उपबंधित राशि 2,259 करोड़ रू० के विरूद्ध दिसम्बर, 2019 तक 863.38 करोड़ रू० का व्यय किया गया है।

- देश के 115 आकांक्षी जिलों में शामिल बिहार के 13 जिलों में से जनवरी, 2019 में गया जिले को स्वास्थ्य, जमुई जिले को कृषि तथा बेगुसराय जिला को सभी पाँच प्रक्षेत्रों में बेहतर कार्य हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार से

सम्मानित किया गया है। मार्च–अप्रैल, 2019 में सभी प्रक्षेत्रों में बेहतर कार्यकलाप हेतु खगड़िया जिले को प्रथम पुरस्कार तथा जमुई जिले को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी अवधि में जमुई जिले को वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास के प्रक्षेत्र में भी अग्रणी रहने के लिए सम्मानित किया गया।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

- वर्ष 2020–21 में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का स्कीम मद में 265.04 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 672.90 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 937.94 करोड़ रू० है।

- राज्य के सभी 534 अंचलों में ऑन–लाईन दाखिल–खारिज याचिकाओं का निष्पादन किया जा रहा है तथा सभी 3.56 करोड़ सृजित जमाबंदी को डिजिटाईज्ड कर आम लोगों के अवलोकन हेतु विभागीय Website पर अपलोड कर दिया गया है। दाखिल–खारिज की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु निबंधन कार्यालयों को Suo Motto सभी अंचल कार्यालयों के साथ सम्बद्ध किये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

- राज्य के सभी 534 अंचल ऑनलाईन भू–लगान भुगतान हेतु अधिसूचित हैं तथा पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से अब तक 19,97,567 भू–लगान रसीद निर्गत होने के फलस्वरूप 32.91 करोड़ रू० की राशि संग्रहित हुई है।

- राज्य के सभी जिलों के डिजिटाईज्ड राजस्व मानचित्रों के अतिरिक्त 34 जिलों के सदर अंचल कार्यालयों एवं 03 अन्य कार्यालयों में A0 साईज का प्लॉटर अधिष्ठापित करते हुए मानचित्र की आपूर्ति की जा रही है। शेष 04 जिलों यथा भोजपुर (आरा), बक्सर, रोहतास एवं कैमूर में शीघ्र ही प्लॉटर अधिष्ठापित कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त बिहार फाउण्डेशन, मुम्बई एवं बिहार भवन, नई दिल्ली से भी डिजिटाईज्ड मानचित्र की आपूर्ति की जा रही है।

- आधुनिक तकनीक से तैयार किये गये भू–अभिलेख डाटा का अंचल स्तर पर संधारण हेतु राज्य के सभी अंचलों में चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत डाटा केन्द्र सह आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में कुल 534 में से 426 अंचलों में डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

- राज्य के राजस्व पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आधुनिक उपकरणों/तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शास्त्रीनगर, पटना में राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान का छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

- राज्य के तीन अंचलों यथा– बेगूसराय सदर, शेखपुरा के घाटकुसुम्भा एवं सुपौल के पिपरा अंचल में कराये जा रहे विशेष सर्वे के तहत कुल 136 ग्रामों के 681 त्रि–सीमानों को चिन्हित करके नियत (Fix) कर 111 पर मोन्यूमेंट (Pillar) स्थापित कर दिया गया है।

- **अभियान बसेरा कार्यक्रम** के अंतर्गत वास रहित सर्वेक्षित सभी 2.40 लाख परिवारों को विभिन्न श्रोतो से वास भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है। सुयोग्य श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग–अनुसूची–I एवं पिछड़ा वर्ग–अनुसूची–II) के सर्वेक्षित 1.29 लाख परिवारों में से अभी तक 92,164 परिवारों को वास भूमि उपलब्ध करायी गयी है। शेष 37,678 वासभूमि रहित परिवारों को वर्ष 2019–20 तक वास भूमि उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।

पंचायती राज विभाग

- वर्ष 2020–21 में पंचायती राज विभाग का स्कीम मद में 2411.52 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 8203.69 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 10615.21 करोड़ रू० है।

- सरकार द्वारा अबतक स्वीकृत 3,200 पंचायत सरकार भवनों के विरूद्ध 1,171 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायतों के माध्यम से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं।

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक–एक कार्यपालक सहायक, प्रत्येक चार पंचायत पर एक लेखापाल एवं एक तकनीकी सहायक की संविदा आधारित नियुक्ति के निर्णय के उपरांत लगभग 7,000 कार्यपालक सहायक, 1,400 लेखापाल एवं 1,100 तकनीकी सहायकों द्वारा योगदान कर लिया गया है।

- प्रत्येक जिला में जिला पंचायत राज प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है तथा 20 प्रखंड तक के 14 जिलों में 4.00 करोड़ रू० की लागत से G+1 एवं 20 प्रखंड से अधिक के 24 जिलों में 5.14 करोड़ रू० की लागत से G+2 भवन का निर्माण किया जायेगा तथा इस हेतु जिलों को 179.00 करोड रू० उपलब्ध कराये गये हैं। इन केन्द्रों के लिए प्राचार्य के 38 तथा व्याख्याता के 104 पदों का सृजन किया गया है।

- राज्य के 24 जिला मुख्यालयों में 123.54 करोड़ रू० की लागत से जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (DPRC) भवन के निर्माण एवं शेष 14 अपेक्षाकृत छोटे जिलों में प्रति भवन 4 करोड़ रू० से कम लागत के जिला पंचायत संसाधन केन्द (DPRC) के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

नगर विकास एवं आवास विभाग

- वर्ष 2020–21 में नगर विकास एवं आवास विभाग का स्कीम मद में 3418.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 3795.72 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 7213.72 करोड़ रू० है।

- 13,365.77 करोड़ रू० की अनुमानित लागत के **पटना मेट्रो रेल परियोजना** के अन्तर्गत पटना में कुल 31.39 किलोमीटर लंबाई के दो कोरिडोर का चयन किया गया है तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) को Nomination Basis पर कार्य आवंटित कर इस हेतु उसके साथ 25 सितम्बर, 2019 को 482.87 करोड़ रू० के शुल्क पर एकरारनामा किया गया है। DMRC द्वारा कार्य प्रारंभ कर ड्रोन सर्वे का काम पूर्ण कर मिट्टी की जाँच की जा रही है।

- बुडको द्वारा वर्तमान में नमामि गंगे कार्यक्रम अंतर्गत 6,145.12 करोड़ रू०, अमृत मिशन अंतर्गत 2,657.02 करोड़ रू०, एशियन डेवलपमेंट बैंक अंतर्गत 1,122.77 करोड़ रू० एवं राज्य योजना अन्तर्गत 762.17 करोड़ रू० अर्थात कुल 10,687.08 करोड़ रू० की विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

- बुडको द्वारा क्रियान्वित की जा रही National Mission for Clean Ganga (NMCG) से स्वीकृत 33 योजनाओं में 15 सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट एवं नेटवर्क, 15 इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन एवं सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट, 2 घाट (मुजफ्फरपुर एवं गोपालगंज) तथा 1 गंगा रिवरफ्रंट डेवलपमेंट (पटना) योजनाएं शामिल हैं।

- सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट एवं नेटवर्क की 15 योजनाओं में से पटना शहर में क्रियान्वित की जा रही 11 योजनाओं के विरूद्ध 9 निर्माणाधीन हैं। इनमें से 2 योजनाओं यथा–करमलीचक एवं बेऊर में एस०टी०पी० निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इनका नेटवर्क एवं हाउस होल्ड कनेक्शन जून, 2020 तक पूर्ण होने पर दोनों एस०टी०पी० चालू हो जायेंगी।

  सैदपुर एस०टी०पी० एण्ड एडज्वाईनिंग नेटवर्क योजना अप्रैल, 2020 तक पूर्ण होकर चालू हो जायेगी। सैदपुर नेटवर्क योजना तथा पहाड़ी एस०टी०पी० एवं नेटवर्क योजनाओं को उनकी निर्धारित अवधि से पहले जून, 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- **15 इन्टरसेप्शन एण्ड डायवर्जन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजनाओं** में से 7 निर्माणाधीन योजनाएँ जून, 2020 तक पूर्ण हो जायेंगी तथा शेष 8 को दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण किया जायेगा।

- इसके तहत मनेर में 43.56 करोड़ रू०, बख्तियारपुर में 37.80 करोड़ रू०, सोनपुर में 32.60 करोड़ रू०, छपरा में 242.63 करोड़ रू०, दानापुर में 108.41 करोड़ रू०, फुलवारीशरीफ में 48.65 करोड़ रू० एवं फतुहा में 37.43 करोड़ रू० की योजनायें स्वीकृत की गई हैं।

- मुजफ्फरपुर एवं गोपालगंज में घाट संबंधी योजनाओं को दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण किया जायेगा।

- गंगा रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के तहत पटना शहर में गंगा नदी पर 20 घाटों में से 16 घाटों पर 5.5 किलोमीटर पाथवे, 1 इलेक्ट्रिक शवदाह गृह, इको सेंटर भवन, ऑडियो भिजुअल थियेटर भवन, कम्यूनिटी कम कल्चरल

सेंटर भवन एवं संबंधित संरचनाओं का कार्य पूर्ण कर पटना नगर निगम को हस्तांतरित किया जा चुका है। शेष 4 घाटों में से 3 घाटों यथा– नौजर घाट, भद्रघाट एवं महावीर घाट का निर्माण जून, 2020 तक पूरा कर लिया जायेगा।

- सिवरेज योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरांत ट्रिटेड वॉटर का उपयोग सिंचाई कार्य में किया जायेगा।

- **अमृत मिशन** अन्तर्गत 2,416.96 करोड़ रू० की राशि से स्वीकृत 36 योजनाओं में से 21 अदद् शहरों यथा बगहा, मोतिहारी, हाजीपुर, बेतिया, औरंगाबाद, आरा, सासाराम, डेहरी, सीवान, छपरा, कटिहार, मुंगेर, सहरसा, जमालपुर, पूर्णियॉ, बक्सर, जहानाबाद, किशनगंज, बिहारशरीफ, बेगूसराय, दरभंगा में जलापूर्ति की 33 योजनाएँ निर्माणाधीन हैं।

- अमृत मिशन अन्तर्गत 240.03 करोड़ रू० की स्ट्रॉम वाटर योजनाएँ 3 शहरों यथा– भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं पटना शहर (बेउर से मीठापुर) में क्रियांवित की जायेंगी।

- **ए०डी०बी०** अंतर्गत गया एवं भागलपुर हेतु 1,122.77 करोड़ रू० की जलापूर्ति योजनाओं के तहत गया फेज– I, गया फेज– I I एवं भागलपुर फेज– I का कार्य प्रगति पर है।

- **राज्य योजना** अन्तर्गत 197.31 करोड़ रू० की राशि से कुल 25 अदद् शहरों यथा ढाका, केसरिया, शिवहर, निर्मली, मधेपुरा, रामनगर, रक्सौल, सिमरी बख्तियारपुर, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल, जगदीशपुर, डुमराँव, बिक्रमगंज, दाउदनगर, सुल्तानगंज, मसौढ़ी, बिक्रम, फतुहा, मखदुमपुर, इस्लामपुर, नबादा, झंझारपुर, पटना एवं बोधगया में जलापूर्ति की योजना निर्माणाधीन है।

- 233.27 करोड़ रू० की राशि से 5 शहरों यथा– सहरसा, मधुबनी, सुपौल, छपरा एवं फुलवारीशरीफ में 6 स्ट्रॉर्म वाटर की योजनाएँ निर्माणाधीन हैं।

- 302.34 करोड़ रू० की लागत से पटना शहर में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण कार्य जुलाई, 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

- 29.25 करोड़ रू० की लागत से 8 अदद शहरों यथा– सहरसा, चकिया, झाझा, नवादा, औरंगाबाद, नवीनगर, आरा एवं मानपुर में बस स्टैण्ड का निर्माण कराया जा रहा है।

भवन निर्माण विभाग

- वर्ष 2020–21 में भवन निर्माण विभाग का स्कीम मद में 4543.46 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 852.25 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 5395.71 करोड़ रू० है।

- वर्ष 2019–20 में लगभग 73.00 करोड़ रू० प्रति महाविद्यालय की दर से बख्तियारपुर (पटना), सुपौल, जमुई एवं बाँका में कुल 292.52 करोड़ रू० की लागत से अभियंत्रण महाविद्यालय एवं 36.35 करोड़ रू० प्रति संस्थान की दर से राजकीय पोलिटेक्निक, अररिया एवं सिवान का कुल 72.70 करोड़ रू० की लागत से निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। 18.00 करोड़ रू० प्रति संस्थान की दर से महिला आई०टी०आई०, वैशाली तथा पुरूष आई०टी०आई०, नालन्दा एवं धमदाहा (पूर्णिया) का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।
- 633.00 करोड़ रू० की लागत से राजगीर (नालंदा) में **अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम–सह–खेल अकादमी** का कार्य कराया जा रहा है।
- 145.00 करोड रू० की लागत से **बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केन्द्र** का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
- 54.00 करोड़ रू० की लागत से पटना में **प्रकाश पुंज भवन** का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- 450.32 करोड़ रू० की लागत से पटना में विधानमंडल के माननीय सदस्यों के लिए 255 आवास के विरुद्ध 37.50 करोड़ रू० के व्यय से 55 आवास का निर्माण पूर्ण कर हस्तगत करा दिया गया है तथा शेष का निर्माण कराया जा रहा है।
- 301.40 करोड़ रू० की लागत से **वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय** का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
- 397.00 करोड़ रू० की लागत से पटना में **ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंस सिटी** का निर्माण कार्य करायाजा रहा है।
- 139.00 करोड़ रू० की लागत से **गया में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान** का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
- 169.50 करोड़ रू० की लागत से पटना उच्च न्यायालय के विस्तारीकरण का कार्य किया जा चुका है।
- 78.87 करोड़ रू० की लागत से **द्वारिका (नई दिल्ली) में बिहार सदन** का निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
- 41.19 करोड रू० की लागत से बेतिया में एवं मोतिहारी में 41.22 करोड़ रू० की लागत से 2,000 क्षमता के प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 59.98 करोड़ रू० की लागत से पटना में इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान के नये भवन का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।
- 37.61 करोड़ रू० की लागत से बिहार लोक सेवा आयोग के नये भवन का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- 164.00 करोड़ रू० की लागत से **दरभंगा में तारामंडल** का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- 32.98 करोड़ रू० की लागत से सिंचाई भवन का आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है।
- 83.40 करोड़ रू० की लागत से पटना के शास्त्रीनगर में वरीय पदाधिकारियों के आवास का निर्माण किया जा रहा है।
- 84.49 करोड़ रू० की लागत से पटना में बापू टावर, 61.62 करोड़ रू० की लागत से पटना स्थित विश्वेश्वरैया भवन एवं 61.46 करोड़ रू० की लागत से विकास भवन के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
- मुंगेर में 105.04 करोड़ रू० की लागत से वानिकी कॉलेज, 186.42 करोड़ रू० की लागत से पटना में नये समाहरणालय भवन, 164.31 करोड़ रू० की लागत से पटना के फुलवारीशरीफ में परिवहन विभाग का वर्कशाप एवं अन्य भवन का निर्माण कार्य तथा 250.00 करोड़ रू० की लागत से बिहटा में विकास प्रबंधन संस्थान का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
- राज्य के 24 जिलों में लगभग 9.00 करोड़ रू० प्रति इकाई की लागत से **प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र** एवं 12.00 करोड़ रू० प्रति इकाई की लागत से प्रखंड कार्यालय–सह–अवासीय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- प्रति इकाई 1.00 करोड़ रू० की लागत से राज्य के 10 जिलों यथा–अररिया, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), शिवहर, पूर्णिया, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), कटिहार, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, दरभंगा में **बाढ़ आश्रय स्थल** निर्माण योजना शुरू की जा रही है।
- प्रति इकाई लागत 01.15 करोड़ रू० की लागत से राज्य के 34 जिलों में जिला आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन केन्द्र निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

- वर्ष 2020–21 में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का स्कीम मद में 1481.61 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 112.84 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 1594.45 करोड़ रू० है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत वर्तमान में पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी एवं अन्त्योदय परिवारो के कुल 8.65 करोड़ लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है तथा पहचान किये गये कुल 1.62 करोड़ से अधिक गृहस्थियों / परिवारो को राशन कार्ड द्वारा आच्छादित किया गया है।
- End to end computerization के प्रथम चरण में सभी आपूर्ति कार्यालयों में कम्प्यूटर की सुविधा के अतिरिक्त Supply Chain Management के तहत कम्प्यूटराईज्ड SIO निर्गत करने, Online Banking के माध्यम से

खाद्यान्न का मूल्य जमा करने, SMS से संबंधितों को सूचना देने, डोर स्टेप डिलेवरी के शत–प्रतिशत GPS तथा Load Cell वाहनों द्वारा खाद्यान्न की ढुलाई एवं लाभुकों को 46,965 अधिष्ठापित PoS मशीनों के माध्यम से निर्धारित मात्रा का खाद्यान्न पहुँचाया जा रहा है।

वर्ष 2020–21 के लिए 921.00 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है।

- बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ 1.02 करोड़ से अधिक लाभुक परिवारों का आधार Authentication कराते हुए उन्हें ऑन लाईन खाद्यान्न वितरित किया गया।

- बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 4 फरवरी, 2020 तक कुल 10.66 लाख नया राशन कार्ड निर्गत एवं 6.35 लाख अपात्र राशन कार्ड रद्द किये गये हैं।

- वर्ष 2017–22 तक 20 लाख मे० टन क्षमता के लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष 2019 तक 11.08 लाख मे० टन क्षमता के गोदाम निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

- **राज्य में विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना (DCP)** अन्तर्गत राज्य के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान/चावल की अधिप्राप्ति हेतु खरीफ विपणन मौसम 2019–20 के लिए 4,000 करोड़ रू० की गारंटी स्वीकृत की गई है।

समाज कल्याण विभाग

- वर्ष 2020–21 में समाज कल्याण विभाग का स्कीम मद में 7931.33 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 63.02 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 7994.35 करोड़ रू० है।

- **पूरक पोषाहार योजना** अंतर्गत राज्य के सभी 38 जिलों के कुल 544 बाल विकास परियोजनाओं में 1.14 लाख आँगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी सामान्य/कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान करने का प्रावधान है। वर्ष 2019–20 में 1,825.11 करोड़ रू० उदव्यय के विरूद्ध 1,194.60 करोड़ रू० व्यय किया गया। योजना अन्तर्गत 37.65 लाख बच्चों को Hot Cooked Meal, 32.40 लाख बच्चों के लिए टेक होम राशन तथा 17.51 लाख गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को टेक होम राशन दिया जाता है।

- किशोरी बालिकाओं के लिए **सबला योजना** के तहत आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किशोरी बालिकाओं को पोषाहार, आयरन एवं फोलिक एसीड की गोली, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भित सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि प्रदान किया जाता है। अब तक कुल 17.70 लाख किशोरी बालिकाएँ इस योजना से लाभान्वित हुई हैं।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** के अंतर्गत गभर्वती/धातृ महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर मे सुधार लाना तथा गर्भावस्था के दौरान हुए Wage loss के विरूद्ध उन्हें आंशिक रूप से Compensate करना है। इस योजना के अंतर्गत सभी गर्भवती/धातृ महिलाओं को प्रथम जीवित संतान तक सशर्त नगद लाभ PFMS पोर्टल के माध्यम से 05 हजार रू० का भुगतान तीन किस्तों में किया जाता है। उक्त योजना अंतर्गत 10.20 लाख लाभुकों को लाभान्वित किया गया है।

- आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना अंतर्गत संचालित राज्य के सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रह 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के कुल 32.17 लाख बच्चों को 400 रू० वार्षिक लागत की दर से पोशाक की राशि उपलब्ध करायी गई है।

- **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना** के अंतर्गत वर्ष 2019–20 में कुल 69.79 करोड़ रू० के विरूद्ध अब तक कुल 20.17 करोड़ रू० व्यय कर 40,944 लाभुकों का ई–सुविधा के माध्यम से भुगतान किया गया है।

- **मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना** के तहत वर्ष 2019–20 में अबतक 33.00 करोड रू० व्यय किया गया है तथा अबतक कुल 1.42 लाख लाभुकों को लाभान्वित किया गया है।

- समेकित बाल संरक्षण योजना लागू करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच एक मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टेंडिग (MOU) हस्ताक्षरित किया गया है। वर्तमान में राज्य अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के कुल 74 गृहों के माध्यम से अनाथ बेसहारा, परित्यक्त एवं बेघर बच्चों को आश्रय प्रदान किया जा रहा है। इनमें विधि विवादित बच्चों के लिए पर्यवेक्षण गृह एवं विशेष गृह भी संचालित है।

- परिवार तथा अभिभावक (पालक) विहीन बच्चों को उनके दत्तक परिवार में पालन पोषण के लिए पालक परिवारों को पालन पोषण अनुदान भत्ता प्रदान कर प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संचालित **परवरिश योजना** के तहत 0–18 वर्ष के बच्चों को 1,000 रू० प्रतिमाह की दर से अनुदान भत्ता प्रदान कर प्रतिवर्ष 12,527 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

- अंतरजातीय विवाह करने वाली 222 महिलाओं को 01 लाख रू० प्रति लाभार्थी की दर से वर्ष 2019–20 में 222.00 लाख रू० प्रोत्साहन अनुदान दिया गया है।

- राज्य के वृद्धजन, विधवाओं, निःशक्तजनों एवं अन्य असहाय व्यक्तियों के लिए संचालित सामाजिक सुरक्षा की 5 विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 400.00 रू० तथा 80 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के लिए 500 रू० प्रतिमाह की दर से दिसम्बर, 2019 तक 77.28 लाख पेंशनधारियों को डी०बी०टी० के माध्यम से भुगतान किया गया है।

- **मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना** के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार से किसी प्रकार का वेतन, पेंशन, पारिवारिक या सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं प्राप्त करने वाले राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी

आय के वृद्धजन को 60–79 वर्ष आयु वर्ग के लिए रू० 400 रू० एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 500 रू० का मासिक पेंशन दिया जा रहा है। अब तक 17.99 लाख प्राप्त आवेदनों में से स्वीकृत 14.21 लाख आवेदकों के विरूद्ध लगभग 14.07 लाख लाभुकों को 383.75 करोड़ रू० भुगतान किया गया है।

- **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना** अंतर्गत कुल 5,162, **मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना** के अंतर्गत 354 एवं **कबीर अन्त्येष्टि योजना** अंतर्गत 48,694 लाभुकों को मृत्यु अथवा दुर्घटना या अपराधिक घटना में मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को अनुग्रह अनुदान हेतु 20 हजार रू० एवं शवों के अंत्येष्टि हेतु 3 हजार रू० प्रति लाभुक की दर से भुगतान किया गया है।

- **बिहार शताब्दी कुष्ट कल्याण योजना** अंतर्गत वर्ष 2019–20 में राज्य के Grade II Deformities के 9,685 कुष्ट रोगियों को 1,500 रू० प्रतिमाह प्रति कुष्ट रोगी की दर से 18.00 करोड़ रू० सहायता राशि का भुगतान किया गया है।

- **मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना** के तहत ''स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एंड सोशल वेलफेयर'' का गठन किया गया है। वृद्धजनों के पुनर्वास के लिए Old Age Home (सहारा) का क्रियान्वयन राज्य के 4 जिलों यथा– पटना, रोहतास, पूर्णिया एंव भागलपुर में किया जा रहा है।

- **मुख्यमंत्री दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना** अंतर्गत दिव्यांग पुरूष/महिला के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीकृत बैंको में सावधि जमा के माध्यम से 1 लाख रू० देने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2019–20 में 68 लाभुकों को लाभान्वित किया गया है।

- **बिहार समेकित सामाजिक सुदृढ़ीकरण परियोजना (BISPS)** अन्तर्गत दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं विधवाओं के लिए संचालित राज्य के सभी 101 अनुमण्डलों में 800.00 करोड़ रू० की लागत से बुनियाद केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन हेतु 87 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण तथा 14 भवन निर्माणाधीन है। राज्य के सभी 38 जिलों में बुनियाद केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

- वर्ष 2020–21 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का स्कीम मद में 1639.90 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 20.06 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 1659.96 करोड़ रू० है।

- **मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना** के अंतर्गत वर्ष 2019 में BPSC (PT) उत्तीर्ण करनेवाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 2,417 छात्र/छात्राओं को 50,000 रू० प्रति छात्र/छात्रा तथा UPSC (PT) उत्तीर्ण करनेवाले 19 छात्र/छात्राओं को 01.00 लाख रू० प्रति छात्र/छात्रा की दर से अग्रेतर तैयारी हेतु प्रोत्साहन राशि दी गई है।

- वर्ष 2018–19 से शुरू **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना** के अन्तर्गत वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में रहने वाले लगभग 3,000 छात्र/छात्राओं को 1,000 रू० प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

- वर्ष 2018–19 से शुरू **छात्रावास खाद्यान्न आपूर्ति योजना** के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों में आवासित लगभग 3,000 छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा खाद्यान्न 15 कि०ग्रा० (9 कि०ग्रा० चावल एवं 6 कि०ग्रा० गेहूँ) प्रति माह की दर से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

- **प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (विद्यालय छात्रवृत्ति) योजना** के अन्तर्गत 2019–20 में 980.52 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है।

- **अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना** के तहत वर्ष 2019–20 में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु राज्य योजनान्तर्गत 293.18 करोड़ रू० एवं केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत 92.90 करोड़ रू० का बजट प्रावधान किया गया है।

- **मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना** अन्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा एकमुश्त 10,000 रू० की दर से वृत्तिका के भुगतान हेतु वर्ष 2019–20 में 95.00 करोड़ रू० की राशि उपलब्ध करायी गई है।

- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना** अन्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्रों, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रू० 1.50 लाख रू० या इससे कम हो, को प्रति छात्र/छात्रा एकमुश्त 10,000 रू० की दर से मेधावृत्ति के भुगतान हेतु वर्ष 2019–20 में 60.00 करोड़ रू० की राशि उपलब्ध करायी गई है।

- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क परीक्षा प्रशिक्षण हेतु संचालित 26 **प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों** पर वर्ष 2019–20 में अब तक कुल 2,781 को छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

- **अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास** के तहत वर्तमान में 12 जिलों में 14 छात्रावास संचालित है।

- **जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना** के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए राज्य के लिए सभी 38 जिलों में 100 आसन वाले छात्रावास के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गई है। 28 जिलों में भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है जिसमें से 26 को संचालित कर दिया गया है तथा शेष 02 को शीघ्र संचालित किया जायेगा।

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

- वर्ष 2020–21 में अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग का स्कीम मद में 1441.45 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 283.36 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 1724.81 करोड़ रू० है।

- **मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना** के तहत UPSC (PT) में वर्ष 2018 में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 46 एवं वर्ष 2019 में उत्तीर्ण 15 छात्र/छात्राओं को 01.00 लाख रू० प्रति छात्र/छात्रा तथा BPSC(PT) में वर्ष 2018 में उत्तीर्ण 474 एवं वर्ष 2019 में उतीर्ण 1,723 अभ्यर्थियों को 50,000 रू० प्रति छात्र/छात्रा की दर से अग्रेतर तैयारी हेतु प्रोत्साहन राशि दी गई है।

- **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना** के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा 1,000 रू० प्रतिमाह की दर से 4,170 छात्र/छात्राओं को माह दिसम्बर, 2019 तक लाभांवित किया गया है।

- **खाद्यान्न आपूर्त्ति योजना** के अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को 15 कि०ग्रा० (9 किलो चावल एवं 6 किलो गेहूँ) खाद्यान्न की निःशुल्क आपूर्ति की जा रही है। इसके तहत माह दिसम्बर, 2019 तक खाद्यान्न की आपूर्त्ति की गयी है।

- वर्तमान में कार्यरत 9,520 विकास मित्रों के माध्यम से महादलित परिवारों के विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किए जाने की सूचना से संबंधित प्रतिवेदन एकत्रित कर पोर्टल के माध्यम से डाटा बेस (विकास रजिस्टर) तैयार किया जा रहा है। विकास मित्रों के द्वारा 35.57 लाख परिवारों को विकास रजिस्टर में अंकित किया जा चुका है।

  विभिन्न जिलों के महादलित टोलों में अबतक कुल लक्ष्य 5,107 के विरूद्ध 3,693 ईकाई सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड का निर्माण किया जा चुका है।

- थरूहट क्षेत्र अंतर्गत 34.83 करोड़ रू० की दर से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है।

- **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम** के अंतर्गत वर्ष 2019–20 में 32.68 करोड़ रू० के बजट प्रावधान के विरूद्ध कुल 32.43 करोड़ रू० की स्वीकृति दी गयी है तथा अबतक लाभांवित 3,854 पीड़ित व्यक्तियों में से 449 को नियमानुसार पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2020–21 में इस योजना हेतु कुल 38.28 करोड़ रू० बजट प्रावधानित है।

- प्रति विद्यालय 51.00 करोड़ रू० की दर से अनुसूचित जाति के लिए 04 आवासीय विद्यालयों के भवनों (720 आसन) के लिए 204.00 करोड़ रू० तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 आवासीय विद्यालयों के भवनों

(720 आसन) के निर्माण के लिए 102.00 करोड़ रू० अर्थात् कुल 306.00 करोड़ रू० की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- वर्ष 2019–20 में अनुसूचित जाति के लिए प्रति छात्रावास 3.33 करोड़ रू० की दर से 50 आसन के 03 छात्रावासों हेतु 9.99 करोड़ रू०, 5.63 करोड़ रू० की दर से 100 आसन के 15 छात्रावासों हेतु 84.51 करोड़ रू० एवं 10.19 करोड़ रू० के व्यय से 200 आसन के 01 छात्रावास अर्थात् कुल 19 छात्रावासों के भवन निर्माण हेतु कुल 104.69 करोड़ रू० की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- **छात्रावास योजना** के तहत वर्तमान में संचालित 111 छात्रावासों में अनु० जाति के 104 एवं अनु० जनजाति के 7 छात्रावास हैं, जिनकी कुल क्षमता 5,580 के विरुद्ध 4,170 छात्र आवासित हैं। वर्ष 2019–20 में अनु० जाति के 19 छात्रावासों के पुनर्निमाण हेतु 104.69 करोड़ रू० की स्वीकृति दी गई है।

- वर्तमान में अनु० जाति के लिए संचालित 7 **प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण** केन्द्रों पर लगभग 1,680 अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना में एक स्टूडेंट गाईडेंस सेंटर संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में सहरसा, पूर्णिया एवं मुंगेर प्रमंडल में एक–एक नये प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इससे प्रशिक्षणार्थियों को देश के विभिन्न प्रमुख प्रबंधन संस्थानों में नामांकन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

- वर्ष 2019–20 में इस योजना के तहत कुल 1.54 करोड़ रू० का आवंटन उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2020–21 में 286.61 करोड़ रू० का बजट प्रावधानित है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

- वर्ष 2020–21 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का स्कीम मद में 496.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 36.24 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 532.24 करोड़ रू० है।

- **मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत** वर्ष 2019 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण 57,937 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं, 63 बंगलाभाषी छात्र/छात्राओं तथा मदरसा बोर्ड से मौलवी एवं फोकानियाँ परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण 696 छात्र/ छात्राओं को कुल 73.25 करोड़ रू० की प्रोत्साहन राशि वितरित की जा रही है।

- वर्ष 2019–20 से **मुस्लिम तलाकशुदा/परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजनान्तर्गत** अब तक 352 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है तथा 125 लाभार्थियों को PFMS के माध्यम से भुगतान की कार्रवाई की जा रही है ।

- **अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण योजना** के तहत अब तक निर्मित 41 छात्रावासों में से 34 कार्यरत हैं एवं 11 छात्रावासों का निर्माण प्रक्रियाधीन है। प्रत्येक छात्रावास के रख–रखाव एवं कुशल प्रबंधन हेतु छात्रावास प्रबंधक के लिए सृजित 37 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

- 1,776 **अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजनांतर्गत** प्रति छात्र/छात्रा 1,000 रू० प्रतिमाह की दर से अनुदान राशि एवं **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास खाद्यान्न योजनांतर्गत** प्रति छात्र/छात्रा 15 किलोग्राम की दर से प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ।

- बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2018–19 से निगम का हिस्सापूंजी 40.00 करोड़ रू० से बढ़ाकर 80.00 करोड़ रू० कर दिया गया है। वर्ष 2019–20 में निगम को हिस्सा पूँजी के रूप में 6.80 करोड़ रू० उपलब्ध कराया गया है।

- वर्ष 2012–13 से लागू **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना** के तहत अब तक 12,609 अल्पसंख्यक लाभुको के स्वरोजगार हेतु 155.06 करोड़ रू० का वितरण किया गया है। वर्ष 2019–20 में इस योजनांतर्गत बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध कराये गये 85.00 करोड़ रू० के विरूद्ध अबतक 1,423 लाभार्थियों के बीच 29.32 करोड़ रू० आवंटित किये जा चुके हैं।

- **मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना** अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में भारत सरकार की संस्थाओं यथा– TRTC, CIPET, C-DAC, IDTR एवं NIELIT, Patna तथा बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा उपलब्ध कराये गये विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर अल्पसंख्यक समुदाय के 500 लोगों को विभिन्न ट्रेडो यथा– ए०सी० एवं फ्रीज रिपेयरिंग, कम्प्यूटर हार्डवेयर नेट वर्किंग, सिलाई एवं कम्प्यूटर का एडवांस डिप्लोमा कोर्स इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

- **राज्य कोचिंग योजनान्तर्गत** हज भवन, पटना सहित 06 जिलों में वर्ष 2019–20 में बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, बैंकिंग की परीक्षा, पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा, पुलिस अवर निरीक्षक (उत्पाद) परीक्षा एवं TET/STET की परीक्षा हेतु लगभग 1,100 छात्र/छात्राओं को कोचिंग कराया जा रहा है।

- अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अल्पसंख्यक बहुल जिलों में प्रखंड स्तर पर 75 प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पदों का सृजन कर दिया गया है तथा नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय की तरह ही प्रत्येक जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण हेतु भूमि चयन की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में

किशनगंज, मधेपुरा एवं शेखपुरा जिलों में भूमि उपयुक्त पाया गया है तथा पूर्णिया, दरभंगा एवं गया जिले में उपलब्ध भूमि के निरीक्षणोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

- **राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत** वर्ष 2019–20 में 21.25 करोड़ रू० के व्यय से 31,441 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है।

- **केन्द्रीय छात्रवृत्ति प्री–मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट–कम–मिन्स योजनान्तर्गत** वर्ष 2018–19 में 2,61,562 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है तथा वर्ष 2019–20 में भी लाभुकों को इस योजनान्तर्गत लाभान्वित करने की कार्रवाई की जा रही है।

श्रम संसाधन विभाग

- वर्ष 2020–21 में श्रम संसाधन विभाग का स्कीम मद में 665.08 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 204.44 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 869.52 करोड़ रू० है।

- **बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड** में बिहार के विभिन्न जिलों में वर्ष 2019–20 में 31 दिसम्बर, 2019 तक में 2.76 लाख निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है।

- निर्माण कार्य के कुल लागत का 1 प्रतिशत की दर से श्रम उपकर का संग्रहण किया जाता है। वर्ष 2019–20 में 31 दिसम्बर, 2019 तक श्रम उपकर के रूप में 221.72 करोड़ रू० का संग्रहण किया गया है।

- वर्ष 2019–20 में 31 दिसम्बर, 2019 तक 6.72 लाख निर्माण श्रमिकों के बीच 3,000 रू० की दर से वार्षिक चिकित्सा सहायता सहित अन्य अनुदान के रूप में 290.31 करोड़ रू० का अनुदान RTGS/PFMS के माध्यम से वितरित किया गया।

- **बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना** अंतर्गत 2019–20 में अब तक 6.08 करोड़ रू० की राशि 1,018 लाभुकों/आश्रितों को उपलब्ध कराई गई है।

- सभी 88 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दरों को 01 अक्टूबर, 2019 के प्रभाव से पुनरीक्षण करते हुए सामान्य प्रकृति के नियोजनों के लिए 277 रू० प्रतिदिन एवं कृषि नियोजन के लिए 266 रू० प्रतिदिन निर्धारित किया गया है।

- **बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना** के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में दिसंबर, 2019 तक 94 मृत प्रवासी श्रमिकों के वैध आश्रितों को 1.0 लाख रू० की दर कुल 94 लाख रू० एवं 02 पूर्ण रूप से अपंग प्रवासी श्रमिकों को 75 हजार रू० की दर से कुल 1.50 लाख रू० का भुगतान किया गया है।

- दिसम्बर, 2019 तक बिहार राज्य के सभी नियोजनालयों में लगभग 1.82 लाख से अधिक आवेदक N.C.S Portal पर निबंधित हो चुके हैं।

- वर्ष 2019–20 में अबतक आयोजित कुल 18 नियोजन मेला एवं 37 जॉब कैम्प के माध्यम से निजी कंपनियों द्वारा 7,251 युवक/युवतियों को नियुक्ति हेतु चयन किया गया है।

- 18 सितम्बर, 2019 से पटना, गया, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर स्थित 4 केन्द्रों पर राज्य से रोजगार के लिए विदेश जाने वाले श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण की शुरूआत की गई है तथा नवम्बर, 2019 तक 526 श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

- राज्य में संचालित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला सहित) के छात्र एवं छात्राओं को पोशाक (ड्रेस एवं जूता) हेतु प्रत्येक वर्ष सत्र के प्रारम्भ में एकमुश्त 3,000 रू० RTGS के माध्यम से उनके खाते में जमा कराने का प्रावधान किया गया है।

- वर्ष 2019–20 में चिकित्सालयों के लिये 42 प्रकार की औषधियों का क्रयादेश BMSICL, Patna को दिया गया। वर्ष 2019–20 में 30 नवम्बर, 2019 तक 17 कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों के माध्यम से कुल 38,250 बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराया गया।

- बाल श्रमिकों के पुनर्वास प्रक्रिया पर नजर रखने हेतु CLTS (Child Labour Tracking System) नामक सॉफ्टवेयर लाँच किया गया है। साथ ही, मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति विमुक्त बाल श्रमिक 25,000 रू० की दर से अब तक 1,530 विमुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को सहायता राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

- राज्य के विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिये निर्धारित कुल 26,472 सीटों के विरूद्ध तीन काउन्सिलिग के उपरान्त 21,276 अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ है।

- शिक्षु प्रशिक्षण को बढ़ावा देने हेतु भारत की प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों यथा– Lava International, Larsen & Toubro, Maruti, Alstom, ITC, Amass Skill, इत्यादि की मदद से अप्रेन्टिसशिप के अन्तर्गत On Job Training हेतु 6150 अभ्यर्थियों को Offer Letter दिया गया है।

उद्योग विभाग

- वर्ष 2020–21 में उद्योग विभाग का स्कीम मद में 810.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 105.85 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 915.85 करोड़ रू० है।

- **बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016** के तहत अबतक कुल 1,358 प्राप्त आवेदनों में से 1,192 ईकाइयों को स्टेज–I क्लियरेंस तथा 302 ईकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस दिया गया तथा

इनमें से 205 ईकाईयाँ कार्यरत हैं एवं इनसे 5,355 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। वर्ष 2019–20 में 26 दिसम्बर, 2019 तक कुल 38.60 करोड़ रू० तथा वर्ष 2016 से कुल 94.61 करोड़ रू० का भुगतान किया गया है।

- वर्ष 2019–2020 में उद्योग की स्थापना हेतु 70 इकाईयों को आवंटित 32.62 एकड़ भूमि में कुल 299.20 करोड़ रू० के निवेश से 5,212 लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी।

- वर्तमान में बियाडा में कुल 2,534 औद्योगिक इकाईयों में से 1,676 कार्यरत है। 01 जनवरी, 2018 से 20 जनवरी, 2020 तक इसके चारों क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत कुल 127 इकाइयों का आवंटन रद्द किया गया है।

- **बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2017** अन्तर्गत दिसम्बर, 2019 तक प्राप्त कुल ऑनलाइन 11,174 आवेदनों में से इन्क्यूबेशन हेतु संबद्ध स्टार्ट–अप की संख्या 1,381 हैं। बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा प्रमाणीकृत 70 स्टार्ट–अप में से 60 को प्रथम किस्त के रूप में 1.55 करोड़ रू० एवं 40 स्टार्ट–अप को द्वितीय किस्त के रूप में 2.24 करोड़ रू० अर्थात कुल 3.79 करोड़ रू० का भुगतान किया गया है।

- **मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना** के अन्तर्गत संबंधित प्रक्षेत्र के युवा एवं युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम 5.00 लाख विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान/सब्सिडी तथा 50.00 प्रतिशत अधिकतम 5.00 लाख रू० ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इसमें लघु एवं सूक्ष्म उद्योग के लगभग 102 आईटम/उत्पाद को रखा गया है।

  इस योजना अंतर्गत अबतक प्राप्त 45,631 आवेदनों में से चयनित 4,868 के विरूद्ध 3,641 लाभुकों को प्रथम किस्त, 134 को द्वितीय किस्त एवं 11 अभ्यर्थियों को तृतीय किस्त के रू० में कुल 93.76 करोड़ रू० वितरित किये जा चुके है। राज्य में अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को उद्यमी बनाकर उनके उन्नयन हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में संशोधन कर उन्हें शामिल किया गया है।

- **मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजनांतर्गत** स्वीकृति प्राप्त कुल 8 क्लस्टरों में से अबतक 07 क्लस्टरों यथाः–राईस मिल क्लस्टर–लखीसराय, मेहसी सीप बटन क्लस्टर–पूर्वी चम्पारण, बथना सीप बटन क्लस्टर–पूर्वी चम्पारण, सिलाव खाजा क्लस्टर–नालन्दा, कन्हैयागंज झूला क्लस्टर–नालन्दा, काँसा–पीतल क्लस्टर–वैशाली एवं काँसा–पीतल क्लस्टर–पश्चिमी चम्पारण में सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए 17.96 करोड़ रू० की विमुक्ति की गई है।

- हस्तकरघा बुनकरों को 90 प्रतिशत अनुदान पर 68 ईंच फ्रेम लूम (टेक अप मोशन सहित) उपलब्ध कराने हेतु 1.50 करोड़ रू० की योजना बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि०, राजेन्द्रनगर, पटना के माध्यम से चलाई जा रही है।

इसके तहत वर्ष 2018–19 में 79 बुनकरों का करघा अधिष्ठापित हुआ तथा प्रथम किस्त के रूप में प्रति बुनकर 17 हजार रू० की दर से 330 बुनकरों एवं द्वितीय किस्त के रूप में प्रति बुनकर 10 हजार रू० की दर से 91 बुनकरों को भुगतान किया गया है।

- वर्ष 2018–19 में हस्तकरघा पर यू०आई०डी० (UID) उत्कीर्ण लूम धारकों को 10 हजार रू० प्रति बुनकर कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु 6.72 करोड रू० की स्वीकृति तथा इसमें प्रथम चरण में 6.66 करोड रू० की विमुक्ति प्रदान की गयी थी। अब तक योजनान्तर्गत 4.24 करोड़ रू० के व्यय से 4,246 बुनकरों को लाभान्वित किया गया है।

- विद्युत करघा पर वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत पर 3.00 रू० प्रति यूनिट की दर से विद्युत अनुदान उपलब्ध कराई जा रही है तथा इस हेतु वर्ष 2019–20 में 3.44 करोड़ रू० की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- खादी एवं ग्रामोद्योग साम्रगी की बिक्री हेतु भारत का सबसे बड़ा एवं प्रथम खादी मॉल 25,000 वर्गफीट में पटना में खोला गया है।

- गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं छपरा में खादी पार्क तथा बिहार राज्य वित्त निगम मुख्यालय, पटना अवस्थित भवन, फ्रेजर रोड, पटना के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल पर हैण्डलूम हाट बनाने का निर्णय लिया गया है।

- लेदर पार्क, मुजफ्फरपुर का 14.00 करोड़ रू० की लागत से एक सौ शेड का निर्माण किया जा रहा है, जिसे छोटे–छोटे लेदर इकाई को आवंटित किया जायेगा। इन उद्यमियों की सुविधा हेतु एक सी०एफ०सी० का निर्माण भी किया जा रहा है।

- 13.64 करोड़ रू० की लागत से भागलपुर में हस्तकरघा एवं रेशम भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

- वर्ष 2020–21 में सूचना प्रावैधिकी विभाग का स्कीम मद में 235.99 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 37.53 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 273.52 करोड़ रू० है।

- राज्य सरकार की सेवाओं को सही लाभुकों तक आसानी से पहुँचाने के क्रम में भ्रष्टाचार को खत्म करने हेतु आधार आधारित एक नवीन प्रणाली की सुविधा निःशुल्क रूप से सभी सरकारी विभागों को उपलब्ध करायी जायेगी एवं Data का संधारण सूचना प्रावैधिकी विभाग द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में योजना एवं विकास विभाग, कृषि विभाग, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, जीविका, सूचना प्रावैधिकी विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम संसाधन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं वित्त विभाग के 34 एप्लिकेशन के द्वारा इस फ्रेमवर्क का उपयोग किया जा रहा है।

- **सर्विस प्लस फ्रेमवर्क** के तहत आवेदन लेने से लेकर सेवा प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग के 33, सामान्य प्रशासन विभाग के 12, समाज कल्याण

विभाग के 8 एवं स्वास्थ्य विभाग के 6 सेवाओं को माइग्रेट (Migrate) किया जा चुका है तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के 3 सेवाओं व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 1 सेवा को माइग्रेट किया जायेगा।

- राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में पारदर्शिता के साथ विकास एवं सरकारी कार्य क्षमता में गुणात्मक वृद्धि हेतु शुरू किये गए e-Office परियोजना का क्रियान्वयन सम्प्रति 28 विभागों, 15 निगमों तथा 4 जिलों में किया जा रहा है।

- विभिन्न विभागों के द्वारा Mobile Service Delivery Gateway के माध्यम से अब तक कुल 129.54 करोड़ SMS भेजकर आम नागरिक को राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं एवं इससे संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध करायी गई हैं।

- Aadhar Data Vault Infrastructure Project के तहत संवेदनशील एन्क्रिप्शन सिक्योरिटीज को अलग से अभेद्य हार्डवेयर सुरक्षा मॉड्यूल (एचएसडी) में संग्रहित करने के उद्देश्य से यूआईडीएआई द्वारा आधार डेटा को "आधार डेटा वॉल्ट" नामक एक अलग रिपॉजिटरी में एन्क्रिप्ट और संग्रहित तथा सुरक्षित कुंजी प्रबंधन के लिए निर्धारित नियमों के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है।

- C-DAC के द्वारा राज्य के SC, ST एवं OBC के 50 युवाओं को पटना एवं 49 को गया में आई०टी० प्रक्षेत्र में वैश्विक समर्थन सेवाएँ (Global Support services), उन्नत वेब प्रौद्योगिकी (Advanced Web Technologies) एवं PGDAC विषयों में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

- बिस्कोमान टॉवर स्थित सॉफ्टवेयर पार्क में स्टार्टअप्स कंपनियों को इसके 9वीं एवं 13वीं मंजिल पर निःशुल्क प्लग–इन–प्ले ऑफिस space उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 32 केबिन में से 8 केबिन एवं 78 वर्क स्टेशन में से 45 वर्क स्टेशन आवंटित है।

- BIT Mesra परिसर में Incubation Centre की स्थापना हेतु DPR तैयार किया जा रहा है।

- डाकबंगला पर आई०टी० टॉवर, बिहटा में आई०टी० पार्क के निर्माण हेतु 63 एकड़ तथा राजगीर में आई०टी० सिटी के निर्माण हेतु 111 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पटना में डाकबंगला पर विश्वस्तरीय आई०टी० टॉवर का निर्माण करने हेतु IDA द्वारा Concessionire के चयन की कार्रवाई की जा रही है।

- विभिन्न आधारभूत संरचनाओं, यथा आई०टी० टॉवर, आई०टी० पार्क इत्यादि को विकसित करने हेतु सृजित Office space एवं बिस्कोमान टॉवर के विभिन्न मंजिलों पर स्थित ऑफिस स्पेस सूचना प्रावैधिकी विभाग अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत एजेंसी के द्वारा स्टार्ट–अप तथा स्थापित आई०टी०/आई०टी०ई०एस० और ई०एस०डी०एम० कंपनियों को आवंटित किया जाएगा।

- Optical Fiber Network / Bharat Net योजना के तहत कुल 8,364 पंचायतों में 7,625 पंचायतों में Optical Fiber बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है।

- पंचायत स्तर पर Common Service Centre को NOFN/ Bharatnet के साथ Integrate कर सेवाएँ प्रदान किये जाने हेतु दो वर्षों की अवधि के लिए 43.68 करोड़ रू० की राशि स्वीकृत की गयी है। 5,200 पंचायतों के विरूद्ध लगभग 3,000 पंचायतों के पंचायत भवनों/सामुदायिक भवनों/अन्य सरकारी भवनों में स्थित CSC केन्द्रों को NOFN के साथ संबद्ध किया जा चुका है।

- फॉरेंसिक के क्षेत्र में नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा इस तकनीक का लाभ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को प्रदान करने के उद्देश्य से Development of C-DAC Digital Forensic Centre with Artificial Intelligence based Knowledge Support Tools परियोजना के क्रियान्वयन हेतु C-DAC को आवंटित बिस्कोमान टॉवर के 14वीं मंजिल के जीर्णोद्धार का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।

- 65.55 करोड़ रू० की लागत से पटना में भी प्रगत संगणन विकास केन्द्र (C-DAC) की स्थापना की जा रही है।

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना में Incubation Centre की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा Matching Grant के रूप में 25.00 करोड़ रू० उपलब्ध कराया गया है।

- बिहटा में तीन हजार क्षमता के NIELIT Centre विकसित करने हेतु 15 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी है। उक्त केन्द्र पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिजाईन के अतिरिक्त SOLAR LED डिजाईन एवं उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन तकनीशियन के कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

  साथ ही, 1,000 क्षमता वाले केन्द्रों की स्थापना हेतु बक्सर एवं मुजफ्फरपुर में 01 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गयी है।

- दरभंगा एवं भागलपुर में STPI का केंद्र स्थापित किये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क दो–दो एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी गयी है। उन केन्द्रों में प्रारंभ में लगभग 10 हजार वर्गफीट ऑफिस स्पेस का निर्माण किया जाएगा।

- 53 करोड़ रू० की लागत से STPI, Patna का विस्तारीकरण किया जा रहा है। प्रस्तावित छह मंजिला भवन में IT/ITES, ESDM इकाइयों हेतु ऑफिस स्पेस, नेटवर्क ऑपरेशन केन्द्र, मिनी डाटा सेंटर, हाई स्पीड डाटा कम्यूनिकेशन सुविधा, इन्क्यूबेशन केन्द्र, कन्वेंशन सेंटर एवं बिजनेस लाउन्ज सहित अन्य सहायता सुविधा क्षेत्र होगा।

गन्ना उद्योग विभाग

- वर्ष 2020–21 में गन्ना उद्योग विभाग का स्कीम मद में 100.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 18.95 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 118.95 करोड़ रू० है।

- राज्य के गन्ना उत्पादक कृषकों को ईख मूल्य का ससमय भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु राज्य की चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में इनके द्वारा पेराई सत्र 2018–19 में क्रय किये गए गन्ना पर 12.50 रू० प्रति क्विंटल की दर से घोषित 112.50 करोड़ रू० ईख मूल्य अनुदान के विरूद्ध 102.08 करोड़ रू० का भुगतान किया गया।

- राज्य में चीनी एवं गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विकास को और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से परिमार्जित किये गये प्रोत्साहन पैकेज–2014 के तहत अचल पूँजी निवेश अन्तर्गत अनुदान की अधिसीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया गया है। वर्ष 2019–20 में हरिनगर चीनी मिल द्वारा डिस्टीलरी के क्षमता विस्तार पर 5.00 करोड़ रू० का भुगतान किया गया।

- वर्ष 2018–19 (चतुर्थ वर्ष) के लिए सॉफ्ट लोन के सूद की राशि के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु वर्ष 2019–20 में 8.42 करोड़ रू० का भुगतान चीनी मिलों को किया गया।

- राज्य में Private Sector उद्योगों की स्थापना हेतु बिहार राज्य चीनी निगम की 8 इकाइयों यथा लोहट, हथुआ (डिस्टीलरी), बनमंखी, वारिसलीगंज, गोरौल, गुरारू, न्यू सावन एवं सीवान तथा उपलब्ध 2,442.41 एकड़ अतिरिक्त फार्म लैण्ड को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को हस्तांतरित किया जा चुका है।

आपदा प्रबंधन विभाग

- वर्ष 2020–21 में आपदा प्रबंधन विभाग का स्कीम मद में 53.23 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 4390.58 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 4443.81 करोड़ रू० है।

- राज्य में आने वाली विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावकारी प्रबंधन हेतु इसरो (ISRO) के साथ हस्ताक्षरित MoU के तहत उसके द्वारा Satellite Based Near Real Time Information उपलब्ध कराया जायेगा।

- राज्य में वज्रपात संबंधी आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना हेतु चार वर्षों के लिए एवं वज्रपात घटित होने के संबंध में पूर्व सूचना प्राप्त होने पर मोबाईल ऐप के माध्यम से लोगों तक सूचना के प्रेषण हेतु करार/समझौता किया गया है।

विधि विभाग

- वर्ष 2020–21 में विधि विभाग का स्कीम मद में 0.01 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 915.70 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 915.71 करोड़ रू० है।

- 175 करोड़ रू० के व्यय से राज्य के विभिन्न व्यवहार न्यायालयों यथा– बेतिया, गोपालगंज, मंझौल, बगहा, बेगूसराय, सिवान, नवगछिया, आरा एवं पटना में कुल 137 कोर्ट रूम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

- 40.00 करोड़ रू० के व्यय से व्यवहार न्यायालय, सिवान, हिलसा, गोपालगंज, नवगछिया, बेनीपट्टी, शिवहर एवं बिहारशरीफ में 97 न्यायिक पदाधिकारी आवास का निर्माण कार्य पूर्ण एवं 14.00 करोड़ रू० की लागत से व्यवहार न्यायालय, बेतिया एवं शेखपुरा में निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

- पटना उच्च न्यायालय के विस्तारीकरण कार्य के अन्तर्गत 169.50 करोड़ रू० के व्यय से भवन एवं अन्य निर्माण कार्य वर्ष 2020–21 में पूरा कर लिया जाएगा।

- व्यवहार न्यायालय, सहरसा, छपरा, अरवल, पालीगंज, एवं कहलगाँव में कुल 70 कोर्ट रूम का निर्माण कराया जा है। साथ ही औरंगाबाद न्यायालय में 8 कोर्ट रूम का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

- राज्य के विभिन्न 19 जिला/अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालयों में लगभग 210 कोर्ट रूम का निर्माण कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त 23 जिला/अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालयों में कोर्ट एवं आवासीय भवन के निर्माण हेतु भू–अर्जन की कार्रवाई की जा रही है।

- अरवल, मुजफ्फरपुर, फारबीसगंज, पालीगंज, कहलगांव एवं छज्जुबाग, पटना में कुल 140 न्यायिक पदाधिकारी आवास का निर्माण कार्य प्रगति में है एवं भभुआ, अरवल, डिहरी, रोहतास एवं नवादा में 41 न्यायिक पदाधिकारी आवास का निर्माण कराया जायेगा।

- राज्य के विभिन्न 13 जिला/अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालयों लगभग 125 न्यायिक पदाधिकारी आवास का निर्माण कराया जायेगा।

- व्यवहार न्यायालय, अरवल में परिवार न्यायालय–सह–मिडियेशन केन्द्र भवन के निर्माण कराया जा रहा है।

- अदालतगंज, पटना में उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों के लिए 98 एवं कर्मचारियों हेतु 132 इकाई के बहुमंजलीय आवासीय भवन निर्माण के फेज–1 का कार्य कराया जा रहा है।

पर्यटन विभाग

- वर्ष 2020–21 में पर्यटन विभाग का स्कीम मद में 257.89 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 25.74 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 283.63 करोड़ रू० है।

- साहिब श्री गुरूनानक देव जी महाराज का 550वाँ प्रकाश गुरूपर्व का आयोजन 27 से 29 दिसम्बर, 2019 तक राजगीर में किया गया। 31 दिसम्बर, 2019 से 02 जनवरी, 2020 तक पटना में आयोजित श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज का 353वाँ प्रकाश गुरूपर्व के अवसर पर कंगनघाट में श्रद्धालुओं के आवासन हेतु सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त 5,000 क्षमता के टेंट सिटी के अतिरिक्त लंगर हॉल, कन्ट्रोल रूम, रिसेप्शन आदि का निर्माण किया गया तथा उनकी सुविधा हेतु रिंग बस, जेट्टी, जहाज, बैट्री चालित वाहन आदि का संचालन किया गया।

- पटना में श्री गुरू गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें जयंती के अवसर पर बहुद्देशीय प्रकाश केन्द्र एवं उद्यान जिसका नामकरण अब प्रकाशपुंज हो गया है, के निर्माण हेतु 54.16 करोड़ रू० के विरूद्ध 28.72 करोड़ रू० उपलब्ध करा दिया गया है।

- Iconic Tourist Desination के रूप में विकसित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा चयनित देश के 16 पर्यटक स्थलों में बोधगया के महाबोधि मंदिर को भी सम्मिलित किया गया है तथा इसके विकास हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

- बोधगया में कल्चरल सेंटर के निर्माण हेतु 145.14 करोड़ रू० के विरूद्ध 19.06 करोड़ रू० का व्यय हुआ है तथा राज्यांश की राशि 46.41 करोड़ रू० वर्ष 2019–20 में उपलब्ध कराया जा चुका है। इस योजना को मई, 2020 तक पूर्ण किये जाने की योजना है।

- वैशााली जिलान्तर्गत अभिषेक पुष्करणी तालाब में जलापूर्ति हेतु 8.94 करोड़ रू० की योजना के कार्यान्वयन का निर्णय लिया गया है।

- माँ जानकी की जन्मस्थली पुनौराधाम, सीतामढ़ी में 48.53 करोड़ रू० की लागत से रामायण परिपथ के अन्तर्गत पर्यटकीय संरचनाओं के विकास किया जा रहा है।

- भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड से बिहार सरकार को 13.05 करोड़ रू० में हस्तान्तरित होटल पाटलिपुत्र अशोक के स्थान पर नये होटल तथा बांकीपुर बस स्टैण्ड एवं परिवहन भवन के परिसर में पी०पी०पी० मोड पर होटल निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है।

- नालन्दा जिलान्तर्गत राजगीर में 20.18 करोड़ रू० की लागत से निर्माण कराये जा रहे रोप वे का 95 प्रतिशत एवं बाँका जिलान्तर्गत मंदार पर्वत पर 8.54 करोड़ रू० की लागत से निर्माण कराये जा रहे रोप वे का 90 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

- वर्ष 2020–21 में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का स्कीम मद में 59.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 110.27 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 169.27 करोड़ रू० है।

- 740.82 करोड़ रू० की लागत से राजगीर में 90 एकड़ भूमि पर बन रहे **अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स एकेडमी–सह–क्रिकेट स्टेडियम** निर्माण कार्य माह जनवरी, 2020 तक 197.89 करोड़ रू० के व्यय से लगभग 33 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है।

- **एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण** केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल स्पर्धाओं में विगत 03 वर्षों में कुल 63 पदक (14 स्वर्ण पदक, 29 रजत पदक एवं 20 कांस्य पदक) प्राप्त किया गया है।

- 4.76 करोड़ रू० की आवंटित राशि से अबतक कुल 36 जिलों में **मल्टी जिम, ओपेन जिम** उपकरण एवं खेल उपकरणों को अधिष्ठापित किया जा चुका है।

- 3.50 करोड़ रू० के व्यय से अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारिक खेल प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व अथवा पदक प्राप्त करने वाले राज्य के उत्कृष्ट 345 खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को 29 अगस्त, 2019 को खेल दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया।

- **सांस्कृतिक निर्माण योजना** के तहत कला की प्रदर्शनी हेतु 13.30 करोड़ रू० की लागत से सहरसा, 12.04 करोड़ रू० की लागत से मुँगेर एवं 12.75 करोड़ रू० की लागत से दरभंगा में छः–छः सौ क्षमता के आधुनिक प्रेक्षागृह–सह–आर्ट गेलेरी का निर्माण कार्य प्रारम्भ एवं 13.59 करोड रू० की लागत से पूर्णिया तथा अन्य प्रमंडलीय जिला मुख्यालयों में इस वित्तीय वर्ष कार्य आरम्भ किया जायेगा।

- **चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष** के अवसर पर दो–दो हजार क्षमतावाले प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु बेतिया में 41.19 करोड़ रू० एवं मोतिहारी में 41.22 करोड़ रू० की लागत से कार्य प्रारम्भ एवं मुजफ्फरपुर में भूमि चिन्हित किया जा चुका है।

- 314.09 करोड़ रू० की लागत से **वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय–सह–स्मृति स्तूप** का निर्माण किया जा रहा है। संग्रहालय के केन्द्र में वैशाली में उत्खन्न से प्राप्त भगवान बुद्ध की मूल अस्थि अवशेष एवं पार्श्व में 02 बड़ी दीर्घाओं का निर्माण किया जा रहा है। संग्रहालय भाग में भगवान बुद्ध के जीवन तथा उनके उपदेशों

को विभिन्न माध्यमों (पेंटिंग, म्यूरल, ऑडियो–विडियो इत्यादि) के द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा। निर्माण परियोजना में पुस्तकालय एवं मेडिटेशन सेंटर को शामिल किया गया है।

- 23.27 लाख रू० के व्यय से **पुरातात्विक उत्खनन,** अन्वेषण एवं सर्वेक्षण कार्य अंतर्गत सारण जिलांतर्गत चिरांद, अरवल जिलांतर्गत लारी एवं लखीसराय जिलांतर्गत लाल पहाड़ी में तथा दरभंगा एवं पूर्णिया में अन्वेषण/उत्खनन कार्य किया गया एवं 19.83 लाख रू० के व्यय से नालंदा व गया जिलांतर्गत जेठियन घाटी, जहानाबाद जिला, श्वेगसांग का पथ, लाल पहाड़ी, लखीसराय जिलांतर्गत जयनगर में उत्खनन कार्य किया जायेगा।

- **बिहार संग्रहालय, पटना** में वर्ष 2018 में अबतक कुल 7.68 लाख लोगों ने भ्रमण किया है।

- **मुख्यमंत्री खेल विकास योजना** अंतर्गत 328 स्टेडियम के विरूद्ध 151 का निर्माण कार्य पूर्ण तथा 72 निर्माणाधीन है एवं वर्ष 2020–21 में 105 स्टेडियमों का निर्माण आरम्भ किया जायेगा।

- प्रति जिला 6.61 करोड़ रू० की दर से 22 जिलों में कुल 145.42 करोड़ रू० की लागत से **व्यायामशाला–सह–खेल भवन** के निर्माण किया जायेगा। शेष 16 जिलों में निर्माण की स्वीकृति दी जानी है।

- 158.00 करोड़ रू० के व्यय से **पटना संग्रहालय, पटना** के वर्तमान भवन का उन्नयनीकरण एवं विस्तारीकरण के साथ नई दीर्घाओं के संयोजन एवं वर्तमान भवन में स्थित दीर्घाओं के पुनर्संयोजन किया जायेगा।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

- वर्ष 2020–21 में सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग का स्कीम मद में 101.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 137.18 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 238.18 करोड़ रू० है।

- अब तक 34 जिलों में प्रेस क्लब भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण तथा शेष जिलों में प्रक्रियाधीन है।

- **बिहार राज्य पत्रकार बीमा योजना** के तहत वर्ष 2019–20 में 596 पत्रकारों द्वारा 14.05 लाख रू० एवं सरकार द्वारा 56.20 लाख रू० की अंशदान राशि जमा की गई है। इस योजना के तहत वर्ष 2019–20 में 60.00 लाख रू० कर्णांकित है।

- **पत्रकार सम्मान पेंशन योजना** के तहत 48 वरिष्ठ मीडिया प्रतिनिधियों को पेंशन की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस योजना के लिए वर्ष 2019–20 में 30.00 लाख रू० का बजटीय उपबंध है।

वाणिज्य-कर विभाग

- वर्ष 2020–21 में वाणिज्य–कर विभाग का स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 196.43 करोड़ रू० है।

- जीएसटी के अन्तर्गत अबतक निबंधित करदाताओं की संख्या 4,51,940 है, जिसमें Regular करदाता 3,48,908 एवं Composition करदाता 1,03,032 हैं। इसमें Migrated (जो GST के पूर्व बिहार वैट या सर्विस टैक्स अधिनियम आदि में निबंधित थे एवं GST के अधीन अपना निबंधन जारी रखा) करदाताओं की संख्या 1,58,888 एवं नवनिबंधित (1 जुलाई, 2017 के बाद GST के अधीन नये निबंधित) करदाताओं की संख्या 2,93,052 है।

- वर्ष 2016–17 में कर संग्रहण से राजस्व प्राप्ति 18,751.32 करोड़ रू० (विगत वर्ष 2015–16 की तुलना में वृद्धि 7.90 प्रतिशत) था जो 8.14 प्रतिशत बढ़कर 2017–18 में 20,277.34 करोड़ रू० तथा 2018–19 में 26.17 प्रतिशत बढ़कर 25,583.60 करोड़ रू० हो गया है।

- तीन वर्षों में Subsumed Taxes यथा–VAT, केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, होटल विलासिता कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर (GST) एवं Non-Subsumed Taxes यथा–पेट्रोल, डीजल आदि पर कर, पेशाकर एवं विद्युत शुल्क तथा Compensation से राजस्व की प्राप्ति निम्नवत है–

(राशि करोड़ रू० में)

कर की प्राप्ति	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20 (माह जनवरी तक)
Subsumed Taxes (GST)	11580.47	16229.00	13186.43
Non-Subsumed Taxes (Non GST)	5655.87	6783.60	3900.09
Grants-in aid (Compensation)	3041.00	2571.00	2880.00
Total	**20277.34**	**25583.60**	**19966.52**

- वर्ष 2019–20 में माह जनवरी तक जीएसटी के अन्तर्गत कर संग्रहण की राशि 19,966.52 करोड़ में SGST से 4,840.92 करोड़ रू०, IGST Settlement से 7,848.45 करोड़ रू०, Ad-hoc settlement से 425.85 करोड़ रू०, Subsumed Taxes से 71.21 करोड़ रू०, Non-Subsumed Taxes (Non GST) से 3,900.09 करोड़ रू० एवं compensation से 2,880.00 करोड़ रू० है।

- वर्ष 2019–20 के माह जनवरी, 2020 तक जीएसटी के अन्तर्गत Protected Revenue 17,763.00 करोड़ रू० के विरूद्ध कुल कर संग्रहण 13,186.43 करोड़ रू० हुआ है जो 25.76 प्रतिशत कम तथा 2018–19 के माह जनवरी तक के कर संग्रहण 12,859.07 करोड़ रू० की तुलना में 2.55 प्रतिशत अधिक है।

  Protected Revenue वह राशि है जो 2015–16 के कुल Subsumed Tax के राजस्व संग्रहण के विरूद्ध प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत की दर से अभिवृद्धि जोड़ते हुये केन्द्र सरकार द्वारा GST लागू किये जाने के समय निश्चित की गयी थी।

- जीएसटी के अन्तर्गत राजस्व संग्रहण में 86.34 प्रतिशत Migrated Taxpayer (जो GST के पूर्व से ही निबंधित थे एवं GST में Migrate किये) एवं शेष 13.66 प्रतिशत का योगदान नये निबंधित करदाताओं का है।

- वर्ष 2019–20 में 31 दिसम्बर, 2019 तक 52.60 लाख ई–वे–बिल के माध्यम से राज्य के बाहर से 1,17,902 करोड़ रू० मूल्य के मालों का आयात किया गया जो विगत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.61 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2019–20 में 31 दिसम्बर, 2019 तक 6.25 लाख ई–वे–बिल के माध्यम से राज्य के बाहर 19,996 करोड़ का माल भेजा गया जो विगत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.59 प्रतिशत अधिक है।

- राज्य में प्रमुख करदेय वस्तुओं का अन्य राज्यों से खरीद वर्ष 2019–20 में बढ़ी है। माह दिसम्बर, 2019 तक 9,124.48 करोड़ रू० के दुपहिया, तीनपहिया एवं चारपहिया वाहन, 4,289.72 करोड़ रू० के सिमेंट, 4,009 करोड़ रू० के Consumer Durables, 11,076.39 करोड़ रू० के FMCG, 6,871.95 करोड़ रू० के खाद्य तेल, 1,242.83 करोड़ रू० के बिस्किट, 6,572.99 करोड़ रू० के Electrical Goods, 10,607.66 करोड़ रू० के आयरन व स्टील, 4,091.19 करोड़ रू० के मोबाईल, 5,896.06 करोड़ रू० के रेडिमेड तथा 9,111.10 करोड़ रू० के टेक्सटाइल फैब्रिक्स की खरीद अन्य राज्यों से की गयी है।

- प्रवर्तन (Enforcement) की कार्रवाई के तहत वर्ष 2018–19 से अबतक जांच किये गये 22,139 में से 1,505 जब्त वाहनों पर 15.49 करोड़ रू०, परिवहनकर्ताओं के 68 गोदामों पर 1.41 करोड़ रू० तथा 443 व्यवसायी प्रतिष्ठानों पर 168.33 करोड़ रू० की शास्ति अधिरोपित की गई।

- वर्ष 2018–19 से अबतक बगैर माल के खरीद–बिक्री किये 1,991.69 करोड़ रू० के गलत बीजक निर्गत करने एवं 426.87 करोड़ रू० कर की सन्निहित राशि के ई–वे बिल का दुरूपयोग करने वाले 100 करदाताओं की पहचान कर 09 करदाताओं एवं 1 चार्टर्ड अकांउटेंट व उसके सहायक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

- विभाग द्वारा विकसित Inhouse Post Registration Field Visit App के माध्यम से 736 नवनिबंधित Fake/Non-existent करदाताओं के विरूद्ध निबंधन रद्दीकरण सहित अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है।

- माल एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत छः महीनों से अधिक अवधि की विवरणियाँ लंबित रखने वाले 48,502 करदाताओं की पहचान कर उनके विरूद्ध निबंधन रद्द करने एवं Adjudication की कार्रवायी की जा रही है। अभी तक 13,038 व्यवसायियों का निबंधन रद्द किया गया है।

- विभिन्न Risk Parameters के आधार पर शीर्ष के 6,953 करदाताओं की पहचान करते हुए उनके द्वारा दाखिल विवरणियों की संवीक्षा की कार्रवाई की जा रही है।

- TDS Authority से भुगतान प्राप्त किये जाने के बावजूद शून्य या कम भुगतान दर्शाते हुए विवरणियाँ दाखिल करने वाले 4,645 संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है।

- जीएसटी के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा के बाद 3–B विवरणी दाखिल करते हुए ITC का उपयोग करने वाले 3,327 करदाताओं के विरूद्ध उपयोग किये गए 208.43 करोड़ रू० की सन्हित राशि के ITC के Reversal की कार्रवाई की जा रही है।

- विभिन्न Reporting App के माध्यम से अंचलों के कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण किया जा रहा है।

- अंचलों द्वारा राजस्व संग्रहण हेतु किये जा रहे कार्यों की समीक्षा एवं दिशा निर्देशन की कार्रवाई विडियो कॉन्फ्रेसिंग की जा रही है। अभी तक कुल 71 विडियो कॉन्फ्रेसिंग की जा चुकी है।

- 01.04.2020 से नयी विवरणियों (Anx.-1 & Anx.-2) को दाखिल किये जाने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए Trial basis पर विवरणियों के दाखिला हेतु अक्टूबर, 2019 से चलाये जा रहे विशेष अभियान में लगभग 23,000 विवरणियाँ दाखिल करवायी जा चुकी है। इस मामले में पूरे देश में सर्वाधिक विवरणियाँ दाखिल करवाने में कर्नाटक के बाद बिहार का स्थान है।

- वाणिज्य–कर विभाग के लिए पूर्वी गार्डिनर रोड, पटना में कर भवन के निर्माण हेतु 40.00 करोड़ रू० की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- जी०एस०टी० प्रणाली लागू होने के पूर्व के वैट, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, होटल विलासता कर, विद्युत शुल्क, विज्ञापन कर, केन्द्रीय बिक्री कर आदि की व्यवसायियों की लंबित बकाया राशि को समाप्त करने हेतु 15 जनवरी, 2020 से लागू **बिहार कराधान विवाद समाधान योजना, 2020** अगामी 3 महीने के लिए प्रभावी है।

- यह योजना पूर्व की एक मुश्त समाधान योजनाओं की तुलना में काफी सरल है। केन्द्रीय प्रपत्रों C और F के कारण जनित बकाया के लिए प्रपत्रों के प्रस्तुतीकरण पर शत् प्रतिशत बकाया तथा ब्याज, अर्थदण्ड एवं फी से सम्बंधित बकाया का मात्र 10% भुगतान कर देने पर बकाया–विवाद समाप्त किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के विवादित बकाया राशि के लिए इस राशि का मात्र 35% भुगतान किए जाने पर बकाया सदा के लिए समाप्त हो जाऐंगे।

- इस एक मुश्त योजना के अन्तर्गत व्यवसायियों के वैसे बकाया राशि का भी समाधान किया जा सकता है जो किसी अपीलीय या रिवीजनल या कोई अन्य उच्चतर न्यायालय में विवादित नहीं हो। उसी प्रकार इस योजना का लाभ ''प्रमाणित बकाया राशि'' (Certificated dues amount) के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है।

- इस एकमुश्त समाधान योजना से राज्य सरकार को बकाया राशि में से एक अंश राजस्व के रूप में प्राप्त हाने के अतिरिक्त व्यवसायियों के पुराने बकाया–विवाद भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाऐंगे।

- जी०एस०टी० प्रणाली के पूर्व राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के पात्र इकाईओं को वैट–प्रतिपूर्ति दी जाती थी। औद्योगिक इकाईयों द्वारा लगातार की जा रही मांग पर बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में आवश्यक संशोधन कर जी०एस०टी० प्रणाली में भी **जी०एस०टी० प्रतिपूर्ति योजना** को लागू कर दिया गया है।

- इसके अंतर्गत पात्र इकाइयों को उनके द्वारा त्रैमासिक आधार पर भुगतित NET SGST का 80% और उच्चतर प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र के पात्र इकाईयों को उनके द्वारा त्रैमासिक आधार पर भुगतित NET SGST का 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान बनाया गया है।

- नेट SGST का अर्थ उस राशि से है जो SGST एवं IGST क्रेडिट के पूर्ण सामंजन के बाद औद्योगिक इकाई के द्वारा भुगतेय SGST के विरूद्ध कैश लेजर से जमा करवाई गई है।

परिवहन विभाग

- वर्ष 2020–21 में परिवहन विभाग का स्कीम मद में 244.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 128.69 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 372.69 करोड़ रू० है।

- वर्ष 2018–19 में लक्ष्य 2,000.00 करोड रू० के विरूद्ध 2,067.21 करोड़ रू० की वसूली की गयी जिसमें से दिसम्बर, 2018 तक 1,467.38 करोड़ रू० राजस्व संग्रहण किया गया था। वर्ष 2019–20 में माह दिसम्बर

तक 1,919.01 करोड़ रू० का राजस्व संग्रहण किया गया है, जो कि गत वर्ष दिसम्बर माह तक वसूली की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है।

- वर्ष 2018–19 में निबंधित 12,02,188 वाहनों में से दिसम्बर, 2018 तक 9,12,987 वाहनो का निबंधन हुआ था। दिसम्बर, 2019 तक अब तक कुल 9,41,661 वाहनों का निबंधन हो चुका है।

- महिला के नाम पर निबंधित तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब का चालन स्वयं उस महिला या अन्य व्यावसायिक अनुज्ञप्ति प्राप्त महिला द्वारा किये जाने पर वाहन कर में शत–प्रतिशत छूट दी गई है। निःशक्तजनों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों पर लगनेवाले कर को भी पूर्ण रुप से विलोपित कर दिया गया है। बैट्री चलित यान/इलैक्ट्रिक वाहन के कुल कर में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।

- सड़क सुरक्षा के प्रति सजगता एवं सचेष्टता हेतु इस विषय को कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है तथा कक्षा 9 एवं 10 के पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया जायेगा।

- रात्रि में वाहनों को दृष्टिगत बनाने हेतु समस्त परिवहन यानों में रिफ्लेक्टिव टेप, हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं गति नियंत्रक उपकरण का लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

- **मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना** के अंतर्गत ई०–रिक्शा क्रय करने पर खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 70 हजार रू० अनुदान दिया जा रहा है। अबतक 41,930 के विरूद्ध 19,024 लाभुकों को अनुदान का भुगतान किया जा चुका है।

- पटना में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर वाहन जनित प्रदूषण के नियंत्रण एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु लागू **बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019** के तहत चालक सहित 7 व्यक्तियों तक बैठान क्षमता वाले डीजल एवं पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन को नये CNG चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 40,000 रू० एवं नये बैट्री चालित तिपहिया वाहन से प्रतिस्थापित करने पर 25,000 रू० तथा CNG किट के Retrofitment कराने पर चालक सहित 7 व्यक्तियों तक बैठान क्षमता वाले पेट्रोल चालित तिपहिया वाहन को 20,000 रू० एवं व्यावसायिक मोटर कैब व मैक्सी कैब को 20,000 रू० एकमुश्त की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

- वाहन स्वामियों को पसंदीदा अथवा इच्छित अधिमान (Fancy) निबंधन संख्या आवंटित किये जाने हेतु ऑनलाईन निलामी की प्रक्रिया शुरू गई है।

- चालक प्रशिक्षण–सह–शोध संस्थान, औरंगाबाद में 2,000 अभ्यर्थियों को मुफ्त चालक प्रशिक्षण दिये जाने की योजना के तहत अब तक सात बैचों में कुल 230 प्रशिक्षु चालकों एवं 14 बैचों में कुल 417 यातायात पुलिस कर्मियों को वाहन चालन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

- वाहनों का प्रदूषण जाँच हेतु वर्तमान में राज्य में 608 प्रदूषण जाँच केन्द्रों को अनुज्ञप्ति दी गई है। पेट्रोल पम्प एवं वाहन सर्विस सेन्टर पर भी प्रदूषण जाँच केन्द्र स्थापित किया जायेगा। चलन्त प्रदूषण जाँच केन्द्र का प्रावधान करते हुए इस हेतु शैक्षणिक योग्यता को कम किया गया है।

- प्रदूषण जाँच केन्द्र हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की व्यवस्था की गयी है। जाँच केन्द्रों की अनुज्ञप्ति के निर्गमन एवं नवीकरण की शक्ति जिला परिवहन पदाधिकारी को दी गई है। वाहन सॉफ्टवेयर से इन्टीग्रेशन कर राज्य के सभी जिलों के प्रदूषण जाँच केन्द्रो से ऑनलाईन वाहन प्रदूषण जाँच प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे हैं।

- **एग्रीगेटर पॉलिसी** के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में सुधार हेतु ओला एवं उबर कैब, बाईक टैक्सी, एवं रेन्ट ए कैब की सेवायें उपलब्ध करायी गई हैं।

- बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के केन्द्रीय कर्मशाला, फुलवारीशरीफ, पटना की जमीन पर प्रस्तावित परिवहन परिसर के निर्माण हेतु पूर्व में स्वीकृत राशि 124.03 करोड़ रू० को पुनरीक्षित कर 164.31 करोड़ रू० कर दिया गया है।

- कर–प्रमादी (Tax defaulter) निबंधित एवं अनिबंधित कृषि/व्यावसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर–ट्रेलर तथा व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहन स्वामियों को अर्थदण्ड/फीस/कर की एकमुश्त राशि जमा करने पर 90 दिनों के लिए सर्वक्षमा (Amnesty) एवं फिटनेस प्रमाण–पत्र की समाप्ति के पश्चात बिलंब के प्रत्येक दिन के लिए लगाये जाने वाले 50 रू० प्रतिदिन की अतिरिक्त फीस को 90 दिनों तक के लिए कम किया गया।

- परिवहन विभाग के अंतर्गत वाहन स्वामियों/वाहन चालकों को निर्गत होने वाले निबंधन/चालक अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र को डाक के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु किये जाने वाले मूल्यवर्द्धित सेवाओं की लागत को पूरा करने हेतु निर्गत होने वाले प्रत्येक स्मार्ट कार्ड पर 50 रू० अतिरिक्त शुल्क लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

- शहरी क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवता में सुधार एवं प्रदूषण रहित परिवहन व्यवस्था के लिए चरणबद्ध तरीके से 31 जनवरी, 2021 के मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा 31 मार्च, 2021 के मध्य रात्रि से दानापुर, फुलवारीशरीफ एवं खगौल नगर परिषद् क्षेत्र में डीजल चालित ऑटो का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है।

- परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु पटना नगर निगम तथा दानापुर, फुलवारीशरीफ एवं खगौल नगर परिषद् क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक पुराने सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों के परिचालन तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

- वर्ष 2020–21 में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का स्कीम मद में 4.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 276.48 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 280.48 करोड़ रू० है।

- वर्ष 2018–19 में निबंधन से निर्धारित लक्ष्य 4,700.00 करोड़ रू० के विरूद्ध कुल 4,440.63 करोड़ रू० राजस्व प्राप्त हुआ, जो लक्ष्य का 94.48 प्रतिशत है। वर्ष 2019–20 में वार्षिक लक्ष्य 5,000 करोड़ रू० के विरूद्ध माह जनवरी, 2020 तक 3,832.73 करोड़ रू० का राजस्व संग्रहण किया गया।

- माह दिसम्बर, 2018 से माह जनवरी, 2020 तक पैतृक/पारिवारिक सम्पत्ति के बंटवारा से संबंधित 2,541 दस्तावेज निबंधित किये गये।

- बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत ऋण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों एवं बैंकों के बीच निष्पादित होने वाले एकरारनामा दस्तावेज हेतु देय मुद्रांक शुल्क की राशि 1,000 रू० से घटाकर पर 100 रू० कर दी गयी है।

- बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा आवंटित सम्पदाओं को लीज होल्ड अधिकार से फ्री–होल्ड अधिकार में सम्परिवर्त्तित करने से संबंधित हस्तांतरण दस्तावेज में वर्णित सम्परिवर्त्तन हेतु भुगतान किए गए प्रतिफल की राशि पर ही स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क की प्रभार्यता नियत की गयी है। इसके तहत वर्ष 2019–20 में जनवरी, 2020 तक स्वीकार किये गये 138 दस्तावेजों के निबंधन से 1.23 करोड़ रू० का राजस्व प्राप्त हुआ है।

- Online Registration के क्रम में 20 लोगों ने online payment किया है जिन्हें देय स्टाम्प ड्यूटी की राशि में 1 प्रतिशत (अधिकतम 2,000 रू०) की छूट प्रदान की गई है।

- राज्य सरकार द्वारा शिक्षा एवं चिकित्सा ऋण के दस्तावेजों पर देय निबंधन शुल्क (2 प्रतिशत) एवं स्टाम्प ड्यूटी (01 प्रतिशत) में क्रमशः 75 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत की कमी करते हुए दोनों ऋणों से संबंधित दस्तावेजों पर देय निबंधन एवं स्टाम्प शुल्क की दर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है। वर्ष 2019–20 में जनवरी, 2020 तक शिक्षा ऋण के 24 एवं चिकित्सा ऋण के 02 दस्तावेजों का निबंधन स्वीकार किया गया है।

- संस्था/फर्म के ऑनलाईन निबंधन एवं दस्तावेजों पर देय शुल्कों का Credit Card/Debit Card/ Net Banking के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान की व्यवस्था की गई है तथा इसके तहत वर्ष 2019–20 में 148 फर्मों एवं 241 संस्थाओं ने ऑनलाईन निबंधन कराया है।

- महिला सशक्तिकरण नीति, 2015 के तहत विक्रय–पत्र एवं दान–पत्र से संबंधित दस्तावेजों के निबंधन पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क में 5 प्रतिशत की छूट दी गयी है तथा संस्था के आकांक्षी/कार्यकारिणी में कम से कम एक महिला की अनिवार्यता की गयी है। महिलाओं के पक्ष में वर्ष 2017–18 में 4.78 लाख, वर्ष 2018–19 में 5.27 लाख एवं वर्ष 2019–20 में माह जनवरी, 2020 तक 4.57 लाख दस्तावेज निबंधित किये गये हैं।

- माननीय उच्च न्यायालय सहित राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में ई–कोर्ट फीस प्रणाली के अंतर्गत न्यायिक मुद्रांक एवं ई–स्टाम्पिंग प्रणाली के अंतर्गत गैर न्यायिक मुद्रांक तथा निबंधन शुल्क की बिक्री की जा रही है तथा इसके लिए चयनित एजेन्सी Stock Holding Corporation India Ltd. (SHCIL) द्वारा वर्तमान में हाजीपुर व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालयों में कार्य किया जा रहा है।

- बरौनी उर्वरक प्लांट के पुनर्वास हेतु हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरशन लिमिटेड (HFCL) के प्रभावित 480 एकड़ भूमि को लीज एग्रीमेंट द्वारा 55 वर्षो के लिए हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (HURL) को अंतरण किये जाने संबंधी दस्तावेज के निबंधन पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी एवं निबंधन शुल्क का शत–प्रतिशत छूट प्रदान किया गया है।

- वर्ष 2019–20 में जनवरी, 2020 तक 98,792 छापेमारी तथा 1,78,377 लीटर अवैध देशी शराब, 66,696 लीटर अवैध सुषव, 5,27,664 लीटर अवैध विदेशी शराब, 12,948 लीटर बीयर, 83,207 लीटर अवैध चुलाई शराब, 60,715 क्वींटल अवैध जावा महुआ, 1,730 क्वींटल अवैध महुआ फूल, 23,530 लीटर अवैध मशालेदार देशी शराब, 315 किलोग्राम पॉलीफिल्म, 274 अदद चुलाई मशीन, 17 अदद सैचेट मशीन एवं 9,046 लीटर ताड़ी जब्ती की गई तथा इन कार्यो के लिए 14,876 व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग दर्ज किये गये है एवं 12,492 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है।

- उत्पाद एवं मद्य निषेध संबंधी मामले के निष्पादन हेतु जिला एवं अनुमण्डल स्तर पर 74 विशेष न्यायालय खोले गये है एवं उनके लिए अराजपत्रित स्तर के कुल 666 पद स्वीकृत किये गये है। वर्ष 2019–20 में जनवरी, 2020 तक टॉल फ्री नंबर पर कुल प्राप्त रजिस्टर्ड कॉल 34,427 में से 34,263 कॉल का निष्पादित एवं शेष 86 कॉल का निष्पादन प्रक्रियाधीन है।

- अनाज आधारित आसवनियों के द्वारा मानव उपभोग हेतु अयोग्य अनाजों से इथनॉल उत्पादन की अनुमति प्रदान की गई है।

खान एवं भू तत्व विभाग

- वर्ष 2020–21 में खान एवं भू तत्व विभाग का स्कीम मद में 2.00 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 51.51 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 53.51 करोड़ रू० है।

- खनन क्षेत्र से वर्ष 2018–19 में वार्षिक लक्ष्य 1,600.00 करोड़ रू० के विरूद्ध 1,556.77 करोड़ रू० (97.30 प्रतिशत) की राजस्व वसूली हुई है जिसमें बालू से 836.57 करोड़ रू०, पत्थर से 162.44 करोड़ रू०, ईंट से 41.54 करोड़ रू०, कार्य विभाग से 443.84 करोड़ रू०, दंड से 55.34 करोड़ रू० एवं अन्य विविध स्रोतों से 17.04 करोड़ रू० शामिल है। वर्ष 2019–20 में निर्धारित लक्ष्य 2,000.00 करोड़ रू० के विरूद्ध माह जनवरी, 2020 तक 864.46 करोड़ रू० की वसूली हुई है।

- वर्ष 2019–20 में माह अप्रैल, 2019 से जनवरी, 2020 तक 12,393 छापेमारी, 997 प्राथमिकी एवं 774 अवैध उत्खननकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है तथा दण्ड के रूप कुल 34.71 करोड़ रू० की वसूली की गयी है।

- **नई बालू नीति, 2019** के तहत की गई बालू की बंदोबस्ती से सरकारी राजस्व में अब तक 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल 426 में से अब तक 335 बालूघाटों की जिलावार बंदोबस्ती से कुल रिजर्व जमा राशि 962.70 करोड़ रू० के विरूद्ध 3,170.44 करोड़ रू० की बोली लगाई गई है तथा शेष 91 बालूघाटों की प्रक्रियाधीन नीलामी पूरी होने पर इसमें और वृद्धि होगी।

- आमजन को बालू की उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा अवैध खनन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पूर्व के बालू बंदोबस्तधारियों की लीज–अवधि को गत वर्ष के राजस्व पर 50 प्रतिशत वृद्धि के साथ 10 माह (अक्टूबर, 2020 तक) के लिए विस्तारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019 में राजस्व प्राप्ति 755.64 करोड़ रू० से बढ़कर 944.55 करोड़ रू० हो गई है।

- नई बालू नीति के कारण गत वर्ष की तुलना में खनन विभाग को इस वर्ष 836.57 करोड़ रू० की जगह 1344 करोड़ रू० की प्राप्ति होने की संभावना है।

वित्त विभाग

- वर्ष 2020–21 में वित्त विभाग का स्कीम मद में 3935.10 करोड़ रू० तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 1276.56 करोड़ रू० कुल प्राक्कलन 5211.66 करोड़ रू० है।

- 01 अप्रैल, 2019 से CFMS प्रणाली लागू किया गया है जिससे बजट निर्माण, आवंटन तथा प्रत्यर्पण सहित संपूर्ण वित्तीय कार्य ऑन–लाईन एवं पेपर लेस हो गये हैं। कोषागार की कार्य प्रणाली पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत एवं ऑन लाइन हो गई है।

- CFMS के द्वारा सभी प्रकार का भुगतान RBI के e-Kuber Portal से e-Payment के माध्यम से किया जा रहा है। सरकारी कर्मियों, संवेदकों एवं भेंडरों को बिना कार्यालय गये उनके खाते में भुगतान हो रहा है तथा उनके मोबाईल पर SMS से सूचना भी प्राप्त हो रही है।

- इसके अंतर्गत 08 प्रकार के Modules लागू किये गये हैं तथा वर्ष 2020–21 में अन्य Modules को भी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा।

- सरकार का समस्त कर राजस्व e-Receipt के माध्यम से प्राप्त करने हेतु कार्यरत Online Government Revenue and Accounting Management System (O-GRAS) को CFMS में संस्थापित किया जायेगा। इसके लिए ई–कोषागार की स्थापना की गयी है जिसके फलस्वरूप सरकारी राशि जमा करने हेतु कोषागार अथवा बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

- राजस्व, स्वास्थ्य, निबंधन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, कृषि विभाग, बी०पी०एस०सी० आदि विभागों के लिए O-GRAS लागू कर दिया गया है तथा वर्ष 2020–21 में अन्य सभी विभागों को इसमें शामिल कर लिया जायेगा।

- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों को पहुँचाने हेतु ई–लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से PFMS द्वारा 17 विभागों के कुल 126 स्कीमों के लिए वर्ष 2018–19 में कुल 16,271 करोड़ रू० तथा वर्ष 2019–20 में अब तक 13,585 करोड़ रू० का DBT किया गया है।

- इस पोर्टल के माध्यम से लाभुकों के खाते में राशि का अंतरण करने हेतु वर्ष 2019–20 में कृषि विभाग द्वारा शत–प्रतिशत आधार बेस्ड किसानों एवं शिक्षा विभाग द्वारा मेधा–सॉफ्ट नामक सिस्टम बनाकर लगभग 1.6 करोड़ छात्रों का डाटा बेस तैयार कर लिया गया है ।

- वर्ष 2020–21 में अंशदाताओं के भविष्य निधि खाता में समुचित लेखा संधारण हेतु पूर्व से कार्यरत eGPF Software के स्थान पर CFMS के अंतर्गत नये Module का निर्माण किया जायेगा तथा भविष्य निधि निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के प्राधिकृत संचिकाओं का Digtalization किया जायेगा।

- 5,000 तक की आबादी वाले बैंक विहीन 602 ग्रामों के विरूद्ध 31 दिसम्बर, 2019 तक 595 ग्रामों में बैंकिंग आउटलेट की स्थापना की जा चुकी है।

- राज्य साख योजनान्तर्गत वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक बिहार में बैंकों द्वारा 1.45 लाख करोड़ रू० के विरूद्ध 79,138 करोड़ रू० का ऋण दिया गया जो लक्ष्य का 54.58 प्रतिशत है।

- वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक जमा राशि 3,63,483 करोड़ रू०, ऋण 1,49,293 करोड़ रू० एवं ऋण जमा अनुपात 42.98 प्रतिशत था।

- वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक 10.00 लाख के विरूद्ध 1.20 लाख **नए किसान क्रेडिट कार्ड** निर्गत किए गए एवं 14.36 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का नवीकरण किया गया है।

- **मुद्रा ऋण** के तहत वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक 13.18 लाख खाताधारकों को 6,727.00 करोड़ रू० का ऋण स्वीकृत एवं 6,206.00 करोड़ रू० का ऋण वितरित किया गया है।

- इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2019 तक **प्रधानमंत्री जन–धन योजना** के तहत खोले गये 35.46 लाख खातों में 1,018 करोड़ रू० जमा हैं। 31 दिसम्बर, 2020 तक राज्य में समेकित रूप से 4.63 करोड़ जन–धन खातों में जमा राशि 11,968 करोड़ रू० है।

- दिसम्बर, 2019 तक राज्य में 7,508 बैंक शाखाएँ, 17,288 BC Agents, 6,639 ATMs तथा 51,007 PoS Machine कार्यरत हैं तथा कुल 6.10 करोड़ ATM Cards निर्गत किये गये हैं।

- गुलजारबाग, पटना एवं गया स्थित प्रेस के आधुनिकीकरण के लिए 01.00 करोड़ रू० का प्रावधान किया गया है ।

- वर्ष 2019–20 में 89 अंकेक्षकों की नियुक्ति की गई है तथा वर्ष 2020–21 में 465 अंकेक्षकों एवं 179 सहायक अंकेक्षण पदाधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी।

- 1 अप्रैल, 2020 से अंकेक्षण हेतु Audit Manual को लागू किया जायेगा।

- इसी वर्ष नया Bihar Treasury Code एवं Bihar Prcurement Rule लागू किया जायेगा।

- वर्ष 2018–19 के माह मार्च तक राज्य में GeM Portal पर 694 क्रेता एवं 2,507 विक्रेता निबंधित थे तथा 5,839 क्रयादेश निर्गत किये गये एवं 423 करोड़ रू० का क्रय किया गया। अभी तक (जनवरी, 2020) राज्य में कुल 882 क्रेता एवं 4,050 विक्रेता GeM Portal पर निबंधित हैं तथा कुल 13,362 क्रयादेश निर्गत किये गये हैं एवं कुल 730 करोड़ रू० का क्रय किया गया ।

- GeM Portal पर राज्य के निबंधित व्यवसायियों के द्वारा राज्यान्तर्गत कुल 156 करोड़ रू० एवं राज्य के बाहर कुल 267 करोड़ रू० की बिक्री अभी तक की गई है ।

- विभागों को वित्तीय कार्यों के बेहतर प्रबंधन में Financial Expertise उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Bihar Accounts Service का पुनर्गठन किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैंने पूर्व में सरकार की उपलब्धियों तथा आने वाले वर्ष के विभागवार कार्यक्रमों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब मैं वर्त्तमान वर्ष 2019–20 के पुनरीक्षित अनुमान तथा अगले वर्ष 2020–21 के बजट अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आय–व्यय अनुमानों का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2019–20 का पुनरीक्षित प्राक्कलन (करोड़ रू०)	वर्ष 2020–21 का बजट प्राक्कलन (करोड़ रू०)
1	2	3	4
1	कुल राजस्व प्राप्ति	1,51,332.18	1,83,923.99
2	राज्य सरकार का राजस्व	38,906.47	39,989.28
3	संघीय करों में राज्य का हिस्सा	63,406.33	91,180.60
4	केन्द्र से प्राप्त सहायक अनुदान	49,019.38	52,754.10
5	राजस्व व्यय	1,69,846.13	1,64,751.19
6	राजस्व बचत (+)/घाटा(–)	-18,513.96	19,172.80
7	पूंजीगत प्राप्ति	26,598.91	28,037.50
8	पूंजीगत व्यय	47,913.40	47,010.30
9	कुल प्राप्ति	1,77,931.09	2,11,961.49
10	कुल व्यय	2,17,759.54	2,11,761.49
11	राजकोषीय घाटा	58,343.45	20,374.00

समेकित निधि में भारित राशि : वर्ष 2020–21 के बजट में 21,196.15 करोड़ रू० भारित मद में व्यय होनी प्रस्तावित है जिसमें सूद मद में 12,924.65 करोड़ रू०, लोक ऋण की मूलधन वापसी में 7,035.27 करोड़ रू०, निक्षेप निधि में 972.54 करोड़ रू०, माननीय उच्च न्यायालय के व्यय हेतु 182.28 करोड़ रू०, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 28.54 करोड़ रू०, राज्यपाल सचिवालय हेतु 29.63 करोड़ रू०, लोकायुक्त के लिए 7.73 करोड़ रू०, बिहार विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा बिहार विधान परिषद् के सभापति/उप सभापति के वेतन एवं भत्ते मद हेतु 1.46 करोड़ रू० एवं माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों के सेवा निवृति लाभ मद में 14.05 करोड़ रू० प्रस्तावित है।

राजकोषीय घाटा : राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में लक्ष्य निर्धारित किये गये है। वर्ष 2020–21 में राजकोषीय घाटा को कुल राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है। योजना एवं विकास विभाग के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय से वर्ष 2020–21 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2011–12 पर 6,85,797 करोड़ रू० का बताया गया है। वर्ष 2020–21 में बजट प्रावधान में जो राशि प्राप्ति एवं व्यय के लिए सम्मिलित की गयी है उसके अनुसार राजकोषीय घाटा 20,374 करोड़ रू० का हो रहा है, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है, यह निर्धारित 3 प्रतिशत की अधिसीमा के अंतर्गत है।

माननीय सदस्यगण,

हमने जनता की सेवा में परिश्रम की पराकाष्ठा की है। जो भी घोषणाएँ, वायदे किए गए उन्हें एक–एक कर पूरा किया है। बिहार का मान–सम्मान बढ़ाया है। पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी, मेहनत के साथ काम किया है। हर क्षेत्र में प्रारम्भ से प्रारम्भ करना पड़ा है। आज बिहार को एक मुकाम पर पहुँचा दिया है। पीछे मुड़कर देखने पर विश्वास नहीं होता है कि इतना लम्बा फासला तय हो गया।

अब बिहार सदैव आगे ही बढ़ता जाएगा। इसी के साथ, मैं बजट भाषण सदन के पटल पर रखता हूँ।

जिन्दगी अक्सर उन्हीं को चुनौती देती है,
जिनकी औकात होती है कुछ करने की।

जय बिहार ! जय भारत !! वंदे मातरम् !!!

वर्ष 2020-21

महत्वपूर्ण स्कीम

(राशि करोड़ रु० में)

क्र.	स्कीम का नाम	प्रशासी विभाग	कुल बजट प्रावधान 2020–21
1	मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	4246.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1000.00
3	जल–जीवन–हरियाली मिशन	लघु जल संसाधन विभाग	500.00
4	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	लघु जल संसाधन विभाग	175.00
5	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	ग्रामीण विकास विभाग	8127.99
6	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	ग्रामीण विकास विभाग	2785.00
7	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	ग्रामीण विकास विभाग	1606.81
8	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन०आर०एल०एम०)	ग्रामीण विकास विभाग	1566.00
9	मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	ग्रामीण विकास विभाग	422.51
10	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	ग्रामीण कार्य विभाग	5419.00
11	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	ग्रामीण कार्य विभाग	3099.95
12	पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण	गृह विभाग	355.73
13	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	185.00
14	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	75.00
15	छात्रवृति/वजीफा	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	424.10
16	शिक्षा	अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	391.05
17	स्मार्ट सिटी मिशन योजना	नगर विकास एवं आवास विभाग	620.00
18	शहरी पुनर्नवीकरण मिशन–अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन	नगर विकास एवं आवास विभाग	610.00
19	सबके लिए आवास (शहरी) मिशन	नगर विकास एवं आवास विभाग	425.50

क्र.	स्कीम का नाम	प्रशासी विभाग	कुल बजट प्रावधान 2020–21
20	स्वच्छ भारत अभियान	नगर विकास एवं आवास विभाग	240.10
21	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि०	नगर विकास एवं आवास विभाग	50.00
22	जल–जीवन–हरियाली मिशन	नगर विकास एवं आवास विभाग	10.00
23	सिंचाई सृजन परियोजनायें	जल संसाधन विभाग	1353.50
24	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	जल संसाधन विभाग	668.74
25	बाढ़ नियंत्रण परियोजनायें	जल संसाधन विभाग	440.00
26	नार्थ एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० की परियोजना	ऊर्जा विभाग	643.60
27	मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा उद्यमी योजना	उद्योग विभाग	225.96
28	मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना	उद्योग विभाग	200.84
29	ज्ञान सिटी परियोजना	सूचना प्रावैधिकी विभाग	40.00
30	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	स्वास्थ्य विभाग	2352.50
31	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	स्वास्थ्य विभाग	1321.00
32	मेडिकल कॉलेज	स्वास्थ्य विभाग	528.00
33	बिहार राज्य फसल सहायता योजना	सहकारिता विभाग	652.00
34	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ	समाज कल्याण विभाग	2894.83
35	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	समाज कल्याण विभाग	1994.00
36	मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना	समाज कल्याण विभाग	700.00
37	आँगनबाड़ी सेवाएँ	समाज कल्याण विभाग	301.74
38	राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	110.46
39	कौशल विकास मिशन	श्रम संसाधन विभाग	392.88
40	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण	श्रम संसाधन विभाग	291.00

क्र.	स्कीम का नाम	प्रशासी विभाग	कुल बजट प्रावधान 2020–21
41	स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एन्हांस्मेंट	श्रम संसाधन विभाग	123.20
42	अस्पताल औषधालय	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	150.00
43	गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएं	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	106.14
44	तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	68.54
45	सड़क (एशियन विकास बैंक सम्पोषित)	पथ निर्माण विभाग	2119.00
46	वृहद् सड़कें	पथ निर्माण विभाग	1832.96
47	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना–वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क सम्पर्क परियोजना	पथ निर्माण विभाग	450.00
48	मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना	परिवहन विभाग	150.00
49	मुख्यमंत्री निश्चय योजना	पंचायती राज विभाग	1000.00
50	पंचायत सरकार भवन	पंचायती राज विभाग	500.00
51	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	पंचायती राज विभाग	485.52
52	पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	पर्यटन विभाग	221.14
53	जल–जीवन–हरियाली मिशन	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	142.62
54	पथ तट फार्म	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	115.00
55	स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना	वित्त विभाग	900.00
56	अभियंत्रण महाविद्यालय	विज्ञान प्रावैधिकी विभाग	540.00
57	सर्व शिक्षा अभियान	शिक्षा विभाग	14013.59
58	मध्याह्न भोजन योजना	शिक्षा विभाग	2553.68
59	प्रौढ़ शिक्षा	शिक्षा विभाग	450.16
60	मुख्यमंत्री बालक/बालिका साईकिल योजना	शिक्षा विभाग	360.00
61	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	शिक्षा विभाग	230.00
62	शिक्षा	पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग	1178.40
63	छात्रवृति/वजीफा	पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग	303.00

क्र.	स्कीम का नाम	प्रशासी विभाग	कुल बजट प्रावधान 2020–21
64	पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण	पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा कल्याण विभाग	140.00
65	स्टेडियम एवं खेल संरचना	कला संस्कृति एवं युवा विभाग	325.00
66	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	कृषि विभाग	277.59
67	इन्टेंसिफायड फील्ड डेवलेपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट	कृषि विभाग	250.00
68	जैविक खेती का उन्नयन	कृषि विभाग	232.22
69	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	601.42
70	खाद्यान्न के भंडारण हेतु गोदामों का निर्माण	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	150.00
71	मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना	योजना एवं विकास विभाग	995.00
72	आपातकालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना	योजना एवं विकास विभाग	224.00
73	मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	योजना एवं विकास विभाग	140.00

Economic Trend in Bihar (1990-91, 2004-05 and 2018-19)

Sl. No.	Indicator	1990-91	2004-05	2018-19	Annual Growth Rate	
					Between 1990-91 and 2004-05	Between 2004-05 and 2018-19
1	Growth Rate of GSDP at Current Price	-	-	-	9.0	18.9
2	Growth Rate of GSDP at Constant Price	-	-	-	4.6	10.0
3	Per Capita Income at Current Prices (in Rs.)	3037	7914	43822	6.3	17.4
4	Development Expenditure (Rs. crore)	4318	12250	107737	7.7	16.8
5	Development Expenditure as percentage of Total Expenditure	64.7	61.1	69.7	-	-
6	Social Expenditure (Rs. crore)	2380	6120	62346	7.0	18.0
7	Social Expenditure as percentage of Total Expenditure	35.6	30.5	40.3	-	-
8	Capital Outlay (Rs. crore)	580	1210	21058	5.4	22.6
9	Own Tax Revenue (Rs. crore)	1140	3340	29408	8.0	16.8
10	Outstanding Debt (Rs. crore)	14752	43183	168921	8.0	10.2
11	Outstanding Debt as percentage of GSDP	64.7	55.5	32.3	-	-
12	Revenue Deficit (+)/ Surplus(-) Rs. crore)	570	(-)1080	(-)6897	-	-
13	Gross Fiscal Deficit as percentage of GSDP	5.9	6.2	2.7	-	-

वर्ष 2020–21 में विभागवार स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय तथा स्कीम मद में प्रावधानित राशि

(राशि करोड़ रू० में)

विभाग का नाम	मांग संख्या	कुल स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	स्कीम मद में	कुल योग	महायोग में विभागीय कुल योग का %
1	2	3	4	5	6
कृषि विभाग	1	757.73	2395.08	3152.81	1.49
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2	404.02	774.90	1178.92	0.56
भवन निर्माण विभाग	3	852.25	4543.46	5395.72	2.55
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	4	220.72	289.79	510.50	0.24
राज्यपाल सचिवालय	5	29.63	0.00	29.63	0.01
निर्वाचन विभाग	6	797.22	0.00	797.22	0.38
निगरानी विभाग	7	42.72	0.00	42.72	0.02
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	8	110.27	59.00	169.27	0.08
सहकारिता विभाग	9	198.44	969.94	1168.38	0.55
ऊर्जा विभाग	10	4350.17	1210.00	5560.17	2.63
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	11	20.06	1639.90	1659.96	0.78
वित्त विभाग	12	1276.56	3935.10	5211.66	2.46
सूद भुगतान	13	12924.65	0.00	12924.65	6.10
ऋण अदायगियाँ	14	7035.27	0.00	7035.27	3.32
पेंशन	15	20468.16	0.00	20468.16	9.67
पंचायती राज विभाग	16	8203.69	2411.52	10615.21	5.01
वाणिज्य–कर विभाग	17	196.43	0.00	196.43	0.09
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	18	112.84	1481.61	1594.44	0.75
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग	19	198.93	440.00	638.93	0.30
स्वास्थ्य विभाग	20	5333.68	5604.00	10937.68	5.17
शिक्षा विभाग	21	13926.81	21264.24	35191.05	16.62
गृह विभाग	22	11461.86	621.64	12083.50	5.71
उद्योग विभाग	23	105.85	810.00	915.85	0.43
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	24	137.18	101.00	238.18	0.11
सूचना प्रावैधिकी विभाग	25	37.53	235.99	273.52	0.13
श्रम संसाधन विभाग	26	204.44	665.08	869.52	0.41
विधि विभाग	27	915.70	0.01	915.71	0.43

विभाग का नाम	मांग संख्या	कुल स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	स्कीम मद में	कुल योग	महायोग में विभागीय कुल योग का %
1	2	3	4	5	6
उच्च न्यायालय	**28**	182.28	0.00	182.28	0.09
खान एवं भूतत्व विभाग	**29**	51.51	2.00	53.51	0.03
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	**30**	36.24	496.00	532.24	0.25
संसदीय कार्य विभाग	**31**	2.30	0.00	2.30	0.00
विधान मंडल	**32**	226.33	0.00	226.33	0.11
सामान्य प्रशासन विभाग	**33**	658.06	85.29	743.35	0.35
बिहार लोक सेवा आयोग	**34**	28.54	0.00	28.54	0.01
योजना एवं विकास विभाग	**35**	214.58	1886.98	2101.56	0.99
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	**36**	505.45	5351.00	5856.45	2.77
ग्रामीण कार्य विभाग	**37**	1019.89	9619.00	10638.89	5.02
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	**38**	276.48	4.00	280.48	0.13
आपदा प्रबंधन विभाग	**39**	4390.58	53.23	4443.81	2.10
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	**40**	672.90	265.04	937.94	0.44
पथ निर्माण विभाग	**41**	1125.11	5581.00	6706.11	3.17
ग्रामीण विकास विभाग	**42**	425.41	15529.88	15955.29	7.53
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	**43**	221.50	115.00	336.50	0.16
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	**44**	283.36	1441.45	1724.81	0.81
गन्ना उद्योग विभाग	**45**	18.95	100.00	118.95	0.06
पर्यटन विभाग	**46**	25.74	257.89	283.63	0.13
परिवहन विभाग	**47**	128.69	244.00	372.69	0.18
नगर विकास एवं आवास विभाग	**48**	3795.72	3418.00	7213.72	3.41
जल संसाधन विभाग	**49**	1053.61	3000.00	4053.61	1.91
लघु जल संसाधन विभाग	**50**	266.09	933.00	1199.09	0.57
समाज कल्याण विभाग	**51**	63.02	7931.33	7994.35	3.78
	कुल	**105995.14**	**105766.35**	**211761.49**	**100.00**

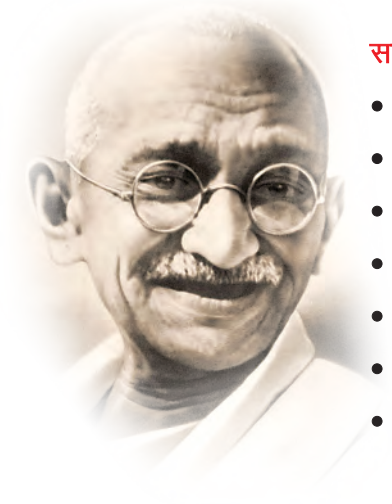

सात सामाजिक पापकर्म :–

- सिद्धांतों के बिना राजनीति
- परिश्रम के बिना धन
- विवेक के बिना सुख
- चरित्र के बिना ज्ञान
- नैतिकता के बिना व्यापार
- मानवता के बिना विज्ञान
- त्याग के बिना पूजा

– महात्मा गाँधी